खण्ड-420, अंक-6
सोमवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1919
(11 अगस्त, 1997 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 420 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1-55
प्रश्न के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	55
श्री शिव शंकर स० वि० स० की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ...	55–58
दिनांक 4 अगस्त, 97 को विधान सभा की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या–15 (नत्थी घ) के निरस्त हो जाने के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय ...	58–59
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	59
ग्राम समेरा मुताल के चिखड़ी, तहसील मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में ग्राम समाज की भू सम्पत्ति को मनमाने तरीके से आवंटन की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद फैजाबाद स्थित मदरसा टाउन एरिया में नियमित विद्युत आपूर्ति करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
जनपद महराजगंज की ग्राम सभाओं को मुख्य मार्ग से जोड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
कुशीगर जनपद के कशया थाने के अन्तर्गत भाजपा कार्यकर्ता की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
शाहजहांपुर के विद्यालयों में डबल शिफ्ट व्यवस्था लागू करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61–62
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	62
श्री प्रमोद कुमार स० वि० स० द्वारा कथित रूप से श्री चन्द्रनाथ सिंह स० वि० स० की सदस्यता समाप्त करने तथा अपशब्द इस्तेमाल किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	62–64
नियम 301 एवं 51 की सूचनाओं पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	64–65
जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा श्री शिव सिंह चक स० वि० स० को अपशब्द कहने तथा धमकी दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न... ...	65–69
यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां तथा सत्ताइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 (सदन के पटल पर रखा गया)	70
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (प्रमुखों, उप प्रमुखों, अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों का हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 (सदन के पटल पर रखा गया)	70

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश पंचायतीराज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1988-89 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	70
उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	70
उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (सदन के पटल पर रखी गयी)	71
वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी)	71
उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात निर्यात परिवहन और उसे कब्जे में रखना (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 1997 (सदन के पटल पर रखी गयी)	71
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर वाराणसी की प्रशासनिक आख्या वर्ष 1989 से 93 तक (सदन के पटल पर रखी गयी)	71-72
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ...	72
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1997 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	72
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	73
उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल दल अधिकारी और सदस्य सुख सविधा निधि (संशोधन) विधेयक, 1997 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	73
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	73
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1997-98 का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	74
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1997-98 का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	74
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1997-98 का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	74
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1997-98 का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	74

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1997-98 का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	74
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1997-98 का छठां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	75
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1997-98 का सप्तम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	75
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1997-98 का अष्टम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	75
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 1997-98 का नवम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	75
जनपद मथुरा के ग्राम ओल चौराहे को मध्य से ऊंचा कर ओल से कोरीपुरा के सम्पर्क मार्ग को डामरयुक्त किये जाने के संबंध में श्री अशोक गोयल व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	75
जनपद मथुरा के ग्राम गोयल वेरी में पेयजल हेतु नलकूप लगाये जाने के संबंध में श्रीमती राधा रानी अग्रवाल व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	76
जनपद मथुरा के गोवर्धन बस स्टैण्ड को गोवर्धन बस डिपो करवाने के संबंध में चौधरी हरपाल सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी) ...	76
जनपद मथुरा के गोवर्धन में बालिकाओं हेतु राजकीय विद्यालय खुलवाने के संबंध में श्री कपूर चन्द्र बेधड़क व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	76
जनपद मथुरा के कस्बा फरह में बालिकाओं हेतु महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में श्री सुभाष चन्द्र तरकर व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	76
जनपद मथुरा के ग्राम महोली व जतीपुरा में पानी की समस्या के निदान हेतु नलकूप लगवाये जाने के संबंध में श्री श्याम सिंह राजपूत व अन्य की हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	76
जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में 60 शैय्याओं वाला अस्पताल खुलवाये जाने के संबंध में श्री हरि ओम शर्मा व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	76
जनपद मथुरा के क्षेत्र गोवर्धन से सम्बद्ध 18 गांवों के काश्तकारों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के लिए अपर कैनाल आगरा के मील नं० 23 पर रेगुलेटर लगाये जाने के संबंध में श्री पन्नालाल कौशिक व अन्य की हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	77
जनपद मथुरा के अन्यौर में अष्ट छाप के राष्ट्रीय कवि कुम्बनदास जी की समाधि सुरक्षा एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री देवकी नन्दन कुम्होरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	77

विषय			पृष्ठ संख्या
जनपद मथुरा के ग्राम राधा कुण्ड से कोमई जाने वाले रास्ते पर लोवर कैनाल आगरा पर टूटे पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम चन्द्र बघेल व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	...	...	77
मथुरा शहर के मध्य मनोहरपुरा व मटिया गेट पर स्थित पशु वधशाला को अन्यत्र स्थानान्तरित कराये जाने के संबंध में श्रीमती चन्द्रवती पोइया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	...	...	77
जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में स्थित "मानसी गंगा" में गिरने वाली नालियों को तत्काल बन्द कराकर शुद्धिकरण संयंत्र एवं नलकूप लगवाये जाने के संबंध में श्री डी० पी० मिश्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी)	...		77
गन्ना किसानों के भुगतान एवं गन्ना पेराई की समस्या के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत सूचना के बारे में व्यवस्था	...	...	78
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)		...	78–80
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 (पुरःस्थापित)		....	80
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (पुरःस्थापित)			80–81
विधान सभा की कार्यवाही रात्रि 12 बजे तक न चलाये जाने का अनुरोध		...	81
नियम 56 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	...	...	81–104
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)		...	105
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 (पारित)	...	...	10–139
उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1997 (पारित)		...	140–143
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (पारित)		...	143–145
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (पारित)		...	145–147
वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान		...	147
अनुदान संख्या 02-आवास विभाग (स्वीकृत)	...	...	147
अनुदान संख्या 37-नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	...	...	147–148
अनुदान संख्या 85-सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	...	...	148
अनुदान संख्या 09-ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	...	...	148
अनुदान संख्या 70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	...	...	148–149
अनुदान संख्या 03-उद्योग विभाग (नियति प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	...	...	149
अनुदान संख्या 04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत)		...	149
अनुदान संख्या 05-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत)		...	150
अनुदान संख्या 06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)		...	150
अनुदान संख्या 07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)		...	150–151
अनुदान संख्या 08-उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत)		...	151

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 45-पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	151
अनुदान संख्या 67-विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	152
अनुदान संख्या 68-विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	152
अनुदान संख्या 69-विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) (स्वीकृत) ...	152
अनुदान संख्या 41-निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	153
अनुदान संख्या 42-न्याय विभाग (स्वीकृत)	153
पर्सनल लेजर एकाउन्ट के संचालन पर रोक तथा भारत सरकार के सहयोग से संचालित बेसिक मिनिमम सर्विसेज का लाभ नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी दिये जाने से संबंधित नियम 103 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चाओं का स्थगन	153
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	153–154
प्रदेश में लाटरी व्यवसाय पर तत्काल रोक लगाये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	154–155
जनपद गढ़वाल के कर्ण प्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरसात से मोटर मार्ग के अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	155
सहकारी चीनी मिल औराई जनपद भदोही के शेयर होल्डर किसानों को विगत 25 वर्षों से कोई लाभांश न दिये जाने व घोटालों के कारण किसानों के आन्दोलित हो जाने विषयक श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	155–156
मेरठ के महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की समस्या से उत्पन्न स्थिति विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	156–157
प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी छात्रों के भविष्य के साथ कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा खिलवाड़ विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	157–158
जनपद शाहजहांपुर के थाना सदन बाजार में अप्रैल, 1997 से अपराधों में हुई वृद्धि विषयक श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	158–159
जनपद महोबा के नगर क्षेत्र से सम्बद्ध ग्रामों की भूमि के रक्षा अनुसन्धान एवं रेंज फैसिलिटी हेतु अधिग्रहण के समय किये गये एग्रीमेंट को न मानने से संबंधित नियम 51 के अन्तर्गत निर्धारित वक्तव्य का स्थगन ...	159

विषय				पृष्ठ संख्या
जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद् मल्लावां में कार्यालय में हुई हत्या की घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धर्मज्ञ मिश्र द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	...	...		159–160
उत्तर प्रदेश की राजधानी में वाहनों से बढ़ते ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अमित अग्रवाल द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...		160–163
प्रदेश में जिलाधिकारियों द्वारा आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स देने की प्रक्रिया में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री बालचन्द्र मिश्र द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य			...	163–164
नत्थियां	...	...	...	165–168

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 11 अगस्त, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	बाबू खां, श्री	हरदोई
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	मानिक चन्द यादव, श्री	मैनपुरी
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर	रमापति शास्त्री, श्री	गोण्डा
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
* आलमबदी, श्री	आजमगढ़	राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर	राम नरेश यादव, जी	आजमगढ़
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर	रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	* वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल, श्री	गोरखपुर	विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर	विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव	शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात	शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद	शिवाकान्त, श्री	प्रतापगढ़
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	श्रीराम, श्री	मऊ
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
बच्चा पाठक, श्री	बलिया		

नोट :—* मा० सदस्य ने अभी शपथ नहीं ली है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 11 अगस्त, 1997

(सदन की बैठक सभा–मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, गौरखपुर में समाजवादी पार्टी यूथ बिग्रेड के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ हो गया है, उस पर चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

जब प्रश्नकाल समाप्त हो जायेगा, तब नियम–56 की सूचनायें लेंगे, उस समय अपनी बात कह दीजियेगा ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नवम् पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के स्थापित करने की कार्यवाही

**1–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम् पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत मांग को पूरा करने के लिये नयी परियोजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वे परियोजनायें कौन-कौन सी हैं ? यदि नहीं, तो भविष्य की विद्युत मांगों को पूरा किये जाने के बारे में शासन कोई योजना बना रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां ।

नवम् पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत मांग को पूरा करने के लिये निम्नलिखित नयी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

क–<u>निजी क्षेत्र</u>

1–रोजा तापीय परियोजना (567 मेगावाट)

2–जवाहरपुर तापीय परियोजना (800 मेगावाट)

3–विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट)

4–आनपारा "सी" तापीय परियोजना (1000 मेगावाट)

5–श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (330 मेगावाट)

6–नेप्था पर आधारित परियोजना (355 मेगावाट)

7–तरल ईंधन पर आधारित विद्युत परियोजनायें (700 मेगावाट)
(सात विभिन्न स्थानों पर)

ख–<u>सार्वजनिक क्षेत्र</u>

1–लखवाड़ व्यासी बहुउद्देशीय परियोजना (420 मेगावाट)

ग–<u>संयुक्त क्षेत्र</u>

1–राजघाट जल विद्युत परियोजना (22.5 मेगावाट)

2–टेहरी डैम स्टेज–1 जल विद्युत परियोजना (550 मेगावाट)

उ० प्र० का हिस्सा

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आज के युग में विकास कार्यों को करने के लिये ऊर्जा का बड़ा महत्व है और इस समय पूरे प्रदेश में घनघोर विद्युत संकट छाया हुआ है । मुझे इस प्रश्न के माध्यम से चिन्ता हो रही है कि जब आज यह स्थिति है तो भविष्य की क्या स्थिति बनेगी । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नवम् पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश में विद्युत मांग कितनी होगी, उस समय तक कितने मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी और इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है तथा प्लान्ट लोड फैक्टर क्या है ?

श्री ओम प्रकाश शाही–

मान्यवर, जिन परियोजनाओं का उल्लेख मैंने किया है, उनके पूरा हो जाने के बाद 4144.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ जायेगी । इस समय प्लान्ट लोड फैक्टर 51 प्रतिशत है और वर्तमान उपलब्धता जो जुलाई में प्रतिदिन की रही है, वह 97.6 मिलियन यूनिट की है । साथ ही 102.5 मिलियन यूनिट की मांग रही है, इस प्रकार 4.9 मिलियन यूनिट की कमी रही है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बताया है, उससे स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी है जो आज विद्युत की मांग है । मैं जानना चाहता हूं कि इस कमी को पूरा करने के लिये जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया है, चाहे वह निजी क्षेत्र की हों, सार्वजनिक क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र की, इसमें जो निजी क्षेत्र की है, उनकी प्रगति क्या है, क्या एम० ओ० यू० हो चुका है, काम शुरू कर दिया गया है ।

दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में जिस आनपारा सी का उल्लेख किया है, यह पहले राज्य विद्युत परिषद् की योजना थी, काफी समय से लम्बित हो रही थी, किन कारणों से इसे निजी क्षेत्र को दिया गया है ?

तीसरी बात जानना चाहता हूं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है नवम् प्लान की जो रिपोर्ट योजना आयोग की आई है, उसमें उसका उल्लेख नहीं है, इस समय इसमें क्या प्रगति है और टिहरी डेम परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जायेगा, जिससे उसका लाभ जनता को मिलने लगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जहां तक परियोजनाओं की प्रगति का संबंध है, रोजा तापीय परियोजना, जवाहरपुर तापीय परियोजना में समझौता हो गया है, विद्युत क्रय अनुबन्ध हो चुका है, लेकिन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । आनपारा सी का मामला मंत्रि-परिषद् के समक्ष विचाराधीन है कि इसको निर्माण करने के लिये किसको दिया जाय शेष परियोजनाओं में एम० ओ० यू० हो चुका है लेकिन विद्युत विक्रय अनुबन्ध नहीं हो पाया है । इसके अलावा जहां तक अन्य परियोजनाओं का संबंध है, उनका कार्य प्रगति पर है, साधन की उपलब्धता के आधार पर उनका पूरा हो जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मूल सवाल है उसमें प्लान्ट लोड फैक्टर आपने बताया है 51 प्रतिशत तो यह 51 प्रतिशत किस-किस महीने का है क्या माननीय मंत्री जी के पास

यह आंकड़ा उपलब्ध है ? मान्यवर, हमको जो पता है कि प्लान्ट लोड फैक्टर 48 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है यह एक दो महीने का आंकड़ा देकर बता दिया गया है कि 51 फीसदी है जबकि आल इंडिया में 56 फीसदी है । मान्यवर, एक तो हम बिजली नहीं पैदा कर पाते हैं और दूसरा आनपारा सी के बारे में, जैसे आनपारा ए और बी जापान के टर्म के बेसिस पर बनाया था और आनपारा सी को उसी टर्म के बेसिस पर बनाने की तैयारी थी तो अब इसमें क्या दिक्कत है ? और तीसरा जो माननीय शाही जी ने पूछा है कि टिहरी परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी इसे बता दें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि पी० एल० एफ० प्रतिमाह घटता बढ़ता रहता है यह हमने पिछले 4 महीने का औसत बतलाया है और दूसरा टिहरी परियोजना को सभी जानते हैं कि बहुत लंबे समय से चल रही है, अनेक बाधाएं उसमें आती रहती हैं इसलिए उसके लिए इन बाधाओं को देखते हुए एक निश्चित तिथि कहना कठिन है फिर भी 2005 तक उसको पूरा करने का लक्ष्य है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने आनपारा "सी" के बारे में पूछा था उसका उत्तर नहीं आया ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य भी जानते हैं और आप भी अवगत हैं, पूरा सदन अवगत है कि जो विषय मंत्रिपरिषद् के विचाराधीन हो उसके बारे में विस्तार से कोई बात निर्णायक के रूप में बताया या मंत्रि-परिषद् को उसमें क्या कठिनाई है, क्या दृष्टि है, यह बताना उचित नहीं होगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें जो आपने कहा कि 51 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर है इसमें लाइन पर क्षरण 40 प्रतिशत है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो बिजली का क्षरण लाइन पर 40 प्रतिशत हो रहा है उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

दूसरा, मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि हरदुआगंज का पावर स्टेशन जो अच्छा पावर स्टेशन है उसको प्राइवेट सेक्टर में देने जा रहे हैं अगर उसको प्राइवेट सेक्टर में देने जा रहे हैं तो उसकी क्या-क्या शर्तें हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, लाइन लास के लिए निरन्तर प्रयास किया जाता है, प्रशासनिक प्रयास किये जाते हैं । मान्यवर, जहां तक हरदुआगंज का प्रकरण है, वह विचाराधीन है इसलिए उसकी शर्तें और कंडीशन बताना उचित नहीं है ।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, हरदुआगंज, मेरे क्षेत्र का पावर हाउस है जहां 7 यूनिट है इसमें दो यूनिट गयी गुजरी हालत में काम कर रही है । 5 यूनिट बन्द हैं उसकी न तो मरम्मत का कार्य हो रहा है और न कोई प्रगति है । (व्यवधान)

मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार एक पावर हाउस को बेचकर अन्य 6 यूनिटों को चलाने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर अभी दे दिया गया है ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अम्बेदकर नगर, टाण्डा में जो थर्मल पावर है, उसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है और उसकी कौन-कौन सी यूनिटें काम कर रही हैं। दूसरा, फैजाबाद में 132 के०वी०ए० का जो सब स्टेशन 10 वर्ष से लम्बित पड़ा हुआ है, उसके बारे में भी कार्यवाही करने पर सरकार विचार कर रही है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री यादव जी, आप अलग से इस संबंध में एक स्वतंत्र प्रश्न पूछ लीजिए। यदि माननीय मंत्री जी के पास इसकी सूचना हो तो वह बता दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह जो प्रश्न है 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में है। यदि पुरानी योजनाओं के बारे में माननीय सदस्य अलग से प्रश्न करेंगे तो उसको भी बतला दिया जायेगा।

श्रीमती ज्ञानवती–

मान्यवर, सच तो यह है कि प्रदेश में विद्युत की बहुत खराब स्थिति है, जिसके कारण किसान बहुत परेशान हो रहा है। किसान जब तक खेत में जाता है, बिजली चली जाती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि गांव में आप जितने घंटे भी बिजली दें चाहे वह 4 से 6 घंटे हो अथवा 8 से 10 घंटे हो, परन्तु उसका समय निश्चित किया जाना चाहिये। मेरे क्षेत्र खैर में एक घंटा भी बिजली नहीं आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि टप्पल घर में पावर हाउस बनायेंगे, परन्तु उस पर आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इस पर वहां के किसानों की आशायें टिकी हुई हैं। लाइनें टूटी हुई हैं, ट्रान्सफार्मर खराब पड़े हुए हैं। किसानों पर अपासी लगती है, वह उसका किराया दे रहे हैं परन्तु राहत उनको नहीं दी जा रही है। ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा, इस पर सरकार विचार कर रही है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्या, इसमें अलग से एक स्वतंत्र प्रश्न पूछ लें। उसका माननीय मंत्री जी उत्तर दे देंगे।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, आज हम स्वाधीनता की स्वर्णिम जयन्ती मना रहे हैं और 8वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है लेकिन कानपुर महानगर के नगर निगम के अन्तर्गत जो 80 गांव है, उनमें आज तक विद्युत का एक भी बल्ब नहीं दिखायी पड़ता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस तरह के गांवों को विद्युतीकरण के अन्तर्गत लाने की कोई योजना थी कि नहीं थी। यदि थी तो कितने गांवों में बिजली की आपूर्ति की गई और यदि नहीं थी तो जिन अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी। दूसरा, यदि अभी तक इस तरह की व्यवस्था ऐसे गांवों के लिए नहीं थी तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे गांवों को विद्युत आपूर्ति करने की कोई सुनिश्चित योजना बनायी जा रही है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री मिश्र जी, जब मद संख्या–37(4) आयेगा तो आप इसका जवाब मांग लीजियेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सदन की यह चिन्ता है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में कितने मेगावाट विद्युत की मांग बढ़ जायेगी ? माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब ये-ये योजनायें पूरी हो जायेंगी तो 4144.5 मेगावाट की बढ़ोत्तरी हो जायेगी। माननीय मंत्री जी ने अपने प्रति उत्तर में

कहा है कि कुछ में विद्युत विक्रय अनुबन्ध नहीं हुआ है, कुछ अभी निर्माणाधीन है और कुछ में संसाधनों की आवश्यकता है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नौंवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी मेगावाट विद्युत आपूर्ति की मांग होगी और उसके परिप्रेक्ष्य में जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बैठक की है निजी क्षेत्रों से विद्युत उत्पादन कराने के संबंध में उसमें कितने निजी क्षेत्रों को अनुबन्धित किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कितनी आवश्यकता होगी यह तो निर्भर करता है कि विकास की गति क्या है, कितने उद्योग धंधे लग रहे हैं । श्रीमन् उससे 4144.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ़ेगा ।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय मंत्री जी को उत्तर दे देने दें । उसके बाद पूछ लीजियेगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

यह सच है कि प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता कम है, जिसके फलस्वरूप समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न भागों में विद्युत की आपात कटौती करनी पड़ी है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को रिफर कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय मंत्री जी को उत्तर दे देने दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :–

(1) वित्तीय वर्ष 1996-97 में वृहद अनुरक्षण हेतु काफी दिनों से बन्द पड़ी 635 मेगावाट क्षमता के कुल 6 तापीय इकाइयों का वृहद अनुरक्षण/नवीनीकरण करके उत्पादन योग्य बनाया गया है ।

(2) टाण्डा तापीय परियोजना की 110 मेगा की चौथी इकाई पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है एवं इस इकाई को अगस्त, 97 तक चालू किया जाना संभावित है ।

(3) ओबरा तापीय परियोजना की 200 मेगावाट की बन्द 2 इकाइयां (इकाई संख्या 10, 11 की विशेष मरम्मत/कैपिटल अनुरक्षण एवं 200 मेगावाट की सभी इकाइयों के लिये कोल संयंत्र एवं जल शोधन संयंत्रों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन से 88.6 करोड़ रुपये के ऋण का अनुमोदन हो गया है । इस धन से इन इकाइयों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में सुधार होगा तथा पी० एल० एफ० 65 प्रतिशत तक हो जाने की आशा है ।

(4) हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह पर 40 मेगावाट तथा 105 मेगावाट की इकाइयों को पुनः उर्जित करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। आशा है कि सितम्बर, 97 तक ये इकाइयां पुनः उत्पादन आरम्भ कर देंगी ?

(5) प्रदेश शासन की नई ऊर्जा नीति के अनुसरण में निजी पूंजी निवेशकर्ताओं द्वारा नये जलीय एवं तापीय विद्युत गृहों के निर्माण हेतु 4297.5 मेगावाट की क्षमता के सृजन हेतु सहमति पत्र/विद्युत क्रय अनुबन्ध निष्पादित किये जा चुके हैं । लगभग 2704 मेगावाट की तापीय/जलीय/नथ्था आधारित परियोजनाओं को लगाने हेतु निजी निवेशकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं/ किये जा चुके हैं ।

(6) विद्युत वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु 1-4-96 से 30-6-95 तक निम्न कार्यवाही की गयी है :–

1–नये 33 केवी० उपकेन्द्र का निर्माण–29 नग (121.5 एमवीए)

2–33 केवी उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि–83 नग (238 एमवीए)

3–33 केवी लाइनों का निर्माण–272 सर्किट किलोमीटर

(7) उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश की 11 केवी, एवं एल० टी० वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु भी परिषद् द्वारा अपने संसाधनों से रुपये 16.5 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इन कार्यों के पूर्ण होने से विद्युत वितरण व्यवस्था में कुछ सीमा तक गुणात्मक सुधार अपेक्षित है।

कानपुर नगर की विद्युत व्यवस्था एवं वितरण की सुदृढ़ करने हेतु प्रदेश शासन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के सहयोग से 19.2 करोड़ रुपये की प्रणाली सुधार योजना पर कार्य प्रगति पर है ? मुरादाबाद नगर की विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रणाली के अन्तर्गत रु० 8 करोड़ की योजना स्वीकृत है जिसका कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना के अन्तर्गत 132 केवी० द्वितीय मुरादाबाद उप केन्द्र का लोकापर्ण दिनांक 6 अप्रैल, 1997 को किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र (आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद जनपदों के कुछ क्षेत्रों में) में विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये 190 करोड़ रु० की योजना बनाई गयी है जिसमें लगभग 90 करोड़ रु० के कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत किये जाने वाले कुछ कार्यों के भारत सरकार से भी 90 करोड़ रु० की धनराशि प्रदेश शासन/राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुई है जिससे संबंधित कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाये जाने के संबंध में कार्यवाही

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी तथा श्री राजधारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य भयंकर विद्युत संकट के दौर से गुजर रहा है जिसके फलस्वरूप आम जनता के साथ ही उद्योग धंधे भी बुरी तरह प्रभावित हैं ? यदि हां, तो विद्युत उत्पादन बढ़ाने एवं वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

यह सत्य है कि प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता कम है, जिसके फलस्वरूप समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न भागों में विद्युत की आपात कटौती करनी पड़ती है जिससे कभी-कभी उद्योग धंधे भी प्रभावित होते हैं।

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :–

(1) वित्तीय वर्ष 1996 97 में वृहद अनुरक्षण हेत काफी दिनों से बन्द पड़ी 635 मेगावाट क्षमता के कुल छः तापीय इकाइयों का वृहद अनुरक्षण/नवीनीकरण करके उत्पादन योग्य बनाया गया है।

(2) टाण्डा तापीय परियोजना की 110 मे०वा० की चौथी इकाई पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है एवं इस इकाई को अगस्त, 97 तक चालू किया जाना संभावित है।

(3) ओबरा तापीय परियोजना की 200 मे०वा० की बन्द 2 इकाइयां (इसं० 10, 11) की विशेष मरम्मत/कैपिटल अनुरक्षण एवं 200 मे०वा० की सभी इकाइयों के लिये कोल संयंत्र एवं जल शोधन संयंत्रों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिये पावर फाइनेन्स कारपोरेशन से 88.6 करोड़ रुपये के ऋण का अनुमोदन हो गया है। इस धन से इन इकाइयों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में सुधार होगा तथा पी० एल० एफ० 65% तक हो जाने की आशा है।

(4) हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह पर 40 मे०वा० तथा 105 मे०वा की इकाइयों को पुनः उर्जित करने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं । आशा है कि सितम्बर, 97 तक ये इकाइयां पुनः उत्पादन आरम्भ कर देंगी ।

(5) प्रदेश शासन की नई ऊर्जा नीति के अनुसरण में निजी पूंजी निवेशकर्ताओं द्वारा नये जलीय एवं तापीय विद्युत गृहों के निर्माण हेतु 4297.5 मे०वा० की क्षमता के सृजन हेतु सहमति पत्र/विद्युत क्रय अनुबन्ध निष्पादित किये जा चुके हैं ।

लगभग 2704 मेगावाट की तापीय/जलीय/नष्था आधारित परियोजनाओं को लगाने हेतु निजी निवेशकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं/ किये जा चुके हैं ।

(6) विद्युत वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु 1-4-96 से 30-6-97 तक निम्न कार्यवाही की गयी है :–

1–नये 33 केवी० उपकेन्द्र का निर्माण–29 नग (121.5 एमवीए)

2–33 केवी उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि–83 नग (238 एमवीए)

3–33 केवी लाइनों का निर्माण–272 सर्किट किलोमीटर

(7) उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश की 11 केवी, एवं एल० टी० वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु भी परिषद् द्वारा अपने संसाधनों से रुपये 16.5 करोड़ की व्यवस्था की गयी है । इन कार्यों के पूर्ण होने से विद्युत वितरण व्यवस्था में कुछ सीमा तक गुणात्मक सुधार अपेक्षित है ।

(8) कानपुर नगर की विद्युत व्यवस्था एवं वितरण की सुदृढ़ करने हेतु प्रदेश शासन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के सहयोग से 19.2 करोड़ रुपये की प्रणाली सुधार योजना पर कार्य प्रगति पर है ।

(9) मुरादाबाद नगर की विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रणाली के अन्तर्गत रु० 8 करोड़ की योजना स्वीकृत है जिसका कार्य प्रगति पर है । उक्त योजना के अन्तर्गत 132 केवी० द्वितीय मुरादाबाद उप केन्द्र का लोकापर्ण दिनांक 6 अप्रैल, 1997 को किया जा चुका है ।

(10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र (आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद जनपदों के कुछ क्षेत्रों) में विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये 190 करोड़ रु० की योजना बनाई गयी है जिसमें लगभग 90 करोड़ रु० के कार्य प्रगति पर हैं । इस योजना के तहत किये जाने वाले कुछ कार्यों के भारत सरकार से भी 90 करोड़ रु० की धनराशि प्रदेश शासन/राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुई है जिससे संबंधित कार्य कराये जा रहे हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मा० मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, मैं जानना चाहता हूं, जैसा कि इसमें विद्युत सुधार का उल्लेख किया गया है, कई नगरों का उल्लेख किया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि वाराणसी नगर जो सारे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, वहां पर विद्युत व्यवस्था खराब है, तो क्या वाराणसी में विद्युत व्यवस्था को सुधारने की कोई योजना उनके विचारार्थ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सरकार पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिये प्रत्यनशील है । उसी सुधार के कार्यक्रम में वाराणसी जैसा प्रमुख नगर भी है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश में गंभीर विद्युत कठिनाई को देखते हुए एक भी मेगा वाट का संयत्र प्रदेश में नहीं लगाया गया तो क्या नवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत के गंभीर संकट को देखते हुए अतिरिक्त संयत्र लगाने की योजना है और उसे कब तक लगायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मैंने तो प्रथम प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया है और आज ऊर्जा का बजट है, जब उस पर बोलें तो अपनी बात कह दें ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि अभी बताया गया है कि मांग के सापेक्ष्य विद्युत उपलब्धता कम है, तो इसका क्या कारण रहा है, क्या इस कमी को आप सुधारेंगे और कोई कार्यक्रम बनायेंगे और क्या इस अव्यवस्था से बचने के लिये सरकार इसे प्राइवेट क्षेत्र को देने पर विचार कर रही है । आपने सुधार का संकल्प लिया है तो क्या बलिया जनपद में जो बिजली की स्थिति खराब है, वहां पर सिंगिल सर्किट लाइन लगाने पर विचार करेगें ?

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मा० मंत्री जी ने कानपुर नगर का उल्लेख किया है ।

श्री अध्यक्ष–

क्या मा० श्री राजधारी सिंह के प्रश्न का उत्तर आ गया ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, प्रथम प्रश्न के बारे में मैंने कहा है, जहां तक अव्यवस्था का प्रश्न है उसको सुधार करने का प्रयास हो रहा है । मान्यवर, मांग के अनुरूप जनरेशन नहीं बढ़ रही है और प्लान्ट भी नहीं लगा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर बहुत विस्तार में आ गया है । (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विद्युत उत्पादन के अलावा इसके वितरण से संबंधित जो मूल प्रश्न है उसके संबंध में जो पूछा उसका उत्तर स्पष्ट नहीं आया तो जो छोटे-छोटे सब स्टेशन 33/11 के हैं जो 3 साल पूर्ण आधे से ज्यादा बन चुके हैं । 50 फीसदी काम उनमें पूरा हो गया है जिनके न चलने से विद्युत वितरण गड़बड़ा रहा है तो उनको न पूरा करने का क्या कारण है । ऐसे सब-स्टेशन कितने हैं जिनमें आधा काम हो गया है वहां सामान पड़ा है उनको पूरा करने की निश्चित तिथि बताने की कृपा करेंगे । इसके साथ ही भाई राजधारी सिंह ने जो प्रश्न किया बलिया के संबंध में, उसका भी उत्तर नहीं आया । वहां 200 के०वी०ए० के सब स्टेशन बनाने की योजना लम्बित पड़ी है । सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है । वहां जो 132 के०वी०ए० का मेन लाइन है, वह कालातीत हो गयी है । इंजीनियरों का भी कहना है कि 5-10 साल पहले ही यह कालातीत हो चुकी है । उसके लिये क्या कोई व्यवस्था सरकार कर रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वैसे तो मा० चौधरी साहब जैसा मैंने बाल चन्द्र मिश्र जी के लिये कहा था कि आज ऊर्जा विभाग की अनुदान है उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। (व्यवधान)

माननीय मंत्री जी वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये बता दें। (व्यवधान) मैंने वैसे ही इस प्रश्न पर 5 मिनट से अधिक समय दे दिया है। 11.20 में अल्प सूचित प्रश्न का समय हो गया था उससे मैंने ऊपर 5 मिनट और दे दिये हैं। (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्न का उत्तर तो आने दें।

श्री अध्यक्ष–

जब सब माननीय सदस्य खड़े रहेंगे तो कैसे मैं मा० मंत्री जी को बुलवाऊं ? आप लोग पहले सब बैठ जायें। (व्यवधान) यह सारी बातें इस विभाग की अनुदान जब आयेगी, उसमें आप कह लें। मा० मंत्री जी वितरण व्यवस्था के बारे में बता दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जहां तक 33 के०वी० उपकेन्द्रों के निर्माण की बात है वह मैंने पहले ही बताया 33 के०वी० उपकेन्द्रों का निर्माण 29 नग इसी तरह उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि 83 नग (व्यवधान) मान्यवर, सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। (व्यवधान) उत्तर भी नहीं देने दे रहे हैं तो क्या बताऊं। मैंने अपने उत्तर में विस्तार से बताया है। (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सरकार विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है इसलिये मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है।

(श्री जगदम्बिका पाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये)

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, मुझे एक प्रश्न की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम प्रकाश जी अनुपूरक प्रश्नों की एक सीमा होती है। अब इस प्रश्न पर मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायगा।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, एक प्रश्न की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अगला प्रश्न ले लिया है, ओम प्रकाश जी आप क्षमा करें।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x] बिजली के सवाल को लेकर मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री अवधेश प्रसाद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश में विधायकों, सांसदों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार की नीति एवं व्यय

* 1–श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में विधायकों, सांसदों एवं अन्य सार्वजनिक, राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या ? ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु उ० प्र० में कितने सुरक्षा गार्ड तैनात हैं एवं उन पर कितनी धनराशि प्रतिवर्ष व्यय की जाती है ? क्या बढ़ते हुए सुरक्षा व्यय को जनहित में कम करने की शासन की कोई नीति है ?

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

जी हां ।

शासकीय नीति संक्षेप में निम्नवत् है :–

1–वर्तमान सांसदों/विधायकों को एक अंगरक्षक अथवा गनर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा,

2–वर्तमान सांसद अथवा विधायक यदि अतिरिक्त गनर की मांग करते हैं तो जीवन भय होने पर अतिरिक्त गनर 25 प्रतिशत व्यय पर दिया जायेगा,

3–पूर्व सांसदों/विधायकों, कुलपतियों को जीवन भय की दशा में 10 प्रतिशत व्यय पर सुरक्षा अनुमन्य होगी,

4–मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के प्रदेश स्तर के अध्यक्ष तथा महामंत्री को 10 प्रतिशत व्यय पर सुरक्षा अनुमन्य हो सकेगी,

5–सामान्य व्यक्तियों को जीवन भय होने पर 25 प्रतिशत व्यय पर सुरक्षा अनुमन्य होगी,

6–व्यवसायी व्यक्तियों को शत-प्रतिशत व्यय पर जीवन भय के आधार पर सुरक्षा अनुमन्य होगी,

7–जीवन भय संबंधी जनपदीय आख्या प्राप्त कर औचित्य पाये जाने की दशा पर सुरक्षा अनुमन्य कराने का निर्णय लिया जाता है ।

8–जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तथा शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में समिति का भी गठन किया गया है जो सुरक्षा अनुमन्य कराये जाने के औचित्य पर विचार करती है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में कुल 1827 व्यक्तियों के सुरक्षार्थ 2551 सुरक्षा कर्मी नियुक्त हैं। इन 1827 व्यक्तियों में से 887 व्यक्तियों को शासकीय व्यय पर सुरक्षा प्रदान की गयी है जिन पर रुपये 9,57,96,000 (नौ करोड़ सत्तावन लाख, छानवे हजार मात्र) का अनुमानित व्यय भार शासन को प्रतिवर्ष वहन करना पड़ता है। शेष 940 व्यक्तियों को आंशिक/पूर्ण भुगतान पर सुरक्षा अनुमन्य करायी गयी है।

प्रदेश की जनता को भयमुक्त वातावरण देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करना जनहित में आवश्यक होता है। वास्तविक आवश्यकता की दशा में ही विशेष सुरक्षा अनुमन्य करायी जाये, इसके लिए जिला स्तर एवं शासन स्तर पर समिति गठित की गयी और औचित्य पाये जाने की दशा में ही विशेष सुरक्षा अनुमन्य करायी जाती है।

श्री राजधारी–

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि पूर्व सांसदों/विधायकों को सुरक्षा गार्ड देने पर 10 प्रतिशत धनराशि लेंगे तो क्या यह जो 10 प्रतिशत धनराशि है इसको वापस करने पर सरकार विचार करेगी। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि प्रदेश की जनता को भयमुक्त वातावरण देने के लिये सरकार कटिबद्ध है। यदि भय मुक्त वातावरण है तो भयवश सुरक्षा गार्ड बढ़ने की मांग का औचित्य क्या है ? माननीय मंत्री जी ने सुरक्षा गार्ड दिये जाने के खर्च का विवरण दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बढ़ते हुये सुरक्षा खर्च को कम करने के लिये सरकार कोई स्पष्ट नीति बनाएगी जिससे जनता और शासन पर कोई व्यय भार न बढ़ सके ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, सांसदों और विधायकों को एक गनर या शैडो निःशुल्क सरकार खर्च पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त मांगने पर जो नीति बनी है उसके अनुसार 25 प्रतिशत व्यय पर दिया जाता है। माननीय सदस्य ने जो सुरक्षा पर खर्च हो रहा है उसको कम करने के लिये कहा है तो जो नीति बनायी गयी है उसका हम अनुपालन कर रहे हैं। तो उससे हमारे खर्चे में काफी कमी आई है। जैसा कि वर्ष 94 में हमें एक करोड़ 93 लाख रुपये प्रतिमाह देना पड़ता था। 95 में एक करोड़ 43 लाख प्रतिमाह देना पड़ता था और वर्ष 97 में जब से हमने इस नीति को अपनाया है लगभग 65 लाख रुपये प्रतिमाह देना पड़ता है। जहां दो करोड़ रुपये तक प्रतिमाह व्यय हो रहा था उसमें अब 65 लाख रुपये हो रहा है। हमने इस नीति को लागू करके कामयाबी हासिल की है।

श्री राजधारी–

मान्यवर, मेरा, इसी से संबंधित एक सवाल था कि एक्स एम० एल० ए० को 10 प्रतिशत सुरक्षा व्यय अंशदान के रूप में देना पड़ रहा है।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह हमने अपनी नीति में बता दिया है कि 10 प्रतिशत लेते हैं। शासन का कम से कम व्यय हो इस बात को भी ध्यान में रखा है और लोगों को सुरक्षा भी मिल जाय। इसीलिये यह 10 प्रतिशत रखा है जो आवश्यक रूप से नीडी हों उनको मिल सके ?

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पूर्व एम०एल०ए० हैं, उनके बारे में आप फर्मा रहे हैं कि नहीं दे पायेंगे और मंत्रियों के पीछे/जीप लगा दी है। यह व्यवस्था पहले नहीं थी। इसमें जो धन व्यय हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने कहा है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि यह निर्णय लिया गया और उसी के अनुसार जीवन भय को देखते हुए यह व्यवस्था की गई ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ माननीय सदस्यों को उनके जीवन के खतरे को देखते हुए एक अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड और एक गनर शैडो दे रखा है और उनसे 25 प्रतिशत पैसा वसूल किया जाता है । लेकिन जो माननीय सदस्य यह 25 प्रतिशत पैसा देने की अवस्था में नहीं हैं तो क्या उनका यह व्यय माफ करने का सरकार विचार करेगी ?

श्री बी० आर० वर्मा–

यह सुरक्षा व्यवस्था देने के बारे में दो समितियां बनी हैं । एक शासन स्तर पर और दूसरी जिला स्तर पर । शासन स्तर पर प्रमुख सचिव और जिला स्तर पर जिलाधिकारी एसेस करते हैं और रिपोर्ट देते हैं । उस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाती है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं इसके बारे में स्पष्ट नीति बनाई गई हैं और उसके अनुसार ही 25 प्रतिशत लिया जाता है ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, शासन विचारोपरान्त निर्णय देता है कि अमुक व्यक्ति का जीवन खतरे में है और उसके बाद उस माननीय सदस्य से कहा जाता है कि 25 प्रतिशत दे । अगर उस माननीय सदस्य की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो कि वह 25 प्रतिशत दे सके तो क्या उसकी सुरक्षा की गारन्टी सरकार नहीं लेगी ? किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर यह निर्णय नहीं लिया जाता है यह तो उसके जीवन की सुरक्षा को देखते हुए लिया जाता है । शासन विचारोपरान्त निर्णय लेता है कि उस व्यक्ति को एक गनर दे दिया जाय अगर माननीय सदस्य 25 प्रतिशत देने की स्थिति में नहीं है तो उसे धमकी दी जाती है कि वह गनर वापस कर दिया जायेगा । ऐसी स्थिति में जो जीवन पर खतरा है उसका क्या होगा ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जो नीति बनाई है उसके अनुसार एक गनर निःशुल्क देते हैं परन्तु दूसरा गनर जैसा हमने बतलाया कि दो कमेटियां हैं शासन स्तर पर व जिला स्तर पर उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है ।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो गार्ड लगे हुए हैं उनका टी० ए० बढ़ाया जाय । सात-सात महीने हो गये । यह अल्प वेतन भोगी हैं इनको टी० ए० नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष–

यह इसमें नहीं आता है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि क्या जिला स्तर की समिति और प्रदेश स्तर की समिति के द्वारा वर्तमान में विधायक या सांसद के साथ अतिरिक्त गनर की स्वीकृति दी जाएगी ? और अगर वह यह लिखकर देंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति अतिरिक्त गनर का खर्चा उठाने की नही है तो क्या उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी ?

श्री बी० आर० वर्मा–

हर पहलू पर विचार करना समिति की जिम्मेदारी है यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो उस पर भी समिति विचार करने में सक्षम होगी और उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा नहीं हो रही है इसको चर्चा का रूप न दीजिए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं यह पूरे सम्मानित सदस्यों की चिन्ता का विषय है ज़ो हम लोगों को गनर, अंगरक्षक उपलब्ध कराए गए हैं उनका पन्द्रह सौ रुपया टी० ए०, डी० ए० फिक्स कर दिया गया है इसकी वजह से घोर कुंठा व्याप्त हो गई है । जबकि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ जो व्यक्ति हैं उन्हें वास्तविक जो टी० ए० डी० ए० है, मिलता है तो जो गनर और अंगरक्षक हैं इनको हमारे साथ चाहे कितनी दूर जाएं उसके लिए प्रन्द्रह सौ रुपये न करके जो वास्तविक टी० ए० डी० ए० है वह दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न जो है वह यह है कि "क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधायकों सांसदों एवं अन्य सार्वजनिक, राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार की कोई नीति है ? टी० ए० डी० ए० की जो बात है यह मूल प्रश्न से नहीं निकलती है । वह सरकारी कर्मचारी हैं उनको अनुमन्य भत्ते मिलते होंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपके निर्णय के बाद कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है । नीति क्या है, सरकार इसको करने के लिए क्या कर रही है इसमें उत्तर दे दिया है कि यह नीति है और यह काम कर रही है इस नीति को लागू करके खर्चा कम करने में कामयाब हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता के बारे में जो बात है इसके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं हालांकि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इसका संबंध मान्यवर, मूल प्रश्न से नहीं है हर बिन्दु पर सूचना की जरूरत होगी ।

श्री पारसनाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सदन के संज्ञान में और सरकार के संज्ञान में हैं कि जिन लोगों के बारे में यह जानकारी मिल जाए कि इनका जीवन खतरे में हैं... और उनको जो अतिरिक्त गनर आप उपलब्ध कराऐंगे उस पर क्या 25 प्रतिशत या 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा ? इसकी स्पष्ट जानकारी आप दें ?

श्री बी० आर० वर्मा–

इस पर मैं कई बार उत्तर दे चुका हूं ।

श्री पारसनाथ यादव–

जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कमेटी बनी हैं जब वह तय करती हैं कि इनको अतिरिक्त गनर की आवश्यकता है तो वह गनर देने का अनुरोध करती हैं । मेरे ऊपर ए० के० 47 से हमला किया गया । इसको मैंने सदन में भी उठाया था । मुझे एक गनर उपलब्ध है । दूसरे जो अतिरिक्त गनर मुझे उपलब्ध कराया गया है उसके लिए नोटिस आ गई कि आप 25 प्रतिशत 10 तारीख तक नहीं जमा करेंगे तो आपका गनर हटा लिया जाएगा । मेरे बारे में जब यह सुनिश्चित जानकारी हो गई जिला स्तर से और प्रदेश स्तर की समिति के द्वारा भी संस्तुति की गई तो फिर यह 25 प्रतिशत वसूली का क्या औचित्य है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

श्री पारसनाथ जी के ऊपर खतरे को देखते हुए ही इनको अतिरिक्त गनर की व्यवस्था की गई । जो हमारी नीति है उसी नीति के तहत यह वसूली की जाती है । यदि किसी माननीय सदस्य को कोई परेशानी हो तो जिला स्तर पर व प्रदेश स्तर पर जो समितियां बनी हैं वहां पर अपनी बात रखें । वह समिति यह निर्णय लेगी कि इनको निःशुल्क गनर दिये जाएं या 25 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज लिया जाए ।

श्री पारसनाथ यादव–

कमेटी आपने जो जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर बनाई है वह तो सरकार द्वारा बनाई गई है । लेकिन जब सदन के सामने जो 14 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिबिम्ब है उसके सामने यह बात आ जाए कि इनके ऊपर ए० के० 47 से हमला किया गया है फिर भी मंत्री जी बार-बार समिति की बात कर रहे हैं तो यह सीधे-सीधे हीला हवाली करने वाली बात है । मंत्री जी इसे टालना चाहते हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप इस पर सरकार को निर्देशित करें ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का कहना है कि जिस माननीय सदस्य को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है 25 प्रतिशत पर अगर वह विधायक जिला स्तर की समिति के सामने अपनी बात कहे कि मुझसे 25 प्रतिशत न लिया जाए तो उस पर विचार किया जा सकता है । इसमें सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक स्थिति दोनों को जोड़ दिया गया है । ऐसे माननीय विधायक हो सकते हैं दूसरे कुछ ऐसे भी विधायक हो सकते हैं जिनकी सुरक्षा की तो जरूरत है लेकिन वह 25 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज देने की स्थिति में नहीं हैं लेकिन उनको सुरक्षा की आवश्यकता है तो वह जिला स्तर पर अपनी बात रखें । शासन की नीति इसमें लचीलेपन की ही है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह सदन सर्वोच्च है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तमाम लोगों को वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है । उनसे यह नहीं पूछा गया कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है ? यह सवाल कई माननीय विधायकों की सुरक्षा का है । उनके ऊपर गम्भीर खतरा है । इसको सरकार ने भी मान लिया है । तब कमेटी बीच में कहां आती है । यह सरकार का दायित्व है । और अगर कमेटी ही सर्वशक्तिमान है तो यहां के सदस्यों की सुरक्षा कैसे हो पायेगी और यह कहना कि 25 फीसदी दे पायेंगे या नहीं दे पायेंगे इसका कोई अर्थ नहीं है जिनको आपने "वाई", "जेड" और "जेडप्लस" केटेगरी की सुरक्षा दे रखी है क्या किसी से आपने पूछा है कि वह सुरक्षा व्यवस्था का 25 प्रतिशत खर्चा दे पायेंगे कदाचित आपने उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं पूछा । मान्यवर, अगर इस तरह से रहेगा तो यह सवाल हल नहीं हो पायेगा । आप कहते हैं कि सरकार के अन्दर लचीलापन है तो अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, कमेटी क्या राय देगी ? इसमें सरकार की तरफ से साफ-साफ आना चहिए कि जिन माननीय सदस्यों को जान का खतरा है और इस तरह की रिपोर्ट जिले से आयेगी तो उसके खर्चे का वहन सरकार करेगी, न कि वह माननीय सदस्य करेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने जिस नीति का उल्लेख किया उस नीति के अन्तर्गत जो दो कमेटियों का उल्लेख किया है यह शासन की पारदर्शिता नीति के तहत बनी हुई हैं और इसलिये हैं कि ताकि कल इस तरह का कोई आरोप सरकार के ऊपर न लगे कि सरकार राजनैतिक विद्वेष-वश इस तरह का निर्णय ले रही है इसलिये अधिकारियों की जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कमेटी बनायी गयी है जिसको भी गनर देते हैं जिले स्तर की कमेटी की रिपोर्ट मंगाते हैं और उस पर शासन स्तर पर निर्णय होता है उसके अनुरूप लागू

करते हैं । मान्यवर, कहीं कोई भेदभाव का आरोप न लगे इसलिये यह सिस्टम बनाया गया है जिले स्तर पर जो कमेटी है सक्षम अधिकारियों की है उनकी रिपोर्ट के बाद हम शासन स्तर पर विचार करके निर्णय लेते हैं ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका केवल इतना कहना है कि जब राज्य स्तर पर यह निर्णय ले लिया गया कि एक माननीय सदस्य को सुरक्षा देनी है फिर उसको आर्थिक स्थिति से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि आप उनकी सुरक्षा के प्रति आशंकित हैं इसीलिये आपने किया है । चूंकि शासन संतुष्ट है कि सुरक्षा की आवश्यकता है अर्थात जीवन को भय है इसलिये राज्य स्तर पर यह निर्णय हुआ कि इनको अतिरिक्त सुरक्षा दी जाये । जब सरकार संतुष्ट है कि इनको सुरक्षा दिया जाना चाहिए तो उसको आर्थिक स्थिति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, कुंवर साहब का सिर्फ इतना कहना है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

हमारे सामने दोनों बिन्दु हैं, पहले जिस तरह से मनमाना खर्च हुआ है पहले दो करोड़ रुपया खर्च हो रहा था ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह आपत्तिजनक बात है कि माननीय सदस्यों के प्रति मनमाना खर्च हो रहा है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाएं, उत्तर आ जाने दीजिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न है, उस मूल प्रश्न में माननीय सदस्य ने यह चिन्ता जाहिर की थी कि जो पैसा पहले ज्यादा खर्च हो रहा था । माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा था कि जो इतनी धनराशि प्रतिवर्ष खर्च हो रही है तो क्या बढ़ते हुये सुरक्षा व्यय को जनहित में कम करने की शासन की कोई नीति है । मान्यवर, इस खर्च को कम करने के लिये राष्ट्रपति शासन में एक नीति बनायी गयी उसी नीति का हम पालन कर रहे हैं । हमें दोनों चीजों को देखना है, माननीय सदस्यों के जीवन भय तथा जनहित में पैसा भी कम खर्च हो इसको देखकर ही काम होना है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्य एक साथ न बोलें । एक माननीय सदस्य बोलें तो बात स्पष्ट होगी । इसलिए आप लोग बैठ जायं ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जिस दृष्टि से मैंने अपनी बात आपके सामने रखी थी, थोड़े माननीय सदस्यों की जो जिज्ञासा थी, उसके संबंध में मैंने अपने शब्दों में बात आपके सामने रखी थी । इसलिए मेरा अनुरोध है शासन इस बात पर विचार कर ले कि माननीय सदस्यों की सुरक्षा को उनकी आर्थिक स्थिति से न जोड़ा जाय । जब उच्चस्तरीय निर्णय लेते हैं तो आप संतुष्ट हैं उनकी सुरक्षा के प्रति, उनकी जान की सुरक्षा के प्रति इसलिए इसको आर्थिक स्थिति से न जोड़ें और स्पष्ट नीति जो सामान्यतः माननीय सदस्यों को स्वीकार हो ऐसा निर्णय करने का प्रयास करें तो अच्छा होगा ।

प्रदेश के कई स्थानों पर चल रहे स्टोन क्रशिंग प्लान्ट में अधिनियम के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के निर्देश

*2–श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि केन्द्रीय एवं उ० प्र० सरकार के आदेशों के बावजूद, ओबरा, डाल, बिल्ली, ललितपुर तथा झांसी आदि स्थानों पर स्टोन क्रशिंग प्लाण्ट अबाध गति से चल रहे हैं ? क्या यह सही है कि इससे आस-पास के क्षेत्रों/वनों का वातावरण प्रदूषित हो रहा है और सामान्य जन-स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे बन्द कराने हेतु कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा स्टोन क्रशिंग प्लान्ट बन्द करने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किये गये हैं । ओबरा, डाला, विल्ली, ललितपुर तथा झांसी आदि स्थानों पर लगभग 175 स्टोन क्रशिंग प्लान्ट चलाने से वातावरण प्रदूषित होने की सम्भावना रहती है ।

स्टोन क्रशिंग प्लान्टस में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने एवं उनके विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने हेतु दिनांक 27-6-97 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना गम्भीर है कि इसके बारे में प्रश्न उठते रहते हैं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वहां 175 स्टोन क्रशिंग प्लान्ट लगे हैं और कम से कम 500 ऐसे प्लान्ट हैं जिनका संज्ञान राज्य सरकार को नहीं है और वह अवैध रूप से चल रहे हैं । इस प्रश्न को यहां उठाते ही तमाम माफिया सक्रिय हो गये हैं और जैसा कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलकर इसके संबंध में बात आपके संज्ञान में लाया हूं । मुझे फोन पर तमाम धमकियां जान से मारने की दी गई हैं और धमकी दी गई है कि विधान सभा में अनुपूरक प्रश्न करेंगे तो जान से मार दिया जाएगा । इन्होंने अपने उत्तर में वर्तमान शब्द का उल्लेख किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान शब्द का क्या अर्थ है, क्या इसके पूर्व में कोई इस तरह का आदेश है और क्या पूर्व के आदेश की ग्राह्यता वर्तमान सरकार में समाप्त हो गई है, क्या उसको लेकर यह सरकार कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि कितने क्रशिंग प्लान्ट पर धारा 31ए की कार्यवाही करने की बात हो चुकी है और कितने प्लांट पर की गयी है तथा कितने प्लान्ट्स ने नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट प्राप्त किया है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य को वर्तमान शब्द से कुछ शंका पैदा हुई है, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि पूर्व में भी इसको बंद करने के आदेश नहीं थे बल्कि पूर्व में जो आदेश थे, वह 17 श्रेणी के जो हाईली पाल्यूटिंग नेचर की जो इण्डस्ट्री हैं, उसके बाहर की इंडस्ट्री इसको घोषित किया गया था । पूर्व में लोगों की जनभावना को देखते हुये, विकास को देखते हुये पूर्व सरकार में यह निर्णय लिया गया था कि इसको एन० ओ० सी० की भी जरूरत नहीं है, इनको एन० ओ० सी० से भी मुक्त कर दिया गया था, इसका नतीजा यह हुआ कि जिसने जो चाहा, उद्योग लगा लिया । तब सरकार को, उद्योग विभाग को इसकी सूचना देने की भी जरूरत नहीं थी । लेकिन अब स्टोन क्रशिंग प्लान्ट से वायु प्रदूषण की संभावना है, इस बात को देखते हुये हमने इनके खिलाफ कार्यवाही करना शुरू किया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में, सरकार के आदेश के विरुद्ध एक वाद संख्या 202/95 वर्धन बनाम भारत सरकार दायर हुआ था, जिसमें स्पष्ट आदेश हैं कि सभी प्रकार के माइन्स तथा मिनरिल्स के

जो प्लान्ट हैं, वह भारत सरकार की अनुमति के बिना नहीं लगाये जा सकते, न ही चलाये जा सकते हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने बताया कि पूर्व में इनको एक्जेम्ट रखा गया था और एन०ओ०सी० की भी जरूरत नहीं थी, परन्तु बाद में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को देखते हुये, हम उन्हें एन०ओ०सी० तथा कन्सेन्ट के लिये रखे हुये हैं । जितने भी स्टोन क्रशिंग प्लान्ट हैं, उनके खिलाफ शो काज नोटिस इश्यू हुई है और चूंकि इनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिये पेपर पब्लिश करके किया गया है ताकि कोई यह न कह सके कि हमको जानकारी नहीं मिली । यह सरकार इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने के लिये कृत संकल्प है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

मान्यवर, धमकी के बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य को धमकी के संबंध में कोई जवाब नहीं मिला । उनको फोन पर अनुपूरक न पूछने के संबंध में धमकी मिली है, इसके बारे में तो उत्तर आना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाये दे रहा हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, बड़ी प्रसन्नता की बात है देर से ही सही सरकार अनुभव करती है कि यह स्टोन क्रेशर प्लान्ट वायु प्रदूषण फैला रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया, आप इसके लिए समाचार पत्रों में नोटिफिकेशन कर चुके हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन स्टोन क्रेशर के मालिकों को कोई समयबद्ध सीमा दी गई है कि इस माह तक इस तारीख तक आप यहां पर वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्लान्ट लगवा लेंगे अगर कोई समय सीमा दी गई है तो बात सामने आ जानी चाहिए अगर नहीं दी गई है तो क्या वर्षों तक इस मामले को लटकाया जायेगा या समय सीमा समाप्त होने के बाद उसके एक दिन बाद कोई स्टोन क्रेशर नहीं चलायेगा जो प्रदूषण फैला रहे हैं और वायु प्रदूषण का प्लान्ट नहीं लगाये हैं ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो हमने नोटिस दी है विधिक तौर पर उसमें 15 दिन का समय होता है शोकाज का जवाब देने के लिए 15 दिन के बाद उनके जवाब को हम मुख्यालय पर परीक्षण करते हैं उसके बाद जिस डाइरेक्शन की आवश्यकता है उस तरह का डाइरेक्शन देते हैं, कार्यवाही करते हैं । माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है तो मैं बता देना चाहता हूं जो समय हमने दिया है उसमें बहुत सारे लोगों के जवाब आ चुके हैं जिनके नहीं आये हैं शीघ्रति-शीघ्र उनके लिए हम कार्यवाही करेंगे और निश्चित तौर पर जो लोग उसके दोषी पाये जायेंगे उनको बन्द भी करायेंगे इसमें कोई हीला हवाली नहीं होगी ।

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिम कार्बेट पार्क जो 150 कि०मी० की परिधि में है...

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए आप अलग से प्रश्न करिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं (व्यवधान) मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी क्या इसकी जानकारी आपको है यदि है तो उसके अनुरूप इस तरह की कार्यवाही विभाग से करायेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, निश्चित तौर पर इसमें कार्यवाही हो रही है ।

*3–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण चिरस्त]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

(तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं ।

प्रदेश की फौजदारी अदालतों में लम्बित मुकदमें एवं उसके निस्तारण की संख्या नई अदालतें स्थापित करने की व्यवस्था

*1–श्री सुशील शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की फौजदारी अदालतों में वर्तमान में कितने मुकदमें लम्बित हैं तथा पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने मुकदमों का निस्तारण हुआ ? क्या सरकार मुकदमों की अधिक संख्या को देखते हुए जनता को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु जनहित में नई अदालतें स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

प्रदेश की फौजदारी अदालतों में दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 तक लम्बित मुकदमों की संख्या निम्न प्रकार है :–

(क) सत्र न्यायालय में विचाराधीन 2,22,628

(ख) अन्य फौजदारी न्यायालयों में विचाराधीन 18,35,193

पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष निस्तारित किये गये मुकदमों की संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष	सत्र न्यायालय द्वारा निस्तारित	अन्य फौजदारी न्यायालयों द्वारा निस्तारित
1994	129177	1364605
1995	133607	1106885
1996	131439	1485774

नई अदालतें स्थापित करने हेतु मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा विचार किया जाता है । तद्नुसार नये न्यायालयों की स्थापना की जाती है । वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 70 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों की स्थापना हेतु व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त 8 नवसृजित जनपदों में भी नये न्यायालय स्थाति किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । छोटे-छोटे अपराधों का निस्तारण करने हेतु मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 74 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पदों का सृजन कर उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दिया गया है ।

उपरोक्त प्रस्तावानुसार अतिशीघ्र न्यायालयों की स्थापना किये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

सदस्य श्री विनय कुमार पाण्डे जी उपस्थित नहीं हैं ।

पी० एल० ए० के संबंध में शासन की नीति एवं मानक निर्धारण

*2–श्री विनय कुमार पाण्डेय ''विन्नू''–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि शासन के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पी०एल०ए० (परसनल लेजर एकाउन्ट) खोले जाने के संबंध में वित्त

विभाग द्वारा क्या नीति एवं मानक निर्धारित किए गए हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विभिन्न विभागों द्वारा खोले गये पी० एल० ए० खातों का तथा उनमें जमा धनराशि का कोई लेखा-जोखा वित्त विभाग द्वारा रखा जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वाह्य सहायतित योजनाओं, केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं एवं आयोजनागत पक्ष से सम्बन्धित योजनाओं की धनराशि, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व स्वीकृत की जाती है और जिसका व्यय समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर अल्प समय में करना सम्भव नहीं हो पाता, सामान्यतया वही धनराशि वैयक्तिक लेखा खाते में जमा कराई जाती है ।

जी हां ।

जी हां ।

[सोमवार, दि० 11 अगस्त, 1997 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद के थाना कुमारगंज में दलित उत्पीड़न की अंकित घटनायें एवं कार्यवाही

*1–श्री मित्रसेन यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1996 से माह जनवरी, वर्ष 1997 तक जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत थाना कुमारगंज में कुल कितनी दलित उत्पीड़न की घटनायें अंकित की गयी हैं ? उनमें अब तक प्रगति रिपार्ट एवं सुरक्षात्मक कार्यवाही क्या है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

माह जनवरी, 1996 से माह जनवरी 1997 के दौरान थाना कुमारगंज में कुल 9 दलित उत्पीड़न की घटनायें अंकित की गई हैं ।

सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस मौके पर सतर्क दृष्टि रखे हुए है ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, आरोप पत्र न्यायालय में कब भेजे गये और यह किन-किन तारीखों की घटनायें हैं ? पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता मिल गई या नहीं ?

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरे पास पूरी सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

केवल क्षतिपूर्ति के बारे में ही बता दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, चार्जशीट दी गई, जो न्यायालय में विचाराधीन है । आर्थिक सहायता के लिए जो बात है, जल्दी से जल्दी हम वह आर्थिक सहायता उपलब्ध करा देंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो उत्तर में उपाय बनाये गये हैं ।

*2–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[पांचवे मंगल के ता० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने की कार्य योजना का विवरण

*3–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने हेतु शासन ने कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जी हां ।

शासन ने कानून व्यवस्था को सुधारने की कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नवत कार्यान्वयन किया है :-

1–बड़ी प्रशासनिक इकाइयों का विघटन करके आठ नये जनपद तीन नये परिक्षेत्र तथा एक नये जोन का सृजन ।

2–भारत नेपाल सीमा पर तस्करी/वन माफियाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु दो विशेष जोन तथा चार विशेष परिक्षेत्र का गठन ।

3–विशेष जोन का प्रभार पुलिस महानिरीक्षक तथा विशेष परिक्षेत्रों का प्रभार पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को दिया गया है ।

4–सीमावर्ती जोन/परिक्षेत्र का पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को दिया गया है ।

5–अपराध नियंत्रण/कानून व्यवस्था का पाक्षिक समीक्षा थानावार जोनल पुलिस महानिरीक्षक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा की जा रही है ।

6–आवश्यकतानुसार माफियाओं/सक्रिय अपराधियों पर एन० एस० ए० गैंगस्टर ऐक्ट, गुण्डा अधिनियम का उपयोग किया जा रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो उत्तर में उपाय बताये गये हैं ।

उनके बाद भी कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आ रही है । राजधानी में अभी तीन गम्भीर घटनायें घटीं, आज तक अपराधी नहीं पकड़े गये । तो मान्यवर, सरकार क्या उपाय करेगी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो ? दूसरे, जो घटनायें राजधानी और अन्य जगहों पर घटी हैं जिनमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है इसके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह कार्य योजना लागू होने के बाद जो यह माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अपराधों में वृद्धि हुई है तो माननीय सदस्य को आंकड़ों के माध्यम से यदि आप अनुमति दें, तो बता देना चाहता हूं कि उसमें अपराध पहले के कम्परीजन में घटे हैं, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है । लखनऊ के बारे में भी मेरे पास आंकड़े हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

हमें आप परिणाम बतायें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर कुछ नये उपाय किये गये हैं । हर 15 दिन में थाने- वार समीक्षा होती है कि किस-किस तरह के अपराध दर्ज हुए और क्या स्थिति है । यह सारी समीक्षा के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसकी रिपोर्ट शासन स्तर पर भेजेंगे और वहां पर समीक्षा की जायेगी कि वहां क्या आवश्यकता है, क्या तब्दीली लाई जाये । मान्यवर, हम सतर्कता बरत कर इस

प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं । उसके काफी संतोषजनक परिणाम आ रहे हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, अपराध पर नियंत्रण पाने में यह सरकार असफल है । बहुत से लोगों की यह भी मानना है कि बढ़ते अपराधों का एक कारण यह भी कि फौजदारी मुदकमों का अनेक वर्षों तक निस्तारण नहीं हो पाता है । लाखों फौजदारी के मुकदमें न्यायालयों में लम्बित पड़े हुए हैं । सरकार इन मुकदमों को निस्तारण के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आज इसी संबंध में एक प्रश्न भी था । माननीय फौजदारी के मुकदमें कम हों इसके लिये हम न्यायालय की संख्या बढ़ा रहे हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या समीक्षा समितियों की रिपोर्ट शासन में आ गई है और उनमें क्या-क्या कमियां दर्शायी गयी है ? और इन कमियों को दूर करने के लिये क्या उपाय सुझाये गये हैं ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पाक्षिक रिपोर्ट शासन को प्राप्त होती है, थानेवार प्राप्त होती है, और उसमें कारण नजर आते हैं, उनकी समीक्षा की जाती है । यह समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर होती है, जो मण्डलीय बैठकें माननीय मुख्य मंत्री जी देती हैं, उसमें भी प्रमुख बिन्दु कानून-व्यवस्था का रहता है । मान्यवर, जो कारण समीक्षा के बाद उभर कर आये हैं, उसके तहत हमने नये जोन बनाये, बार्डर पर कोशिश की गयी है, जो बड़े जिले थे, उनमें जिलों को छोटा बनाया है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, चार महीने के अन्दर प्रदेश में कितनी हत्यायें हुईं, कितनी डकैती हुई ?

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत विस्तीर्ण है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, अभी बताया गया कि बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था में सुधार लाने के लिये समीक्षा बैठकें हो रही हैं, मण्डलीय बैठकें हो रही हैं, तो माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि इन बैठकों में कौन से बिन्दु ऐसे उभर कर आये हैं जिन्हें अगर अमल में लाया जाये तो कानून व्यवस्था सुधर सकती है ? समीक्षा के दौरान कौन-कौन से सुझाव आये और उन सुझावों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही अर्ज किया कि आई० जी० स्तर पर, डी० आई० जी० स्तर पर व थानेवार जो समीक्षा होती है, उसकी रिपोर्ट शासन में आती है और शासन स्तर पर उसका परीक्षण किया जाता है । मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर प्रमुख सचिव, सारांश में उसकी समीक्षा करते हैं ' समीक्षा के दौरान जो कमियां उभर कर सामने आती हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर यह विचार किया जाता है कि कौन से उपाय किये जायं जिससे कानून-व्यवस्था बेहतर हो सके । माननीय नेता विरोधी दल जी ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है, उसकी के अनुरूप जो बिन्दु उभर कर सामने आये, उसमें एक तो क्षेत्र बढ़ा है और दूसरा उच्च अधिकारी उसमें उपलब्ध नहीं होते हैं । इसी के अनुसार दो क्षेत्रों का गठन किया गया ताकि सुदृढ़ीकरण किया जा सके और उसी के तहत छोटे-मोटे जिले बनाये गये ताकि कानून-व्यवस्था में सुधार हो सके । यह सब समीक्षा के आधार पर ही किया गया है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, समीक्षा के दौरान कौन-कौन से बिन्दु आये जिस पर कार्यवाही पर कानून-व्यवस्था में सुधार हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बताया तो, एक तो क्षेत्र बढ़ा है और दूसरा अधिकारियों की बात कही ।

प्रश्नों क समय समाप्त हुआ ।

(सदस्यगण के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है । मुझे आगे के काम लेने दें । आप सब एक साथ बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आ पायेगा । मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं बोलने की ।

श्री समर पाल सिंह–

[x x x x x x]

प्रदेश के कतिपय जनपदों में 30 बोर के पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्रों की दूकानों पर पाये जाने की घटना

*4–डा० सरजीत सिंह डग–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के कुछ जनपदों में 30 बोर (थर्टी बोर) के पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्रों की दुकानों तथा अन्य स्थानों पर बरामद हुए हैं ? क्या 30 बोर के शस्त्र लाइसेंस विधिक रूप से जारी किये अथवा बेचे जा सकते हैं ? यदि नहीं, तो इस षड़यंत्र के पीछे कौन सी शक्ति है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

बरामद किये गये सभी शस्त्र विदेशी हैं जिनको विधिक रूप से खरीदा अथवा बेचा नहीं जा सकता ।

इस संबंध में लिप्त पाये गये सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करके तथा उक्त शस्त्र पुलिस द्वारा जब्त करके न्यायालय भेजे गये हैं । इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण मामले की प्रत्येक पहलू से गहनतापूर्वक जांच हेतु अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को निर्देशित किया जा चुका है । संबंधित अभियोगों का पर्यवेक्षण केन्द्रीकृत रूप में अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) द्वारा किया जा रहा है ताकि विदेशी शस्त्रों की आमद के संबंध में सभी तथ्यों का अनावरण हो सके ।

पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी द्वारा नेपाली युवकों को प्रशिक्षित करके भारत में आतंक फैलाने की आशंका से पुलिस सचेत

* 5–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में उन्माद फैलाने के लिये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी नेपाली युवकों को प्रशिक्षित कर उन्हें राज्य भर में सक्रिय किया गया है ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

---

* नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 3 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

सुश्री मायावती–

संदर्भित जानकारी प्राप्त हुई, परन्तु उसकी पुष्टि सत्यापित नहीं हुई ।

एहतियाती तौर पर निम्नांकित उपाय किये गये :–

नोट :– तारांकित प्रश्न सं० 3 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

(1) संदिग्ध व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने तथा उनकी विध्वंसकारी गतिविधियों को विफल करने हेतु पुलिस एवं अभिसूचना तंत्र को सचेत किया जाना ।

(2) राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिये जाना ।

(3) सीमा के बेहतर प्रबन्धन हेतु वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए अपर महानिदेशक, दो आई०जी० (बार्डर) तथा 4 डी० आई जी० (बार्डर रेंज) के पदों का सृजन किया गया है ।

(4) दोनों देशों की एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है ।

प्रदेश में आलू भण्डार हेतु कोल्ड स्टोरेज पर नियंत्रण की मांग

*6–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के किसानों के हित के लिये कोल्ड स्टोरेज पर नियंत्रण हेतु सरकार ने प्रति कुन्तल आलू का किराया तय कर रखा था ? क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस वर्ष यह नियंत्रण हटा लिया, जिससे कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने की दर इस वर्ष 60/- से 120 प्रति कुन्तल कर दी है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या औचित्य है ?

सुश्री मायावती–

जी हां । उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम–1976 की धारा–29 के अन्तर्गत शीतगृह में आलू भण्डारण का प्रति कुन्टल अधिकतम किराया निश्चित करने का मूल अधिकार दिनांक 15 अप्रैल, 1997 तक राज्य सरकार में था । उ०प्र० कोल्ड स्टोरेज विनियमन संशोधन अधिनियम 1997 के द्वारा धारा–29 के संशोधन के परिणामस्वरूप आलू भण्डारण के लिए प्रति कुन्टल अधिकतम प्रभार निर्धारित करने के लिए लाइसेंसधारी इस प्रतिबन्ध के साथ स्वतंत्र है कि यदि राज्य सरकार लाइसेंसधारी द्वारा निश्चित प्रभार अयुक्तियुक्त अधिक पाती है तो लाइसेंसधारी द्वारा निश्चित प्रभार समाप्त कर अधिकतम प्रभार अधिसूचित आदेश द्वारा निश्चित कर सकेगी ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रुपया 120/- प्रति कुन्टल आलू भण्डारण प्रभार किसी कोल्ड स्टोरेज स्वामी द्वारा नहीं लिया जा रहा है, वरन् रु० 60/- से 90 प्रति कुन्टल प्रभार शीतगृह स्वामी द्वारा निश्चित किये जाने की सूचना है ।

बन्द शीतगृहों को पुनः चालू करने, शीतगृह उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से संशोधन किया गया है ।

उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न पंजीकृत आपराधिक मामले एवं कार्यवाही

*7–श्री प्रमोद कुमार, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री हरिशंकर तिवारी तथा श्री अखिलेश कुमार सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1997 से 20 जून, 97 तक दलित उत्पीड़न में कितने आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में पंजीकृत किये गये हैं ? हरिजन ऐक्ट के अन्तर्गत कितने मुकदमें कायम किये गये हैं ? क्या उनमें कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 1-4-97 से 3-6-97 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा घटित पंजीकृत अपराधों की संख्या, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपराधों की संख्या व कृत कार्यवाही के विवरण निम्नानुसार है :–

अपराध का प्रकार	पंजीकृत	आरोप पत्र प्रेषित	अन्तिम रिपोर्ट	विवेचनाधीन
1–हत्या	96	61	6	29
2–गम्भीर चोट	195	152	9	34
3–बलात्कार	102	72	12	18
4–आगजनी	91	49	25	17
5–भा०द०वि० के अन्य हस्त० अपराध	1489	603	146	740
6–अनु० जाति/जनजाति (अ०नि०) अधिनियम	1111	849	89	173
योग––	3084	1786	287	1011

जनपद देहरादून के जी० आई० टी० आई० में विज्ञान अध्यापकों के स्थायी किये जाने की मांग

*8–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० आई० टी० (युवक) देहरादून में कितने ऐसे विज्ञान के अध्यापक हैं जिन्होंने बीस वर्ष या उससे अधिक की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है ? क्या यह सही है कि उन्हें अभी तक स्थाई नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें तुरन्त स्थाई किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

जी० आई० टी० आई० देहरादून (युवक) में विज्ञान व्यवसाय में तीस वर्ष या उससे अधिक की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले एक अनुदेशक हैं, जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ।

उक्त अनुदेशक विभाग में विज्ञान अध्यापक के पद की निर्धारित योग्यता बी०एस०सी०, एल०टी० पूर्ण नहीं करते हैं । इस कारण स्थायी नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर में कप्तानगंज डिस्टलरी द्वारा गण्डक नदी में प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण की मांग

*9–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि कप्तानगंज डिस्टलरी, जनपद कुशीनगर द्वारा छोटी गण्डक नदी में प्रदूषित उत्प्रवाह छोड़े जाने के कारण देवरिया तथा पड़रौना जनपद में उक्त नदी के आस-पास गांवों में भयंकर प्रदूषण फैलता है ? क्या यह सही है कि वहां के नागरिक क्षय रोग तथा अन्य गम्भीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिये लगाये गये संयंत्रों का इस्तेमाल उस इकाई द्वारा बहुत ही कम किया जाता है ? यदि हां, तो उस औद्योगिक इकाई के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जी नहीं । किन्तु प्रदूषण की समस्या कुछ सीमा तक विद्यमान है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

नियमानुसार कार्यवाही की गयी है ।

जनपद मैनपुरी में फैक्ट्रियों के दूषित जल से उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण की मांग

*10–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल प्रदूषण रोकने की क्या नीति है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में बहने वाली ईशन नदी का पानी कई फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी से प्रदूषित हो गया है ? क्या यह भी सही है कि इस प्रदूषण से लाखों रुपये की मछलियां व जानवर मर गये ? यदि हां, तो क्या सरकार इस जल-प्रदूषण को रोकने का कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी०आर० वर्मा–

प्रदेश में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण तथा जल की पूर्ण गुणता को बनाये रखने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 बनाया गया था । इस अधिनियम की धारा–24 के अन्तर्गत प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ऐसे पदार्थ सरिता में नहीं डालेगा जो बोर्ड के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं है । इसी अधिनियम की धारा 25/26 के अन्तर्गत प्रत्येक उद्योग को अपने बहिस्त्राव के निस्तारण हेतु बोर्ड से प्रत्येक वर्ष सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है ।

उक्त के अनुक्रम में बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिये जाते हैं तथा उन्हीं उद्योगों को उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति प्रदान की जाती है, जो उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र स्थापित कर उसका प्रभावी संचालन करते हुये बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों की प्राप्ति करने में सक्षम होते हैं । जिन उद्योगों द्वारा बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है उनके विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाती है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा जनपद के माधौपुर में श्री के० पी० सिंह की जघन्य हत्या में लिप्त पुलिस कर्मियों को दण्डित करने का मामला

*11–श्री विनय कुमार पाण्डेय उर्फ "विन्नू"–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में गोण्डा जनपद के माधौपुर काण्ड में तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक गोण्डा (श्री के० पी० सिंह) की सहयोगी पुलिस कर्मियों द्वारा की गयी जघन्य हत्या की जांच किस एजेन्सी द्वारा करायी गयी थी और उक्त हत्याकाण्ड की जांच प्रगति किस स्तर पर है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त हत्याकाण्ड में जांच एजेन्सी द्वारा दोषी पाये गये पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध वाद चलाने की अनुमति शासन द्वारा दे दी गयी है ? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सी० बी० आई० द्वारा जांच पूर्ण कर मामला न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

जी हां ।

उक्त काण्ड में दोषी पाये गये अभियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति 30-11-89 को प्रदान की गई :–

(1) बी० एम० शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक
(2) रामपाल सिंह, निरीक्षक
(3) के० पी० राय, निरीक्षक
(4) आर० के० त्रिपाठी, निरीक्षक
(5) आर० बी० सरोज, उपनिरीक्षक
(6) टी० आर० पाल, उपनिरीक्षक
(7) नसीम अहमद, उपनिरीक्षक
(8) आर० बी० यादव, उपनिरीक्षक
(9) मंगला सिंह, उपनिरीक्षक
(10) परवेज हुसैन, उपनिरीक्षक
(11) श्री कान्त पाण्डेय, उपनिरीक्षक
(12) गया प्रसाद तिवारी, उपनिरीक्षक
(13) आर० पी० सिंह, उपनिरीक्षक
(14) आर० के० दीक्षित, पी० ए० सी० सूबेदार
(15) रामनायक पाण्डेय, हे० कां०
(16) राम करण यादव, सिपाही
(17) प्रेम सिंह हे० कां (पेशकार)
(18) सतनाम तेवारी, सिपाही
(19) जंग बहादुर यादव, सिपाही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के औद्यानिक विकास हेतु विकास खण्डों पर आवश्यक व्यवस्था

*12–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत उद्यान क्षेत्र के विकास को गति देने हेतु कितने उद्यान विशेषज्ञ तैनात हैं ? क्या इन विशेषज्ञों की तैनाती विकास खण्ड स्तर पर कार्य विभजन के आधार पर की जाती है ? यदि हां, तो क्या इनके द्वारा नियमित रूप से किसानों की शिकायतों का निवारण एवं उचित जानकारी हेतु ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत उद्यान क्षेत्र के विकास को गति देने के लिये उद्यान विशेषज्ञ का कोई पद स्वीकृत नहीं है परन्तु विशेषज्ञ, उद्यान वर्ग–2 के 12 पद खण्ड विकास स्तर पर स्वीकृत हैं ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सब इन्सपेक्टर को डिप्टी एस० पी० एवं कान्स्टेबिल के समान सभी सुविधाओं से युक्त ट्रेनिंग कराने की मांग

*13–डा० राम बाबू हरित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि डिप्टी एस० पी० कान्स्टेबिल की तरह सेवा नियुक्ति के समय ही सभी सुविधाओं से युक्त ट्रेनिंग कराने का अनुपालन सब-इन्सपेक्टर को भी देने को सरकार की कोई नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो यह कब से लागू होगी ? क्या सरकार इन्सपेक्टर की प्रोन्नति नीति वरीयता समयावधि के अनुसार करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाने वाला चयन रिक्तियों के समक्ष नहीं किया जाता, अपितु आगामी सम्भावित रिक्तियों के आधार पर केवल प्रशिक्षण के लिये किया जाता है । चूंकि प्रशिक्षण के समय अभ्यर्थी उप निरीक्षक नहीं होते, केवल कैडेट होते हैं और कैडेटों को वेतन दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है, अतः प्रशिक्षण की अवधि में इन्हें प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है, जो रु 1000/- प्रति मास है । प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त करने के उपरान्त जब इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति उप निरीक्षक के पद पर कर दी जाती है, तब उन्हें नियमित वेतन मिलने लगता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले उप निरीक्षकों में से रिक्तियों से 4 चुने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर श्रेष्ठता सूची बनायी जाती है और इनमें से रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान कर दी जाती है । इस नीति में किसी परिवर्तन की उपयोगिता नहीं पायी गयी है ।

जनपद मथुरा में श्री अशोक शर्मा आदि भा०ज०पा० कार्यकर्ताओं की हत्या किये जाने के संबंध में कार्यवाही

*14–श्री राम देव आचार्य–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 जून, 1997 की प्रातः श्री अशोक शर्मा भाजपा कार्यकर्ता तथा उनके चचेरे भाई बजरंग शर्मा उर्फ पप्पू एवं उनके वाहन चालक मोहन सिंह की आग्रेरज मंदिर वृन्दावन जनपद मथुरा के सामने हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो अब तक अभियुक्तों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? क्या चश्मदीद गवाह श्री नारायण दास अग्रवाल ने हत्यारों की धमकी के बाद 16, 19 तथा 23 जून को अपनी सुरक्षा के लिये अंग रक्षकों की मांग की है ? यदि हां, तो क्या उनको स्थायी सुरक्षा प्रदान की गयी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां । घटना के संबंध में वादी गुरुदेव शर्मा द्वारा थाना वृन्दावन, जनपद मथुरा में लिखायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना कारित करने वालों में नामजद अभियुक्तगण विजय उर्फ बंटी पुत्र विक्रम सिंह तथा विजय गोस्वामी पुत्र राम किशोर व तीन अज्ञात अभियुक्तों में से विजय उर्फ बंटी, विजय गोस्वामी तथा (तीन अज्ञात अभियुक्तों में से विवेचना के मध्य ज्ञात हुए दो अभियुक्तों पुष्पेन्द्र पुत्र दीवान सिंह व प्रेमवीर उर्फ बाबी में से) पुष्पेन्द्र के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई है तथा इन तीनों

के विरुद्ध आरोप पत्र भी न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं । प्रेमवीर उर्फ बाबी के विरुद्ध धारा 82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही के आदेश न्यायालय से प्राप्त किये जा चुके हैं । एक अज्ञात अभियुक्त का अभी पता नहीं चल सका है ।

इसके अतिरिक्त घटना का षडयन्त्र बनाने वालों में कथित अभियुक्तगण विक्रम सिंह, रंजीत सिंह, हरिओम पुत्रगण किशन, चरन सिंह पुत्र रम्मो सिंह निरीक्षक श्री शेरपाल सिंह व आरक्षी सत्यवीर में से रंजीत सिंह के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई व आरोप पत्र भी न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । उक्त षडयंत्र बनाने वाले नामित अभियुक्तगणों में से जेल में पूर्व से निरुद्ध विक्रम सिंह, हरिओम व चरन सिंह के विरुद्ध भी आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं । निरीक्षक शेरपाल सिंह के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं तथा आरक्षी सत्यवीर सिंह फरार चल रहा है ।

इस प्रकार 11 में से 8 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं, एक के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिला, एक फरार चल रहा है तथा एक अज्ञात है ।

जी हां । श्री नारायण दास अग्रवाल की मांग पर समुचित विचारोपरान्त उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर दी गई है ।

उत्तराखण्ड के विधायकों को दायित्वों व कर्तव्यों के निष्पादन हेतु वाहन तथा अन्य सुविधाओं की मांग

*15–श्री नारायण राम दास–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में विधायकों के बढ़ते दायित्व व कर्तव्यों को देखते हुए विशेषकर उत्तराखण्ड के दूरगामी अंचलों से आने वाले विधायकों को अपने दायित्वों व कर्तव्यों के सफल निष्पादन हेतु उन्हें क्षेत्र में वाहन सुविधा तथा प्रार्थना-पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु स्टेनो/टाईपिस्ट आदि देने के संबंध में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह सुविधा कब तक दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिपेक्ष्य में इसे स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिये व्यय में मितव्ययिता के निर्देश

*16–श्री कोविद कुमार सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय अनुशासन बनाये रखने तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता हेतु चालू वित्तीय वर्ष में क्या उपाय किये गये हैं ? क्या इसके लिये माहवार अनुश्रवण प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम अब तक सामने आये हैं ? यदि अनुश्रवण की व्यवस्था नहीं की गयी है, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

शासकीय व्यय में मितव्ययिता के लिये सरकार कृत संकल्प है तथा सभी को मितव्ययिता बरतने के निर्देश दे दिये गये हैं । प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता लाये जाने हेतु प्रस्तावों पर विचार करने एवं निर्णय लेने हेतु मंत्रि परिषद् की एक उपसमिति भी गठित की गई है । मितव्ययिता निर्देशों के अन्तर्गत त्रैमासिक अनुश्रवण की व्यवस्था है । प्रथम त्रैमास की समाप्ति पर विभागों से मितव्ययिता परिणामों की सूचना अपेक्षित है ।

जनपद शाहजहांपुर में बैनामा रजिस्ट्री रेट, सर्किल रेट, बाजार मूल्य के अनुरूप

*17–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर में बैनामा रजिस्ट्री रेट अर्थात जो सर्किल रेट निर्धारित किये गये हैं वह सम्पत्ति की बाजार दर से बहुत ज्यादा है ? यदि हां, तो क्या सरकार

इनको मार्केट रेट पर लाने के लिये पुनर्विचार हेतु जिला प्रशासन को निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

संबंधित कलेक्टर द्वारा निर्धारित द्विवार्षिक मूल्य सूची दर औसत बाजार मूल्य के अनुरूप हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रम हितकारी कल्याण केन्द्रों को बन्द न करने की मांग

*18–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 29 श्रम हितकारी कल्याण केन्द्रों को बन्द करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो क्या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण विकास एवं चिकित्सा आदि सुविधाओं के लिये शासन कोई नयी योजना पर विचार कर रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि इन केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों का अन्यत्र समायोजन होगा ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठते हैं ।

जनपद प्रतापगढ़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ मांग

*19–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद में 27 जून, 1997 से अधिवक्ताओं द्वारा पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ अनिश्चित कालीन हड़ताल चलायी जा रही है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अधिवक्ता (एडवोकेट) श्री एच० एस० यादव की पुलिस हिरासत में बुरी तरह पिटाई की गयी है और उसके साथ अभद्रता की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 27-6-97 को एक अधिवक्ता के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । इस प्रकरण की पुलिस उत्पीड़न बताते हुए जिला प्रशासन पर दबाव डालने के उद्देश्य से अधिवक्ताओं द्वारा धरने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । यह हड़ताल प्रशासन के हस्तक्षेप से दिनांक 24-7-97 को समाप्त हो गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री बाबू राम तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[चौथे मंगल में अता० प्र० सं० 207 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्पादकता से जुड़ी सहकारी ऋण समितियों के सचिवों के वेतन/भत्तों हेतु कैडर फण्ड की स्थापना

2–डा० राम बाबू हरित, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा श्री नारायण राम दास–

क्या सहकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्पादकता से जुड़ी प्राइमरी सहकारी ऋण समितियों के सचिवों के वेतन/भत्तों पर खर्च होने वाले परिव्यय में शासन अंशदान दे रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

शासन द्वारा मैदानी क्षेत्र के जनपदों में कार्यरत सचिवों के वेतन हेतु अंशदान नहीं दिया जा रहा है ।

शासन के निर्णय के अनुसार उक्त सचिवों का वेतन दिये जाने हेतु कैडर फण्ड को चरणबद्ध रूप से स्वावलम्बी बनाया जाना आवश्यक है ।

जनपद मैनपुरी में सहकारी संस्थाओं में आंकिकों एवं सचिवों के वेतन भुगतान सम्बन्धी लम्बित प्रकरण

3–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में जिला सहकारी समितियां, उ० प्र० मैनपुरी की विभिन्न सहकारी संस्थाओं में आंकिकों, सचिवों एवं पर्यवेक्षकों को वेतन भुगतान के कितने प्रकरण लम्बित हैं ? क्या यह सच है कि साधन सहकारी समिति लि०, ऊंचा इस्लामाबाद, विकास खण्ड किशनी, जनपद मैनपुरी में कार्यरत श्री दिनेश चन्द्र आंकिक को अक्टूबर, 1993 से अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया ? क्या यह भी सच है कि दिनांक 4-4-96 को जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ० प्र० मैनपुरी द्वारा वहां के सचिव को उक्त अवधि के वेतन भुगतान का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया तथा अब तक वेतन भुगतान न करने हेतु दोषी कौन है ? क्या सरकार अवशेष वेतन भुगतान करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जनपद मैनपुरी में 54 आंकिकों का प्रकरण समिति स्तर पर तथा 3 सचिवों का प्रकरण जनपद स्तर पर लम्बित है । पर्यवेक्षकों का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है ।

जी हां ।

जी हां ।

समिति की आर्थिक स्थिति विषम होने के कारण समिति के कर्मचारियों का वेतन भुगतान वांछित हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र आंकिक साधन सहकारी समिति लि०, ऊंचा इस्लामाबाद के कर्मचारी हैं, और उन्हें वेतन देने का दायित्व सम्बन्धित समिति का है । समिति की अपनी आर्थिक क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की संख्या सीमित करना चाहिए ।

जनपद आजमगढ़ में अप्रैल, मई, 97 में शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत की जानकारी

4–श्री राम प्यारे–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा विगत दो माह (अप्रैल–मई, 1997) में कितने और किन-किन व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किया गया है ? क्या दिनांक 27 मई, 1997 को भी कुछ लोगों को लाइसेन्स जारी किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को लाइसेन्स जारी किये गये ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचनानुसार अप्रैल एवं मई 1997 में 33 व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं, सूची संलग्न है ।

जी हां ।

दिनांक 27 मई, 97 को केवल एक व्यक्ति श्री मो० अफजाल पुत्र श्री मोहम्मद फारूक, निवासी–ग्राम–अन्जानशहीद, थाना–जीयनपुर को शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किया गया ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 165–166 पर)

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में अनुदेशकों, कार्यदेशकों एवं अधिकारियों के नीति के अनुसार स्थानान्तरण

5–श्री ओम प्रकाश–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997 में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन कार्यरत अनुदेशकों, कार्यदेशकों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आने वाले कितने अनुदेशक, कार्यदेशक एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं एवं नीति के विपरीत कितने अनुदेशकों, कार्यदेशकों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के विपरीत किये गये स्थानान्तरणों को निरस्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां, वर्ष 1997 में किये गये स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किये गये हैं ।

वर्ष 1997 के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ही किये गये हैं । फिर भी यदि कोई प्रत्यावेदन प्राप्त होता है तो उस पर नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

जनपद बाराबंकी के श्री हेतराम पुत्र श्री गुरू प्रसाद रावत, निवासी ग्राम सरथरा, थाना कोतवाली एवं उनके पड़ोसी सूरजबली के बीच विवादित मामला

6–श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हेतराम पुत्र श्री गुरू प्रसाद रावत, निवासी ग्राम सरथरा, थाना कोतवाली, जनपद बाराबंकी का प्रार्थना-पत्र, जो पुश्तैनी जमीन पर मकान हेतु निर्माण करायी गयी 10 फिट ऊंची दिवाल पुलिस क्षेत्राधिकारी (श्री दिनकर सिन्हा), नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की मदद से सवर्ण जाति के नामजद व्यक्तियों द्वारा गिराने के संबंध में है, सहकारिता मंत्री जी की संस्तुति दिनांक 13-5-97 सहित हरिजन उत्पीड़न अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने हेतु पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जांच में हेतराम तथा उनके पड़ोसी सूरज बली के बीच सहन की भूमि का विवाद पाया गया तथा क्षेत्राधिकारी की मदद से विपक्षीगण द्वारा श्री हेतराम की दिवाल गिराने की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसानों का आलू सड़ने पर मुआवजा देने की मांग

7–श्री समर पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष में जिन किसानों का आलू सड़ गया है क्या उन्हें सरकार मुआवजा देगी ? यदि हां, तो किस दर से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । उ०प्र० शीतगृह विनियमन अधिनियम, 1976 में सरकार द्वारा मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि उ० प्र० शीतगृह विनियमन अधिनियम, 1976 के अनुसार शीतगृह में सड़े हुए आलू का प्रतिकर संबंधी विवाद लाइसेंसिंग अधिकारी को निर्दिष्ट किये जाने का प्राविधान है, जिसका आदेश अपील के परिणामों के अधीन अन्तिम है ।

प्रदेश में अपराध नियंत्रण अभियान के अन्तर्गत अत्याधुनिक हथियार बरामदी

8–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध नियंत्रण अभियान चलाया गया है ? यदि हां, तो उक्त अभियान के अन्तर्गत 21 मार्च, 1997 से 8-7-97 तक प्रदेश में कितने अत्याधुनिक हथियार व ए के 47 अपराधियों के कब्जे से बरामद किये गये हैं ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

आलोच्य अवधि में अभियान के दौरान जनपद वाराणसी में दिनांक 4-6-97 को कुख्यात अपराधी राजेन्द्र पाण्डेय निवासी बड़ा गांव, जनपद वाराणसी के कब्जे से एक ए० के० 47 रायफल मय मैगजीन भरे कारतूस सहित बरामद किया गया, इसके अतिरिक्त अपराधी पप्पू सिंह निवासी खोका, थाना भेलूपुर, वाराणसी तथा विद्या तिवारी निवासी सैयदराजा थाना चन्दौसी, वाराणसी के कब्जे से एक-एक छोटी कारबाइन एवं भारी मात्रा में जिन्दा एवं खोखा कारतूस बरामद किया गया ।

जनपद बिजनौर में अनिल कुमार निगम सहकारी कामदार को सवेतन बहाल करने के आदेश

9–श्री श्रीराम सोनकर–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि अनिल कुमार निगम सहकारी कामदार, जनपद बिजनौर का निलम्बन दिनांक 16-2-1990 को किया गया था ? क्या यह सही है कि इन्होंने दिये गये आरोप-पत्र से संबंधित साक्ष्य दिये जाने हेतु मांग की थी, किन्तु बिना साक्ष्य उपलब्ध कराये ही उनकी सेवायें दिनांक 22-10-90 को समाप्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह सही है कि मंत्री जी ने अपने पत्र संख्या–1034-वी० आई० पी० दिनांक 26-5-97 के माध्यम से उक्त कामदार को सवेतन बहाल करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के चौधरी–

जी हां ।

जी हां ।

श्री निगम को साक्ष्य प्राप्त करने एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये नियमानुसार प्राविधानित सभी अवसर प्रदान किये गये परन्तु श्री निगम द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । अन्ततः उनकी सेवायें 22-10-92 को समाप्त कर दी गयी ।

प्रकरण में न्यायोचित कार्यवाही सुनिश्चित कर सवेतन बहाल करने के निर्देश दिये गये । राज्य स्तरीय प्रशासनिक कमेटी द्वारा सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध श्री निगम की अपील अस्वीकृत की जा चुकी है । सुसंगत नियमावली में उक्त कमेटी द्वारा अपील अस्वीकृत करने के उपरान्त पुनः विचार करने का प्राविधान नहीं है ।

जनपद बिजनौर में जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां के भ्रष्टाचार की जांच

10–श्री श्रीराम सोनकर–

क्या सहकारिता मी कृपया बतायेंगे कि जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, बिजनौर पर भ्रष्टाचार के आरोप जिलाधिकारी, बिजनौर के पत्रांक–345/आ०लि-91, दिनांक 28-6-91 के द्वारा लगाये गये थे ? क्या इन्हीं आरोपों पर आधारित श्री गुरू प्रसाद निवासी 342/100–नौबस्ता, लखनऊ के शिकायती-पत्र दिनांक 31-8-92 पर विशेष सचिव, सहकारिता ने पत्रांक–573 एम/12–सी-29/145-2-91, दिनांक 13-9-92 के द्वारा जांच कराई है ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं । जिलाधिकारी, बिजनौर ने अपने पत्र सं०–345/आ०लि०/91, दिनांक 28-6-91 के अन्तर्गत तत्कालीन सहकारी समिति, बिजनौर श्री बी० एल० सिंह चन्दौल को एक लापरवाह, उदासीन, अच्छी जनख्याति न होने एवं आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारी बताते हुए उनको स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया था ।

शासन के पत्र संख्या–573 एम/12सी–29/145-2-91 दिनांक 13-9-92 के साथ नहीं, अपितु शासन के पत्र संख्या 573 एम/12सी–2/145(21)/91, दिनांक 3-9-92 के साथ श्री गुरू प्रसाद निगम, मकान नं० 342/100 नौबस्ता, लखनऊ का शिकायती पत्र दिनांक 30-7-92 प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच उप निबंधक, सहकारी समितियां, उ० प्र०, मुरादाबाद से करायी गयी । निबन्धक की आख्या के अनुसार समस्त आरोप निराधार पाये गये हैं ।

जांच में शिकायतकर्ता की शिकायत निराधार पायी गयी है । अतएव कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

11–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद फैजाबाद में श्रम न्यायालय में चल रहे मुकदमों की जानकारी

12–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रम न्यायालय, फैजाबाद में जून, 1997 तक कुल कितने मुकदमें न्यायालय में चल रहे हैं ? कितने ऐसे मुकदमें हैं जो पांच वर्ष से अधिक से चल रहे हैं तथा कितने मुकदमें बलरामपुर व बभनान चीनी मिल, जिला बलरामपुर तथा गोण्डा के चल रहे हैं ? कितने दिनों में पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

श्रम न्यायालय, फैजाबाद में माह जून, 1997 तक कुल 409 मुकदमें चल रहे हैं । इनमें 47 वाद पांच वर्ष से अधिक से चल रहे हैं ।

बलरामपुर चीनी मिल, जिला बलरामपुर तथा बभनान चीनी मिल, जिला गोण्डा का कोई भी मुकदमा इस न्यायालय में विचाराधीन नहीं है ।

13–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[दि० 28-7-97 को अता० प्र० सं० 27 द्वारा उत्तरित]

जनपद फिरोजाबाद में कांच चूड़ी व्यापारी पर व्यापार कर समाप्त करने की मांग

14–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद के कांच चूड़ी व्यापारी फार्म सी व्यापार कर की पेचेदिगियों से शोषण के शिकार हैं ? क्या सरकार फिरोजाबाद में चूड़ी और कांच के व्यापार में फार्म सी को समाप्त करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

वस्तुओं की प्रान्तीय खरीद/बिक्री पर उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लगता है । कांच की चूड़ियों की प्रान्तीय बिक्री पर दिनांक 1-4-92 से व्यापार-कर की दर 4 प्रतिशत है । शासन की विज्ञप्ति संख्या–व्यापा०कर–2–147/ग्यारह–9(16)/94-ऐक्ट–74-56-आदेश–95, दिनांक 31-1-95 द्वारा दिनांक 1-2-95 से यह व्यवस्था कर दी गयी है कि जिन वस्तुओं की उत्तर प्रदेश के अन्दर प्रान्तीय बिक्री करने पर कर की दर (अतिरिक्त कर को छोड़कर) 4 प्रतिशत है उन वस्तुओं की केन्द्रीय बिक्री पर फार्म सी प्रस्तुत किये बिना भी कर की दर 4 प्रतिशत होगी । इस प्रकार दिनांक 1-2-95 से सभी प्रकार की कांच की चूड़ियों की केन्द्रीय बिक्री पर कर की दर 4 प्रतिशत है तथा इसके लिये सी फार्म प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है । परन्तु यदि कोई व्यापारी अलंकृत अथवा कटावदार चूड़ियों की केन्द्रीय बिक्री पर इस आधार पर कर मुक्ति चाहता है कि उसके निर्माण में प्रयुक्त सादी कांच की चूड़ी की प्रान्त के अन्दर खरीद करने पर कर दे दिया गया है तब उसे इस कर मुक्ति को प्राप्त करने के लिये फार्म सी प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

कांच की चूड़ियों से भिन्न कांच की वस्तुओं की प्रान्तीय बिक्री पर कर की दर (अतिरिक्त कर को छोड़कर) 4 प्रतिशत से अधिक होने के कारण केन्द्रीय बिक्री करने पर 4 प्रतिशत की रियायती दर का लाभ लेने के लिये फार्म सी का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर के अन्तर्गत अग्निकाण्ड से निवारण हेतु अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की मांग

15–श्री मित्रसेन यादव–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के तहसील मिल्कीपुर के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अग्निकांड की भीषण घटनायें घटती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या इन गम्भीर घटनाओं से निपटने के लिए क्या उक्त तहसील में कोई अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव दिसम्बर, 1994 में शासन के विचारार्थ प्राप्त हुआ था । अप्रैल, 1995 में विचारोपरान्त प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों एवं अन्य स्थानों की तुलनात्मक आवश्यकताओं इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का औचित्य नहीं पाया गया । फिर भी अग्निकाण्ड की गम्भीर घटनाओं से निपटने के लिये तहसील मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में ग्रीष्म ऋतु के लिये वर्ष 1996-97 एवं वर्ष 1997-98 में अंशकालिक अग्निशमन व्यवस्था की गयी है और यह अंशकालिक व्यवस्था प्रतिवर्ष बनी रहेगी ।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट खोलने की जानकारी

16–श्री राम विशुन आजाद–

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट न होने से वादकारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां मुंसिफ कोर्ट खोलने की कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

पूर्व में मा० उच्च न्यायालय ने आवासीय/अनावासीय भवनों को अनुपलब्धता के कारण अभिमत प्रदान नहीं किया था । भवनों की उपलब्धता के संबंध में जिलाधिकारी, गोण्डा से आख्या मांगी गयी है । पुनः मा० उच्च न्यायालय से पुनर्विचारित अभिमत मांगा जा रहा है । अभिमत प्राप्त होने पर ही कोर्ट की स्थापना के संबंध में विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बैनामे पर देय स्टाम्प ड्यूटी की दर एवं क्रेता पर स्टाम्प शुल्क का उत्तरदायित्व

17–श्री राकेश त्यागी–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सब-रजिस्ट्रार को निश्चित स्टाम्प शुल्क लेकर बैनामा कराने का प्राविधान है तो बैनामा होने के बाद सब-रजिस्ट्रार द्वारा कम स्टाम्प का मुकदमा क्यों किया जाता है ? क्या सरकार इसको रोकने के लिये कोई व्यवस्था करेगी ? क्या सरकार कम स्टाम्प शुल्क के लिये क्रेता नहीं बल्कि सब-रजिस्ट्रार को दोषी मानकर उससे कम स्टाम्प की वसूली करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

बैनामे पर देय स्टाम्प ड्यूटी की दर निश्चित है परन्तु देय धनराशि बैनामा द्वारा अन्तरित की जा रही सम्पत्ति के बाजारी मूल्य पर निर्भर है । स्टाम्प अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी अदा न करने पर बैनामों के दस्तावेजों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए (1) व (2) के अन्तर्गत उप निबंधक द्वारा कलेक्टर को संदिर्भत किया जाता है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधि द्वारा स्थापित नियम के अनुसार स्टाम्प शुल्क देने का उत्तरदायित्व सम्पत्ति के क्रेता पर है ।

जनपद आगरा में नगर पंचायत किरावली में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ करने के विरुद्ध कार्यवाही

18–डा० राम बाबू हरित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा की नगर पंचायत किरावली के कार्यालय में 26-6-97 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गयी है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इस कांड में नामजद भूतपूर्व चेयरमैन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमें चल रहे हैं तथा ये हिस्ट्रीशीटर हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध रासुका न लगाने का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

संदर्भित घटना के संबंध में थाना अछनेरा, जनपद आगरा पर मुकदमा अपराध संख्या–199/97 अन्तर्गत धारा 147/148/323/452/504/506/336/332/354/511/427 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया जो बच्चू सिंह उर्फ जगदीश सिंह जाट सहित 10 अभियुक्तों के विरुद्ध है । इनमें से अभियुक्त बच्चू सिंह उर्फ जगदीश सिंह को दिनांक 30 जून, 1997 को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य 6 अभियुक्तों ने न्यायालय में दिनांक 8 जुलाई, 1997 को आत्मसमर्पण किया । विवेचनोपरान्त इन सातों अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 28 जुलाई, 1997 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

जी हां ।

पर्याप्त सबूत न होने के कारण इनके विरुद्ध रासुका के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी ।

जनपद जौनपुर में जिला सहकारी बैंक लि० में फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

19–श्री अफजाल अहमद–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर की जिला सहकारी बैंक लि०, जौनपुर में कितने कर्मचारी फर्जी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रोन्नति एवं नियुक्ति पाये हैं ? उसका विवरण क्या है ? फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र देने वालों के विरुद्ध अब तक सरकार ने कौन सी कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां, जिला सहकारी बैंक लि०, जौनपुर में जून, 1997 में आठ कर्मचारी फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रोन्नति किये गये हैं ।

उक्त आठ कर्मचारियों में से वर्ग–4 से वर्ग–3 में पांच कर्मचारी, वर्ग–3 से वर्ग–2 में एक कर्मचारी तथा वर्ग–2 से वर्ग–1 में दो कर्मचारी पदोन्नति हुए हैं । प्रोन्नति प्राप्त उक्त आठ कर्मचारियों में से वर्ग–4 के चार कर्मचारी निलम्बित किये गये किन्तु वह न्यायालय से अन्तरिम आदेश प्राप्त कर कार्यरत थे, परन्तु इन चारों कर्मियों को प्रत्यावर्तित कर मूल पद पर तैनात किया गया । दो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये हैं । शेष दो कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है । फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रोन्नति पाये गये शेष कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा ऐसी प्रोन्नति करने व दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश जारी किये गये हैं ।

जनपद एटा में राजकीय नर्सरियों में पौधों के रख-रखाव की स्थिति

20–श्री नेतराम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले में कहां-कहां राजकीय नर्सरियां हैं ? उनके वर्ष 1996-97, 1997-98 में पौधों की स्टाक पोजीशन क्या थी ? क्या यह सत्य है कि उन पर आय से अधिक व्यय हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है ?

सुश्री मायावती–

जनपद एटा में निम्नलिखित दो नर्सरियां हैं :––

1–राजकीय पौधशाला, एटा, अलीगंज रोड, विकास खण्ड शीतलपुर ।

2–राजकीय पौधशाला खैरपुर, विकास खण्ड सोरों ।

उक्त दोनों पौधशालाओं में वर्ष 1996-97 में क्रमशः 34,428 एवं 87,200 पौधों का उत्पादन हुआ । वर्ष 1997-98 में राजकीय पौधशाला, एटा में अब तक 10,000 पौधों का उत्पादन हुआ है एवं दोनों नर्सरियों में फलदार पौधों के उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ, ग्राम कमलाबाद बडौली, मुस्लिमनगर, सीतापुर रोड में हुए बलात्कार और शिकायत में हुई कार्यवाही की जानकारी

21–श्री राजधारी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्राम कमलाबाद बडौली, मुस्लिमनगर, सीतापुर रोड, निवासी विधवा हमशील पत्नी श्री अख्तर की नाबालिग लड़की कु० विनोजी से माह अगस्त, 1996 में नसीब पुत्र रफीक निवासी ग्राम खिखा, थाना–काकोरी द्वारा बलात्कार किया गया था ? क्या उसकी माता द्वारा इस संबंध में अनेक प्रार्थना-पत्र माह सितम्बर, 1996 में प्रमुख सचिव, गृह विभाग, एस० एस० पी०, लखनऊ को न्याय दिलाये जाने के संबंध में दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि गृह पुलिस अनु०–4 के अर्द्ध शा० पत्र सं०–6279 ब/6-4-96, दि० 27-9-96 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाने के उपरान्त भी अभी तक न एफ० आई० आर० लिखी गयी और न ही मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इस गम्भीर अपराध में विलम्ब करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

इस संबंध में उसकी माता द्वारा केवल एक प्रार्थना पत्र प्रमुख सचिव, गृह विभाग को माह सितम्बर, 1996 में दिया गया था ।

शासन के अर्द्धशा० पत्र संख्या–627ब/छः-4-96, दिनांक 27-9-96 के माध्यम से घटना के प्रकाश में आने से पहले ही दोनों लोग जून, 1996 में ही शादी कर चुके थे । अतः मानवीय दृष्टिकोण से कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मथुरा के थाना मगोरी पर मुकदमा अपराध सं० 3/97 के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी

22–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 13-2-97 जो कि एक दलित नाबालिग बारह वर्षीय लड़की के साथ व्यभिचार करने वाले युवक को स्थानीय पुलिस द्वारा संरक्षण दिये जाने के विषयक अपराध सं०–3/97 के संबंध में था, पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नकर्ता का प्रश्न से संबंधित पत्र जो दिनांक 14 जनवरी, 1997 का है, श्री राज्यपाल कार्यालय के संदर्भ संख्या–वि०को०/एम–3/16-32/मथुरा/97, दिनांक 3-2-97 के माध्यम से प्राप्त हुआ है । प्रश्नगत मामले में वादी की सूचना पर दिनांक 10-1-97 को थाना मगोरा, जनपद मथुरा पर मुकदमा अपराध संख्या–3/97 अन्तर्गत धारा 376 भा० दं० वि० एवं धारा 3(1)10 एस० सी०/एस०टी० ऐक्ट व 7(1) पी० सी० आर० ऐक्ट पंजीकृत किया गया । अभियोग के नामित अभियुक्त गुठ्ठल पुत्र बाबूदीन द्वारा दिनांक 14-1-97 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया । विवेचना से जुर्म साबित होने पर अभियुक्त गुठ्ठल पुत्र बाबूदीन के विरुद्ध दिनांक 20-1-97 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही की जा चुकी थी । स्थानीय पुलिस द्वारा

अभियुक्त को संरक्षण दिये जाने का तथ्य सही नहीं पाया गया । प्रकरण में पीड़ित कुमारी लता को रु० 25,000 की धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के थाना सहपऊ के अन्तर्गत अपराध सं० 182/96 एवं 183/96 में हुई कार्यवाही की जानकारी

23–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या–182/96 एवं 183/96 थाना सहपऊ, जनपद मथुरा के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-1-97 पर क्या कार्यवाही की गयी है ? उसका परिणाम क्या रहा है ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अपराध संख्या–182/96 एवं 183/96 थाना सहपऊ, जनपद मथुरा में शेरू सिंह व कृष्णगोपाल नामक दो छात्रों को झूठे फंसाये जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-1-97 श्री राज्यपाल कार्यालय (विधायक कोष्ठक) के संदर्भ संख्या–वि०को० एम–3/7-31/मथुरा/97, दिनांक 24-1-97 के माध्यम से प्राप्त हुआ था । प्रश्नगत दोनों अभियोगों की विवेचना जनपद की एस० आई० एस० द्वारा कराई गई । विवेचनोपरान्त दोनों अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट संख्या 5 व 6 दिनांक 22-2-97 को न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर थाना झंगहा, चौरीचौरा, खोराबार में अनुसूचित जाति/जनजाति के हुए उत्पीड़न एवं उसके निवारण की जानकारी की मांग

24–श्री बेचन राम–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न के मामले में थाना झंगहा, चौरीचौरा, खोराबार पर वर्ष 1993 से अब तक कुल कितने मुकदमें दर्ज हुए तथा इनमें से प्रत्येक थाने से संबंधित गांवों के किन-किन व्यक्तियों को राहत धनराशि कितनी-कितनी मात्रा में केस सही पाये जाने पर स्वीकृत हुई ? किन-किन को कितनी धनराशि दी गयी ? किन-किन को अभी तक प्रभावी ढंग से एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया गया ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला सिद्धार्थनगर के थाना इटवा के मु० अ० सं० 540/96 व 49/97 के विरुद्ध हुई कार्यवाही की जानकारी

25–श्री अमर मणि–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना इटवा, जिला सिद्धार्थनगर के मु० अ०सं० 540/96 व 49/97 को अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ० प्र० को विवेचना हेतु सौंपा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि फिर पुलिस विभाग को उक्त मुकदमा वापस किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

पुलिस महानिदेशक द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराने का निर्णय लिया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में विभिन्न थाना क्षेत्रों में फर्जी लाइसेन्सधारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

26–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों में आने वाले क्षेत्रों में दीमापुर व जम्मू कश्मीर से निर्गत हजारों की संख्या में फर्जी लाइसेंसों के आग्नेयास्त्र खरीद लिये हैं ? यदि हां,तो क्या सरकार ऐसे फर्जी लाइसेन्सों के आधार पर खरीदे गये असलहों को जमा करवा कर ऐसे लाइसेन्सधारियों के विरुद्ध कार्यवाही करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार फर्जी लाइसेन्स व असलहों का पता करने के लिये जनपद में पुलिस की विशेष समिति बनाकर इसका सर्वेक्षण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद मैनपुरी में दीमापुर व जम्मू कश्मीर से निर्गत लाइसेन्सों के कुल 97 आग्नेयास्त्र विभिन्न थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत खरीदा जाना प्रकाश में आया है । उपरोक्त सभी 97 लाइसेन्स धारकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये गये हैं तथा सभी आग्नेयास्त्रों को थानों पर जमा करा लिया गया है ।

पुलिस द्वारा ऐसे सभी लाइसेन्स व असलहों का पता लगाने के लिये चेकिंग आदि की कार्यवाही की जा रही है जिसे देखते हुए इस हेतु पुलिस की विशेष समिति बनाया जाना सम्प्रति प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद मैनपुरी में विभिन्न थानों के अन्तर्गत अपराधियों पर लगाये गये गुण्डा ऐक्ट के अधीन जिला बदर के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

27–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 21 मार्च, 1997 से लेकर 8-7-97 तक जनपद मैनपुरी में थाना-वाइज किन-किन अपराधियों को जिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा 6 माह के लिये गुण्डा ऐक्ट के अधीन जिला बदर के आदेश किये हैं ? क्या ऐसे अपराधियों के नाम पहले से स्वीकृत आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सों को निरस्त किया गया और उनके आग्नेयास्त्र पुलिस के कब्जे में लिये गये ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

गुण्डा ऐक्ट के अधीन दिनांक 21 मार्च, 1997 से 8-7-97 तक 6 माह के लिये जिला बदर किये गये अपराधियों का विवरण निम्नवत् है :–

कोतवाली मैनपुरी से 3 अपराधी रजनी कान्त उर्फ पप्पू, गेंदालाल व राजेश, थाना दन्नाहार से 2 अपराधी बालकराम उर्फ वकल्ला व सन्तोष, थाना एलाऊ से 1 (एक) अपराधी राधेराज उर्फ रघुराई, थाना कुरावली से 3 अपराधी किशनलाल, राधेश्याम व रघुनाथ, थाना ओछां से 6 अपराधी भूमिराज, चरन सिंह, राम बिलास, जोगराज, महेश व करुआ उर्फ फौजदार, थाना घिरोर से 4 अपराधी लाखन सिंह, राजेश कुमार, धर्मवीर व मुलायम सिंह, थाना करहल से 1 (एक) अपराधी कुंवरपाल, थाना बरनाहल से 2 अपराधी विमलेश व राम प्रकाश उर्फ प्रकाश, थाना कुर्रा से 10 अपराधी नेकसे, पप्पू, सन्तरा, मुठ्ठा, खानू, हुकुम सिंह, बलवीर सिंह, अलकेश, मिलाप सिंह व पाइयां उर्फ दरवेश, थाना भोगांव से 11 अपराधी ज्ञान सिंह, श्री कृष्ण, बृजराज, राधेश्याम उर्फ करूआ, रमेश, राज कुमार, सुरजन, राजवीर, यशपाल, भीषराम व राजेश उर्फ कल्लू, थाना वेबर से 4 अपराधी सतीश, कोसीमनी,

रंजीत व शत्रुघन, थाना किशनी से 6 अपराधी कुंवर चन्द्र, रघुराज सिंह, पाल सिंह, अनिल कुमार, अजीत सिंह व सुरेश, थाना बिछवां से 3 अपराधी कुंवर पाल सिंह, राजवीर व दलवीर ।

उक्त अपराधियों के नाम आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक लेखाधिकारी से वित्त एवं लेखाधिकारी तथा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी पदों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति का कोटा के संबंध में जानकारी

28–श्री मूलचन्द्र चौहान–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक लेखाधिकारी से वित्त एवं लेखाधिकारी पद पर वर्ष 1985-86 में तथा वर्ष 90-91 में वित्त एवं लेखाधिकारी पद से वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी पद पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति का कोटा भरा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

वर्ष 1985-86 में सहायक लेखाधिकारी पद से वित्त एवं लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे ।

वर्ष 1990-91 में वित्त एवं लेखाधिकारी पद से वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति के मात्र दो अभ्यर्थी पात्रता में थे जिनका चयन करके पदोन्नति की गई ।

29–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

[दि० 4-8-97 को अता०प्र०सं० 70 द्वारा उत्तरित]

30–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा श्री नारायण रामदास–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला बिजनौर थाना कोतवाली देहात के ग्राम उमरी में अल्पसंख्यक व्यक्तियों विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा

31–श्री मूल चन्द्र तथा श्री राम सिंह सैनी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर के 22 अल्पसंख्यक व्यक्तियों के विरुद्ध मई-जून, 1997 में मुकदमा पंजीकृत किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हरिजन ऐक्ट का झूठा मुकदमा कायम किया गया है ? यदि हां, तो झूठा मुकदमा कायम करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मुकदमें वापस करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । दिनांक 13-6-97 को ग्राम उमरी, थाना कोतवाली देहात, जिला बिजनौर के 22 अल्पसंख्यक व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 11-6-97 को श्रीमती कैलो देवी विधवा जग्गू सिंह निवासिनी मूलों की उमरी थाना कोतवाली देहात की पुत्री ऋषि की बारात के समय उक्त गांव के अल्पसंख्यकों द्वारा बाजा बजाने पर आपत्ति करते हुए बाजा बन्द करा दिया गया तथा लड़की पक्ष के लोगों के साथ मारपीट व गाली–गलौज

की गयी । उक्त कृत्यों के आधार पर 22 अल्पसंख्यक व्यक्तियों के विरुद्ध धारा–147/148/323/336/341/395–भा०दं०वि० के अन्तर्गत मुअ०सं०–224/97 पंजीकृत किया गया, जो विवेचना से सही पाया गया तथा विवेचनोपरान्त उक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

जिला बिजनौर में ग्राम व थाना नांगल सोती में नाबालिग बच्चों की गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी

32–श्री मूल चन्द्र तथा श्री राम सिंह सैनी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि खिलेन्द्र कुमार पुत्र ब्रह्मपाल सिंह, पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र कलवा, देवेन्द्र सिंह पुत्र मुसत्ती सिंह निवासी ग्राम नागल सोती, थाना नागल सोती जिला बिजनौर के नाबालिक दो बच्चों को दिनांक 15 जून, 1997 को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया ? यदि हां, तो इन नाबालिक निरपराध बच्चों के अपराध का विवरण क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां । दिनांक 15 जून, 1997 को खिलेन्द्र कुमार पुत्र ब्रह्मपाल व पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र कलुवा, निवासी ग्राम नांगल सोती, थाना नांगल, जनपद बिजनौर को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

दिनांक 10-6-97 को पशु चराते समय कुश्ती लड़ते हुए खिलेन्द्र ने तेजपाल पुत्र श्री नाथे (अनुसूचित जाति) का मुंह गंगा के रेत में घुसा दिया जिससे दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी । तेजपाल की मृत्यु के बाद खिलेन्द्र ने पुष्पेन्द्र पुत्र कलुवा व देवेन्द्र पुत्र मुसद्दी के साथ मिलकर मृतक का शव गंगा में फेंक दिया ।

जनपद लखनऊ के डायमन्ड जुबली प्रशिक्षण कालेज में पाये गये संदिग्ध कागजात एवं मुहरों के खिलाफ कार्यवाही की जानकारी

33–श्री महराज सिंह यादव, श्री रामतेज यादव तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि 8 जनवरी, 1997 को लखनऊ शहर के मोहल्ला टिकैतगंज के थाना खाला बाजार के अन्तर्गत डायमन्ड जुबली प्रशिक्षण कालेज पर पुलिस छापा के दौरान तमाम संदिग्ध कागजात तथा मोहरें बरामद की गयी थीं तथा संस्था की प्रधानाचार्या तथा प्रबन्धक पकड़े गये थे ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

लेकिन प्रश्नगत घटना दिनांक 8-1-97 की नहीं है । अपितु 7-1-97 की है ।

बाजार खाला पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–8/97 धारा 467/468/471/420 भा०द०वि० पंजीकृत हुआ, विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र संख्या–33 दिनांक 22-1-97 को ए०सी०जे०एम०–8 के न्यायालय में प्रषित की गयी ।

जनपद बरेली में समस्त तहसीलों के अन्तर्गत मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की जानकारी

34–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद की समस्त तहसीलों में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी तहसीलों में मुंसिफ कोर्ट खोलने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो उनकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बरेली को कुल 6 तहसीलों (नवाबगंज, मीरगंज, फरीदपुर, बरेली, बहेड़ी, तथा आंवला) में से 3 तहसीलों (बरेली, बहेड़ी व आंवला) में मुंसिफ कोर्ट को स्थापना की जा चुकी है । शेष तीनों तहसीलों के संबंध में मा० उच्च न्यायालय की सहमति प्रतीक्षित है ।

मा० उच्च न्यायालय का अभिमत/सहमति प्राप्त होने पर ही विचार कर सकना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद थाना खण्डासा ग्राम अजरौली में दि० 11-3-97 को मु०अ०सं० 15/97 अन्तर्गत धारा 395/397 में कार्यवाही की जानकारी

35–श्री मित्रसेन यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना खण्डासा अन्तर्गत ग्राम अजरौली की घटित घटना दिनांक 11-3-97 मु०अ०सं० 15/97 अन्तर्गत धारा 395/397 तथा एस०सी०एस०टी० ऐक्ट के अन्तर्गत नामजद दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकी डकैती तथा लूट और दलित उत्पीड़न की घटना में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

विवेचना के अन्तर्गत दर्ज अभियोग लूट एवं दलित उत्पीड़न की घटना का होना पाया गया जिसके परिणाम स्वरूप अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है ।

जनपद सुल्तानपुर के अध्यक्ष सहकारी समिति संघ पड़री गौरीगंज के समिति काश्तकारों द्वारा कथित फर्जी ऋण चढ़ाने की शिकायतों की जांच

36–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री चन्द्रबली तिवारी, अध्यक्ष,सहकारी समिति संघ पड़री गौरीगंज, सुल्तानपुर का पत्र दिनांक 24-10-96 जिसमें समिति द्वारा काश्तकारों के नाम फर्जी कर्जा चढ़ाने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ?यदि हां, तो क्या जांच में काश्तकारों से तथा आरोपी से कोई पूछताछ की गयी है ? क्या यह सही है कि संबंधित सचिव जो निलम्बित था, को जांचोपरान्त बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

जी हां ।

श्री नर बहादुर सिंह संबंधित सचिव को प्रश्नगत शिकायत की जांच के पूर्व के एक अन्य प्रकरण में चल रही अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत सभी प्रक्रिया पूर्ण कर प्रशासनिक कमेटी के निर्णय दिनांक 26-12-96 के अनुपालन में बहाल किया गया है ।

जांच के निष्कर्ष में यह पाया गया कि श्री केदार नाथ पुत्र श्री दत्त, श्री राम बोध पुत्र श्री भगौती तथा श्री शीतला प्रसाद पुत्र श्री गया प्रसाद द्वारा लिया ऋण सही है और उन्होंने जमा भी कर दिया है । श्री सत्य नरायन पुत्र श्री सूर्यपाल, श्री चन्द्रबली पुत्र श्री गौरी शंकर तथा श्री चन्द्र शेखर पुत्र श्री गौरी शंकर के विवादित ऋण का मध्यस्थ निर्णय करके विवाद को समाप्त कर दिया गया है ?श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बैजनाथ तथा शीतला प्रसाद पुत्र श्री चन्द्र बली के विवादित ऋण का मध्यस्थ निर्णय हेतु समिति द्वारा दावा दायर करा दिया गया है ।

जनपद रायबरेली के राम विपत पुत्र सूरजपाल गांव बारा खां का पुरवा मजरे मोहन, थाना जायस के शिकायत पर जांच

37–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को सम्बोधित राम विपत पुत्र सूरजपाल गांव बारा खां का पुरवा मजरे मोहन, थाना जायस, रायबरेली का दिनांक 30-6-97 का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें गांव के ही एक होमगार्ड द्वारा गला दबाकर छीना-झपटी कर भागने तथा थाने पर रिपोर्ट न लिखने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने किया तथा जांच के बाद क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां, श्री राम विपत का रजि० प्रार्थना पत्र दिनांक 30-6-97 पुलिस कार्यालय रायबरेली में दिनांक 7-7-97 को प्राप्त हुआ था ।

संदर्भगत प्रार्थना पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, तिलोई द्वारा की गई । जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 29-6-97 की रात्रि में श्रीमती सुरसती पत्नी राम विपति अपने परिवार की अन्य महिला सदस्यों के साथ दरवाजे पर सो रही थी उसी रात गांव के गया प्रसाद (होमगार्ड) का बैल खूंटे से खुल गया था जिसकी तलाश करते हुये गया प्रसाद आवेदक की पत्नी सुरसती को आवाज लगाकर बैल के सम्बन्ध में पूंछा जिस पर श्रीमती सुरसती ने बैल न आने को बताया । श्रीमती सुरसती की फोफी चारपाई के नीचे मिली थी, परन्तु उसकी नाक में कोई चोट नहीं थी । पूंछतांछ के दौरान सुरसती द्वारा अपने बयान में थाना जायस न जाना भी बताया गया इन तथ्यों की पुष्टि ग्रामवासियों ने भी की ।

प्रश्नगत घटना पूर्णतयः असत्य एवं निराधार पायी गयी । इसलिए किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

जनपद सुल्तानपुर में निबन्धक सहकारी समितियों के प्रष्टाचार के विरुद्ध श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि निबन्धक, सहकारी समितियां, सुल्तानपुर, सचिव, सहकारी बैंक, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा, पूरे कालूराम पंडित का पुरवा, गोरयाबाद, ब्लाक जामो, सुल्तानपुर का रजि० प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-2-97 तथा 19-2-97 का जिसमें धोखा देकर चेकबुक लेकर फर्जी लोन चढ़ा लेने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी है ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

जी हां ।

जांच आख्या का निष्कर्ष यह है कि समिति के अभिलेख विवादित पाये गये फलतः सचिव को निलम्बित कर आरबीट्रेशन दायर करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के श्रेणी 2 के अधिकारियों के समयमान वेतनमान को लागू किये जाने की मांग

39–श्री नारायण राम दास–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मैदानी क्षेत्र) उ० प्र० के श्रेणी–2 वेतनमान (रु० 2200–4000) में कार्यरत अधिकारियों को 8 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात् देय समयमान वेतनमान का शासनादेश अभी तक जारी नहीं किया गया है, जबकि इसी विभाग के पर्वतीय निदेशालय एवं अन्य शेष विभागों हेतु उक्त शासानादेश जारी हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश मैदानी क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के लिए कब तक जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मै० क्षे०) एवं (पर्वतीय क्षेत्र) उ० प्र० में समयमान वेंतनमान अनुमन्य किये जाने का शासनादेश जारी किया जा चुका है । मैदानी क्षेत्र के लिए जारी शासनादेश संख्या 979/58-1-96-815/87, दिनांक 18-3-96 में निदेशक उद्यान द्वारा प्रस्तावित कतिपय संशोधनों पर विचार चल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

40–श्री बावन सिंह–

[चौथे मंगल में अता० प्र० सं० 191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी द्वारा जारी शस्त्र लाइसेन्स की संख्या एवं औचित्य

41–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 5-7-95 से 10-7-95 तक जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा किन-किन व्यक्तियों को कुल कितने शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये हैं ?

अब तक कुल कितनी पत्रावली शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने हेतु पूर्ण हैं क्या स्वीकृत किये गये लाइसेन्सों पर "प्रथम आगत प्रथम स्वागत" के सिद्धान्त का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत अवधि में 27 शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये हैं, सूची संलग्न है।

अब तक कुल 299 पत्रावलियां शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के लिए पूर्ण हैं।

आयुध अधिनियम एवं नियमावली में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जिन पत्रावलियों में सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण हो जाती हैं उनमें आवेदक की आवश्यकता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत करने हेतु निर्णय लिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 167–168 पर)

जनपद सिद्धार्थनगर में सहकारिता विभाग के स्थानान्तरित सचिवों की संख्या एवं स्थगनादेश तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही

42–चौ० रवीन्द्र प्रताप–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में सहकारिता विभाग में कार्यरत कितने ऐसे सचिव हैं, जो विभाग के आदेशों के विरुद्ध न्यायालय के स्थगनादेशों के आधार पर कार्य कर रहे हैं ? क्या उनके स्थगनादेश उसी जनपद में बने रहने के लिए हैं ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त स्थगनादेशों को निरस्त कराये जाने हेतु शासन स्तर से कोई प्रयास किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

आठ सचिव स्थगनादेश पर कार्यरत हैं।

जी नहीं।

जी नहीं।

संबंधित सचिवों के विरुद्ध विभाग द्वारा अनियमिततायें पाये जाने पर उसी जनपद की जिला प्रशासनिक कमेटी द्वारा जांचोपरान्त अन्तिम निर्णय लिए जाने के पूर्व स्थानान्तरण का औचित्य नहीं है।

जिला प्रशासनिक कमेटी द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है अतः शासन स्तर से अलग से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जनपद लखनऊ में मो० इन्द्रपुरी (भोलाखेड़ा) थना कृष्णानगर में जबरन मकान खाली कराये जाने की शिकायत एवं कृत कार्यवाही

43–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री श्रीराम के मकान नं०-555/300 मो० इन्द्रपुरी (भोलाखेड़ा) थाना कृष्णानगर, जनपद लखनऊ में स्थानीय पुलिस की मदद से लूटपाट करके मकान पर बदमाशों द्वारा जबरन कब्जा किया गया है और उसके द्वारा उक्त के संबंध में दिनांक 2-9-94, 5-9-94, 8-9-94, 23-9-94, 5-10-94 व 24-4-96 एवं श्री राम आसरे वर्मा, पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 22-9-94 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

प्रश्न में वर्णित मकान नं०-555/300 सही नहीं है । वास्तव में मकान नं०- 553/300 है ।

यह कहना सही नहीं है कि स्थानीय पुलिस की मदद से लूटपाट करके मकान पर बदमाशों द्वारा जबरन कब्जा किया गया हो ।

वर्ष 1994 में दिये गये प्रार्थना-पत्रों के सन्दर्भ में 25-9-94 को उभयपक्ष के विरुद्ध 107/116 द०प्र०सं० के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी थी ।

प्रश्नगत मकान श्री मुन्नीलाल रैदास का है । वर्तमान में इस मकान में स्व० श्री मुन्नीलाल का पुत्र श्री संजय रैदास सपरिवार रहता है । श्री मुन्नी लाल रैदास की मृत्यु के पश्चात् पूर्व किरायेदार श्रीराम गोडिया द्वारा मकान पर कब्जा किये जाने का प्रयास किया गया परन्तु वह सफल नहीं हो सका ।

उभयपक्ष के मध्य मकान की कब्जेदारी के संबंध में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद रायबरेली के श्री रामदास पासी पुत्र श्री विश्राम ग्रा० रजियापुर, थाना नसीदाबाद की शिकायत पर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

44–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को सम्बोधित श्री राम दास पासी पुत्र श्री विश्राम ग्राम रजियेापुर, थाना नसीदाबाद रायबरेली का रजि० पत्र दिनांक 7-7-97 जिसमें मारपीट में फैक्चर का मुकदमा न लिखने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । सन्दर्भगत दिनांक का कोई रजि० पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

सन्दर्भगत पत्र प्राप्त ही नहीं हुआ है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

यह अवश्य है कि श्री राम दास पासी निवासी रजियापुर, थाना नसीदाबाद रायबरेली द्वारा दिनांक 30-4-97 को एन०सी०आर० नं०-26 धारा 323/504 भा०द०वि० बनाम मैकू लाल, चन्द्रभान, गया प्रसाद व रामेश्वर निवासीगण ग्राम रजिया[illegible] विरुद्ध पंजीकृत कराया गया ।

जिसमें एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 19-7-97 को धारा 325 भा०द०वि० की बढ़ोत्तरी करके मु०अ०सं० 56/97 धारा 325/323/504 भा०द०वि० उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । अभियुक्त मैकू पासी, चन्द्रभान व रामेश्वर को दिनांक 19-7-97 को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त गया प्रसाद पंजाब भाग गया है इसकी गिरफ्तारी शेष है । अभियोग अभी विवेचनाधीन है ।

जनपद हरदोई के सैफ ईस्ट लि० सण्डीला द्वारा फैले प्रदूषण को समाप्त करने की मांग

45–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि सैफ ईस्ट लि० सण्डीला, जनपद हरदोई की उद्योग इकाई द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है ? क्या प्रदूषण की इस मात्रा से जन-जीवन पर खतरा उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन इस इकाई को बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जी नहीं ।

मै० सैफ ईस्ट कम्पनी लि०, सण्डीला हरदोई द्वारा अपने उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है एवं उत्प्रवाह उ० प्र० नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप निस्तारित किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के ग्राम बांकी में अवैध लकड़ी कटान रोकने की मांग

46–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 28-7-92 को माननीय मुख्य मंत्री ने श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र जो ग्राम सभा बांकी, ब्लाक व जिला देवरिया में श्री ओम प्रकाश द्वारा अवैध लकड़ी काटने की जांच कराने विषयक था तथा जो प्रमुख सचिव (गृह) को भेजा गया था, पर शासन द्वारा क्या जांच की गयी ? क्या मंत्री जी जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जांच का निष्कर्ष यह है कि ओम प्रकाश उर्फ लल्लन पुत्र सुरेन्द्र मणि ने जो 11 पेड़ जामुन के काटे हैं उसी के द्वारा लगाये गये थे तथा उसकी ही जमीन में स्थित थे । जामुन के पेड़ को काटने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई थाना साण्डी के अन्तर्गत ईंट भट्ठा बखरिया के दलित लोगों के कथित उत्पीड़न की जांच कार्यवाही

47–श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-3-97 को थाना साण्डी के दरोगा एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा ईंट भट्ठा बखरिया थाना साण्डी जनपद हरदोई के भट्ठे के अनुसूचित जाति के लोगों को जातिसूचक गालियां देते हुए बहुत ही बुरी तरह से मारपीट कर लूटपाट की गयी है ? क्या इस संबंध में प्रमुख सचिव, गृह को इनका प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-4-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनुसूचित जाति उत्पीड़न की घटना को मुकदमें के रूप में पंजीकृत कराकर उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायांवती–

जी नहीं ।

जी हां ।

शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-4-1997 ईंट भट्ठा मालिक श्री सुभाष चन्द्र पाठक द्वारा दिया गया था । इस प्रार्थना-पत्र पर अपर पुलिस अधीक्षक, हरदोई से जांच करायी गयी । इस जांच में अनुसूचित जाति के उत्पीड़न की घटना सही नहीं पायी गयी । अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी शिकायती-पत्र किसी भी अधिकारी को नहीं दिया गया है । ईंट भट्ठा मालिक श्री सुभाष चन्द्र पाठक ने अपने बचाव एवं पेशबन्दी में जो शिकायती-पत्र दिया उस पर अपर पुलिस अधीक्षक की जांच से अनुसूचित जाति के उत्पीड़न का प्रकरण सिद्ध न होने के कारण और घटना को सही न पाये जाने के कारण मुकदमा पंजीकृत किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

अपर पुलिस अधीक्षक ने अपनी जांच आख्या में यह भी तथ्य अंकित किया है कि शिकायतकर्ताओं ने जांच के दौरान केवल यह अपेक्षा व्यक्त की कि उप निरीक्षक श्री मदन मोहन उपाध्याय, कां० गुरू प्रसाद एवं कां० राजपाल सिंह को थाना साण्डी से स्थानान्तरित कर दिया जाय । जिससे यह पुलिसकर्मी बदले की भावना से उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर सकें । तद्नुसार तीनों पुलिस कर्मियों का थाना साण्डी से स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के थाना साण्डी के अन्तर्गत ईंट भट्ठा नया गांव बखरिया के श्रमिकों के साथ कथित घटना की जांच

48–श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 9-3-97 व 11-3-97 को थाना साण्डी जनपद हरदोई के कांस्टेबिल श्री राजपाल सिंह चौहान व गुरु प्रसाद वर्मा द्वारा अपने सहयोगियों के साथ ईंट भट्ठा नया गांव बखरिया व चौधरीयापुर के श्रमिकों को बहुत ही बुरी तरह से मारपीट कर नकदी धनराशि भी उठा ले गये हैं ? यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण भट्ठा मालिक को कई लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है ? क्या इस संबंध में भट्ठा मालिक का प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-4-97 मा० श्रम मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर पीड़ित श्रमिकों एवं भट्ठा मालिक को समुचित न्याय प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

यह कहना सही नहीं है कि उल्लिखित तिथियों में श्रमिकों को बुरी तरह से मारपीट कर नकदी धनराशि की लूट की घटना घटित हुई है ।

ईंट भट्ठा मालिक श्री सुभाष चन्द्र पाठक ने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, हरदोई को दिया था जिसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक, हरदोई से करायी गयी । यह कहना सही नहीं है कि थाने पर इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी हो । श्री पाठक के शिकायती प्रार्थना-पत्र में जांच के बाद आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । यह भी सिद्ध नहीं हुआ कि ईंट भट्ठा मालिक को कोई नुकसान हुआ हो । अतः अभियोग पंजीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जी हां ।

सन्दर्भगत प्रकरण में अपर पुलिस अधीक्षक, हरदोई द्वारा जांच की जा चुकी है । जांच में आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के राजेन्द्र सिंह सोलंकी पूर्व ग्राम प्रधान राजमन्दिर कला द्वारा विभिन्न पदों का कथित दुरुपयोग किये जाने की शिकायत

49–श्री अमरमणि–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजेन्द्र सिंह सोलंकी, पूर्व ग्राम प्रधान राजमंदिर कला जनपद महराजगंज एवं अध्यापक राम मनोहर लोहिया पूर्व माध्यमिक विद्यालय, गजरही नई कोट ब्लाक नौतनवा तथा कम्पनी कमाण्डर (होमगार्ड) ब्लाक लक्ष्मीपुर है ? क्या वे एक से अधिक पद का वेतन/पारिश्रमिक पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या एक व्यक्ति इन तीनों पदों पर एक साथ कार्य कर सकता है ? क्या यह सही है कि क्या राजेन्द्र सिंह सोलंकी अपराधिक मामलों में जेल जा चुका है ?

क्या सरकार इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और राजेन्द्र सिंह सोलंकी को कम्पनी कमाण्डर होमगार्ड के पद से हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री लालमणि प्रसाद)–

जी हां ।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी राजमंदिर कला, जनपद महराजगंज के भूतपूर्व ग्राम प्रधान थे । श्री सोलंकी राम मनोहर लोहिया पूर्व माध्यमिक विद्यालय, गजरही, नई कोट ब्लाक नौतनवां में अध्यापक पद पर कार्यरत हैं ।

यह होमगार्ड संगठन के अन्तर्गत लक्ष्मीपुर ग्रामीण कम्पनी के अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर हैं ।

जी हां ।

इन्हें विद्यालय से वेतन प्राप्त होता है तथा अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर के पद हेतु रु० 100 प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है ।

केन्द्र/राज्य सेवा/अर्द्ध सरकारी/निजी संस्थान में सेवारत कोई भी अधिकारी/कर्मचारी होमगार्ड संगठन के अवैतनिक पद पर अपने नियोजक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करके भर्ती हो सकता है । इसमें कोई नियम बाधक नहीं है ।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी के अपराधिक मामलों में जेल जाने आदि की कोई सूचना होमगार्ड्स मुख्यालय को नहीं है । इस संबंध में शासन को एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि करायी जा रही है । सूचना प्राप्त होने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय अपराधियों के अपराधी होने के बावजूद शस्त्र लाइसेन्स जारी करने की कथित शिकायत

50–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने जनपद प्रतापगढ़ के कुछ गंभीर अपराधियों के अपराधों के विवरण सहित दिनांक 14-6-1997 को मुख्य मंत्री तथा 8-7-97 को डी० जी० (पी०) को पत्र दिये थे ? यदि हां, तो क्या उसमें से कुछ के पास गंभीर मुकदमों के चलते शस्त्र लाइसेन्स भी स्वीकृत किये गये हैं ? क्या एक अपराधी के विरुद्ध मु०अ०सं० 85/89 कोहडोर धारा 302, आई० पी० सी० में दाखिल है फिर भी शस्त्र लाइसेन्स निरस्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचना एवं उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित पत्रों का प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना–कोहडोर में मु०अ०सं० 85ए/89 धारा 302 भा० दं० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत होना नहीं पाया गया ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

51–श्री जगदम्बिका पाल–

[पांचवें सोम के लिए स्थगित]

जनपद सुल्तानपुर के श्री देव नारायण सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह ग्राम बरनाटीकर थाना गौरीगंज की लड़की की नृशंस हत्या के प्रकरण की कथित शिकायत

52–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देव नारायण सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह, ग्राम बरनाटीकर थाना गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर की लड़की को उसके ससुराल पक्ष द्वारा मार डालने की शिकायत थाने में न दर्ज करने की शिकायत संबंधी पत्र दिनांक 21-6-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी प्राथमिकता दर्ज कर जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब तथा किस अधिकारी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के भग्गू पुत्र पितम्बर ग्राम खुन्ना का ताल मजरे रामपुर चौधरी थाना जामो की लड़की के साथ कथित अमानुषिक कुकृत्य की शिकायत

53–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को संबोधित भग्गू पुत्र पितम्बर ग्राम खुन्ना का ताल मजरे रामपुर चौधरी थाना जामो सुल्तानपुर का दिनांक 7-7-97 का प्रार्थना-पत्र जो प्रार्थी की अवयस्क लड़की के साथ अमानुषिक कृत्य की जांच की मांग विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच बाद क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जांच से आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये अतएव किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के अर्जुन प्रसाद यादव पुत्र रामदीन ग्राम बगिया के साथ कथित घटित मारपीट की घटना

54–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को संबोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-7-97 जिसमें श्री अर्जुन प्रसाद यादव पुत्र रामदीन ग्राम बगिया कैलाश को स्थानीय पुलिस के सिपाहियों द्वारा विपक्षी से मिलकर अवैध तरीके से थाने ले जाकर मारने-पीटने की शिकायत की जांच की मांग है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की तथा जांच के पश्चात् क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कतिपय मा० सदस्यों के शिकायती-पत्रों द्वारा श्री उदय प्रताप सिंह के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

55–श्री चेतराम–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या–2 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिकायतकर्ता श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा के 2 शिकायती-पत्रों एवं श्री डी० के० यादव के शिकायती-पत्र के कौन-कौन से बिन्दु थे और उन बिन्दुओं पर किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गयी और जांच के उपरान्त दोषी पाये गये श्री उदय प्रताप सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या माननीय मंत्री जी कृत कार्यवाही का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती–

श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा के 2 शिकायती-पत्र के मुख्य बिन्दु थाना–खण्डासा के सामंतों, गुण्डों और पुलिस की मिलीभगत से निर्बलों पर हो रहे अत्याचार की जांच के संबंध में थे तथा श्री डी० के० यादव के शिकायती-पत्र में मुख्य बिन्दु मु०अ०सं०–212/93 धारा–147/148/149/307 भा०द०वि० तथा मु०अ०सं०–88/93 धारा 307 भा०द०वि० 3(2) एससी/एसटी ऐक्ट व मु०अ० सं०–89/93 धारा–147/148/436/504/506/452/380 भा०द०वि० की जांच से संबंधित था ।

क्षेत्राधिकारी, इनायतनगर द्वारा जांच कराई गई । मु०अ०सं०–88/93 तथा 89/93 की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

जांच से श्री उदय प्रताप सिंह को दोषी नहीं पाया गया, अतएव उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य के दि० 20-10-96 के पत्र पर हुई जांच कार्यवाही

56–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया एवं श्री बाबू राम–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य का पत्र दिनांक 22-10-96, जो कि पुलिस महानिदेशक उ० प्र० शासन, लखनऊ को संबोधित तथा जो प्राण घातक हमले की जांच एवं सुरक्षा प्रदान करने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि थाना सोनहा, जिला बस्ती के थानाध्यक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की गयी ? इस संबंध में मा० केन्द्रीय गृह मंत्री के पत्र दिनांक 6-2-97 एवं मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के पत्र दिनांक 15-1-97 पर अब तक दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मामले की जांच पुलिस अधीक्षक, बस्ती से कराई गई । जांच में यह पाया गया कि परिवादी व विपक्षीगण के विरुद्ध बरसाती पानी को लेकर विवाद हुआ था जिसके संबंध में परिवादी द्वारा भयभीत होकर अपने परिवार की सुरक्षा का अनुरोध किया गया था ।

श्री अजीजुरहमान के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 11-11-96 को ए० सी० आर० नं० 128/96 धारा 323 भा० द० वि० का अभियोग थाना सोनहा में दर्ज किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, बस्ती को अजीजुरहमान व उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया ।

जनपद बहराइच के अब्दुल हन्नान पुत्र शमसेर के शातिर अपराधों के अवैध गतिविधियों की कथित जानकारी

57–श्री हरिनारायण तथा श्री विनय कुमार पाण्डेय उर्फ "विन्नू"–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई० एस० आई० एजेन्ट अब्दुल हन्नान पुत्र शमसेर जोकि वर्तमान में जनपद बहराइच में ठेकेदारी के बहाने नारकोटिक्स तस्करी में लिप्त शातिर अपराधी निवासी ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय, थाना रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया केथाना–रामपुर कारखाना में हिस्ट्रीशीट संख्या क्या थी ? उसकी हिस्ट्रीशीट बन्द करने का औचित्य क्या है ? उसकी अवैध गतिविधियों की जांच कराकर उसकी हिस्ट्रीशीट पुनः खोल कर उसकी अवैध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिये शासन क्या व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

श्री अब्दुल हन्नान की हिस्ट्रीशीट सं०–62–ए थी ।

श्री अब्दुल हन्नान की उम्र करीब 73 वर्ष है । उसकी हिस्ट्रीशीट वर्ष 1950 में खोली गई थी । लगभग 20 वर्षों से हिस्ट्रीशीट शान्त रहने के कारण दिनांक 4-3-67 से इसकी निगरानी बन्द कर दी गई है ।

अब्दुल हन्नान के आई० एस० आई० की गतिविधियों में लिप्त होने का कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रश्नगत कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद में आई० टी० आई० नैनी एवं बी० पी० सी० एल० के श्रमिकों के आवास आवंटन

58–श्री राजधारी–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि श्रमिक बस्ती संडल, नैनी, इलाहाबाद में वर्ष 1973 से रह रहे आई० टी० आई० नैनी के श्रमिकों के नाम आवासों का आवंटन नहीं है और वर्ष 1974 से रह रहे टी० एस० एल०, नैनी के श्रमिकों के नाम आवासों का सीधे आवंटन हो चुका है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस श्रमिक बस्ती के आवासों में रह रहे आई० टी० आई० नैनी तथा बी० पी० सी० एल० नैनी के श्रमिकों के नाम सीधे आवासों का आवंटन करने के लिए कब तक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

प्रश्नगत श्रमिक बस्ती के कुल 576 गृहों में से 473 गृहों का समूह आवंटन मेसर्स आई० टी० आई०, नैनी को किया गया है । समूह आवंटन होने के कारण उक्त गृहों का आवंटन स्वयं प्रतिष्ठान द्वारा श्रमिकों को किया जाता है जबकि मेसर्स टी० एस० नैनी के श्रमिकों से प्रारम्भ में ही गृहों के आवंटन हेतु पत्र श्रम विभाग को प्राप्त हुए थे, जिस पर परीक्षणोपरान्त गृहों का सीधा आवंटन श्रमिकों के नाम कर दिया गया था ।

मेसर्स आई० टी० आई०, नैनी, इलाहाबाद को किये गये समूह आवंटन के कारण उसके श्रमिकों के नाम से सीधा आवंटन किया जाना संभव नहीं है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति उत्पीड़न में दर्ज मामलों का तुलनात्मक विवरण

59–श्री बाबू राम यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 21 मार्च, 1997 से 20 जून, 1997 तक प्रदेश में अनुसूचित जाति उत्पीड़न के कितने मामले पंजीकृत किये गये ? गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष कितने अपराध बढ़े ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिनांक 16-3-97 से 30-6-97 तक एवं दिनांक 16-3-96 से 30-6-96 तक की अवधि में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का अपराधवार तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :–

अपराध का प्रकार	16-3-97 से 30-6-97 तक	16-3-96 से 30-6-96 तक
1–हत्या	120	127
2–गंभीर चोट	250	290
3–बलात्कार	115	104
4–आगजनी एवं गंभीर सम्पत्ति क्षति	103	125
5–भा०द०वि० के अन्य हस्त० अपराध	1057	1136
6–अनु०जाति/जनजाति (अ०नि०) अधि० 1989	1611	1669
7–ना०अ०सं० अधि० 1955	9	11
योग	3265	3462

माननीय सदस्य श्री पूर्णमासी पंकज एवं डा० राम बाबू हरित के पत्र द्वारा निजी मुद्रणालयों में वेतन पुनरीक्षण की मांग

60–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 12 मई, 1997 को पूर्णमासी पंकज विधायक एवं दिनांक 3 जुलाई, 1997 को डा० रामबाबू हरित विधायक का पत्र, जो कि निजी मुद्रणालयों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

निजी मुद्रणालयों में नियोजित कर्मचारी के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में श्री पूर्णमासी पंकज, विधायक का पत्र दिनांक 12-5-97 शासन को प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है, परन्तु डा० रामबाबू हरित, विधायक का पत्र दिनांक 3-7-97 शासन को दिनांक 5-7-97 को प्राप्त हुआ था जिसके संबंध में श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश शासन के पत्र दिनांक 31-7-97 द्वारा दिये जा चुके हैं ।

61–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[एक से अधिक विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

वाराणसी में गंगामुक्ति अभियान के तहत स्नानार्थियों को डूबने से बचाने हेतु जल पुलिस की व्यवस्था

62–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि गंगामुक्ति अभियान के तहत काशी के घाटों को प्रदूषण मुक्त बनाये रखने व स्नानार्थियों को डूबने से बचाने हेतु वाराणसी में स्थापित जल पुलिस थाने पर उद्देश्य पूर्ति हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं है ? क्या यह सही है कि जीवन रक्षा हेतु कोई गोताखोर भी

नियुक्त नहीं है ? क्या सरकार अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही गोताखोरी में दक्ष काशी के मल्लाहों को नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

गंगा मुक्त अभियान के अन्तर्गत काशी के घाटों को प्रदूषण मुक्त बनाये रखने व स्थानार्थियों को डूबने से बचाने के लिये जनपद वाराणसी में पुलिस व्यवस्था के अधीन जल पुलिस थाना स्थापित है, जो अपने उपलब्ध संसाधनों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है ।

जी हां ।

काशी के मल्लाहों को गोताखोरी के पद पर नियुक्ति का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है ।

63–श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[पांचवे मंगल में अता० प्र० सं० 189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक एवं महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों के अस्तियों एवं दायित्वों तथा अचल सम्पत्तियों की विवरण की जानकारी

64–श्री विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू"–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक एवं महानिरीक्षक स्तर के कुल कितने आई० पी० एस० अधिकारी प्रदेश सरकार के अधीन इस समय कार्यरत हैं ? इनमें से कितने अधिकारियों ने विगत दो वर्षों की अवधि में अथवा वर्तमान नियुक्ति की तिथि पर अपने अस्तियों एवं दायित्वों का विवरण शासन को प्रस्तुत किया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सेवा नियमावली की व्यवस्थाओं के अनुरूप उक्त स्तर के अधिकारियों से उनकी चल एवं अचल सम्पत्तियों का विवरण प्राप्त कर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश सरकार के अधीन 6 पुलिस महानिदेशक, 20 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं 44 पुलिस महानिरीक्षक स्तर के आई० पी० एस० अधिकारी कार्यरत हैं ।

अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली–1968 के नियम–16(2) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 5 पुलिस महानिदेशक, 14 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं 26 पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों ने वर्तमान में अपने अस्तियों एवं दायित्वों का वार्षिक सम्पत्ति का विवरण उपलब्ध कराया है ।

जी हां ।

शेष अधिकारियों के सम्पत्ति का विवरण शीघ्र प्राप्त किया जायेगा ।

जनपद उन्नाव के शिक्षा विभाग में फर्जी पेंशन प्रकरण की जानकारी

65–श्री तेजभान सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के शिक्षा विभाग के फर्जी पेंशन प्रकरण की निष्पक्ष जांच संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-6-97 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित उन्नाव जिले के शिक्षा विभाग के फर्जी पेंशन प्रकरण की जांच संयुक्त निदेशक कोषागार, लखनऊ मण्डल एवं पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत पेंशन के मामलों की विशेष सम्परीक्षा विभागीय लेखा निदेशालय से कराई गई है । विशेष सम्परीक्षा रिपोर्ट में शिक्षा विभाग एवं कोषागार के कतिपय अधिकारी/कर्मचारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं । कोषाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । कोषागार के अन्य संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को लिखा गया है तथा शिक्षा विभाग के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु शिक्षा विभाग को लिखा गया है । अनु सचिव वित्त विभाग के संबंध में की गई शिकायत के संबंध में अलग से कार्यवाही की जा रही है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री समरपाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

प्रश्न के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपने मुझे प्रश्नकाल में कृपा पूर्वक प्रश्न संख्या–4 के लिए मुझे प्रश्न के लिए पुकारा और मैं खड़ा भी हो गया । यह प्रश्न छोटा प्रश्न नहीं है । यह प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था संबंधी प्रश्न था । आज प्रदेश में 30 बोर के रिवाल्वर बिक रहे हैं । इससे प्रदेश के लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया और इतनी बड़ी लंबी चर्चा हो गयी । यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है । आज विदेशी शक्तियां प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था नष्ट करने में लगी हुई हैं । मान्यवर, आज का प्रश्नकाल तो बीत गया । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब एक बार प्रश्नकर्ता को बुला लिया जाय उसके बाद कोई विवाद उसमें नहीं चलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न का उत्तर नहीं आ पाया यह ठीक है । उस समय नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गये थे और जब वह खड़े होते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है । आपका प्रश्न मैं स्थगित कर देता हूं । मैं कल आपका प्रश्न ले लूंगा ।

श्री शिव शंकर स० वि० स० की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री शिव शंकर–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आज मेरा जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है । मुझे मार डालने की योजना बबेरू कोतवाल कैलाश चन्द्र एवं योगेन्द्र कुमार राय बबेरू कोतवाली प्रभारी, मनी थानाध्यक्ष कर रहे हैं । मैंने इसके पहले भी लिखकर दिया था आज भी दे रहा हूं । मैंने मुख्य मंत्री जी आई० जी०, डी० आई० जी० और एस० पी० कैलाश चन्द्र को लिखकर दिया है तत्काल स्थानान्तरण जिले के बाहर किया जाय और सी० आई० डी० जांच करवायी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आपने किस नियम के तहत सूचना भिजवायी है ।

श्री शिव शंकर–

मान्यवर, मैंने नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

जिस समय नियम–51 लिया जायेगा तब देख लिया जायेगा । अभी आप बैठ जायें ।

श्री शिव शंकर–

मान्यवर, मैंने थाने में भी इसकी रिपोर्ट लिखवायी है । वहां का एस० पी० कहता है कि मर्डर तो होते रहते हैं । आज मेरी जान खतरे में है । मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उस एस० पी० को तत्काल वहां से हटाया जाय ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह विधायक की सुरक्षा का प्रश्न है और मैं समझता हूं कि सदन को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता पर विचार करना चाहिए । किसी व्यक्ति को हटाने से यदि कार्य पूरा हो सकता है या सदस्य की जान बच सकती है तो उसे हटा देना उचित होगा । लोकतंत्र में लोक बड़ा है या तंत्र बड़ा है ?

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य मुझसे कक्ष में मिल लें । मैं देख लूंगा कि क्या हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मिल लें और अपनी समस्या से अवगत करा दें ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जब सत्तारूढ़ दल के सदस्य की जीवन रक्षा नहीं हो पा रही है तो इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक-एक सदस्य अगर अपनी बात कहें तो समझ में भी आ पायेगा । माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसका माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है ।

श्री शिव शंकर–

क्या कार्यवाही हुई है, मुझे पता नहीं है । मैं वहां पर सुरक्षित नहीं रह सकता । मेरी हत्या हो जायेगी । मैंने लिख कर भी दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि आप उनसे मिल लें । आप विस्तार से अपनी बात उनको बता दें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

इनकी जान को खतरा है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे संज्ञान में आ गया है। अब मैं इस पर और कुछ कहने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री समरपाल सिंह–

उन्होंने डी० आई० जी० को लिखकर दिया, उनको अवगत करा दिया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी पहले पूरी बात तो सुन लें।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

अगर बसपा का कोई सदस्य होता तो उसका मामला हल हो जाता। मान्यवर, इनकी सरकार ने, जो हिस्ट्रीशीटर हैं, उनको गनर दिया है। सत्तारूढ़ दल के विधायक की जान का खतरा उत्पन्न हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री रघुवर दयाल वर्मा जी, आपको क्या कहना है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया आपके सामने खड़े हैं अपनी जान के खतरे के संबंध में सदन को अवगत कराया और कहा कि वह माननीय मंत्री जी से मिले हैं, उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है जिससे इनकी जान का खतरा दूर हो सके। श्रीमन् इनको आदेश मिला, फिर लिखकर दिया और मा० सदस्य के जीवन के खतरे के संबंध में संगेयता में कहीं न कहीं ढील है और इसलिए मा० सदस्य ने खड़े होकर अपने दुख को प्रकट किया है। यह बहुत गंभीर मामला है। मेरी आपसे प्रार्थना है और निवेदन है कि आप सरकार को निश्चित निर्देश दें कि माननीय सदस्य की सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया जाये ताकि इनको कोई शिकायत न रहे। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

इसके पहले भी मुख्य मंत्री जी को लिखकर दिया है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी है।

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

श्री शिव शंकर–

हत्या होने की स्थिति में आ गयी है। तो मैं क्या करूं। उसको निलम्बित कर दिया जाये। आज ही आपके सामने आदेश हो जायें।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, अभी कानून व्यवस्था के बारे में प्रश्न था और उस पर बात चल ही रही थी और हमारे विधायक जो सत्ता प्रक्ष के सदस्य हैं उन्होंने कहा, यह सरकार उनके लिखने के बाद भी, मुख्य मंत्री को लिखकर देने के बाद भी उनकी जान की सुरक्षा के बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यह बड़ा गंभीर मामला है। चाहे सत्ता पक्ष का कोई सदस्य हो या विपक्ष का कोई सदस्य हो, सबके लिये एक समान व्यवस्था होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह सरकार सत्ता पक्ष के विधायकों की रक्षा नहीं कर सकती है तो हम लोगों की कैसे रक्षा कर सकती है, हम लोगों का तो वैसे भी उत्पीड़न किया जा रहा है। सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। हमारे विधायकों का अपमान किया जा रहा है और यह सरकार प्रसन्न होती है। संसदीय कार्य मंत्री जी हंस-हंस कर उत्तर देते हैं, उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस रवैये को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके रहते किसी की सुरक्षा नहीं है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिये। हमारा दल इस पर क्षोभ और रोष व्यक्त करता है और सदन का बहिष्कार करता है आज लगातार कानून और

व्यवस्था लगातार गिर रही है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है । इसलिये आज हम सदन का बहिष्कार कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय पारसनाथ यादव और माननीया विजमा यादव जी को आपके निर्देश के बावजूद सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, आपके निर्देशों का पालन नहीं किया है इसलिये भी हम सदन का बहिष्कार करते हैं ?

(श्री धर्राम वर्मा, नेता, विरोधी दल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के सबके सम्मान का संबर्धन करना इस सरकार का प्रमुख दायित्व है । सबकी सुरक्षा और सम्मान के संवर्धन को हम प्राथमिकता पर ले रहे हैं । जहां तक माननीय सदस्य ने अपनी व्यथा की बात कही जैसे ही वह खड़े हुये मैंने उनसे अनुरोध किया, माननीय सदस्य ने जो कहा है निश्चित रूप से परीक्षण किया जायेगा, माननीय सदस्य को मैंने कहा मुझ से मिल ले, उनकी बात को गंभीरता से लिया है । जो भी उनकी दिक्कत है, जो भी कष्ट है उसका निवारण सरकार दीर्घता पर करेगी (व्यवधान)

श्री शिव शंकर–

जब मेरी हत्या हो जायेगी तब परीक्षण क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है मैंने भी उनसे अनुरोध किया है कि इस प्रकरण को गंभीरता से लें, इस पर प्रभावी कार्यवाही करें और माननीय सदस्य की सुरक्षा सुनिश्चित करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय सदस्य कह रहे हैं जब हमारी हत्या हो जाएगी तब परीक्षण होगा उससे क्या लाभ ? यह अत्यन्त गंभीर और संवेदनशील प्रश्न है । उन्होंने मुख्य मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री के संज्ञान में यह विषय दे दिया है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । जब तक आप इसका संज्ञान नहीं लेंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरे संज्ञान में आ गया है उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि आवश्यक कार्यवाही करेंगे । मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकरण को लेकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य सदन में वापस आ गये)

दि० 4 अगस्त, 97 को विधान सभा की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या 15 (नत्थी घ) के निरस्त हो जाने के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगला आइटम ले रहा हूं ।

माननीय श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव ने सोमवार, दिनांक 4 अगस्त, 1997 को विधान सभा की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या 15 (नत्थी "घ") को राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के आधार पर

निरस्त किए जाने पर सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । माननीय सदस्य की बात सुनने के उपरान्त मैंने इस मामले में अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी । अब मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं ।

मैंने उक्त प्रश्न से संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया । माननीय संस्थागत वित्त मंत्री ने मुझे अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई, 1997 द्वारा यह सूचित किया था कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या–सफ० 2-4/78 आर० आर० बी० दिनांक 17 मार्च, 1978 में यह उल्लिखित है कि बैंकिंग केन्द्र सरकार का विषय है अतः उसके संबंध में प्रश्नोत्तर संसद में हो सकते हैं । अपने पत्र के साथ माननीय मंत्री ने उक्त परिपत्र की प्रति भी संलग्न की है ।

मैंने भारत सरकार के उक्त परिपत्र का अवलोकन किया । मैं उक्त परिपत्र में उल्लिखित इस मत से सहमत हूं कि राज्य विधान मण्डल में उन्हीं विषयों पर प्रश्न उठाये जाने चाहिए जो संबंधित मंत्री के विशिष्ट रूप से संज्ञान में हों और जिसके लिए वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो । तद्नुसार केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंधित प्रश्न राज्य विधान सभा में नहीं उठाये जाने चाहिए क्योंकि उनके लिए राज्य सरकार, राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है । उक्त प्रश्न चूंकि व्यवसायिक बैंकों के वित्त पोषण से संबंधित है जो केन्द्र का विषय है अतः उक्त प्रश्न को राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम–26 के अन्तर्गत निरस्त किया जाना उचित था ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 अगस्त, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई ।

(सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई)

(श्री मुरलीधर का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

ग्राम समेरा मुताल के चिखड़ी, तहसील मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में ग्राम समाज की भू-सम्पत्ति को मनमाने तरीके से आवंटित की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन यादव–

[मान्यवर, ग्राम सेमरा मुताल के चिखड़ी परगना पश्चिम राठ तहसील मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद में ग्राम समाज की सरकारी भू-सम्पत्ति जो बाजार हरिगंजनगंज में स्थित है और व्यवसायिक उपयोग की दृष्टि से लाखों की सम्पत्ति है पर प्रधान स्वयं एवं उनके परिवार वालों के नाम राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करके नाम करा लिया गया है और अवैध कब्जा और निर्माण किया जा रहा है, ग्राम समाज की भू-सम्पत्ति संख्या 288 व भू-संख्या 300 के अपने नाम कराने तथा अवैध निर्माण करने में गंभीर अनियमितता की है इसके अतिरिक्त दर्जनों एकड़ ग्राम सभा की भू-सम्पत्ति को लाखों रुपये में विक्रय कर न केवल अवैध कमाई की है अपितु भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में आवंटित न कर उन्हें लाभ से वंचित किया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है इतना ही नहीं उक्त गांव के पूर्व पट्टेदारों की भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से उनके कब्जे से छीन लिया । इस प्रकार सरकार के सभी कानूनों को धता बताकर लाखों की कमाई अवैध कब्जा निर्माण कर अपने पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ उठाया । इस प्रकार सरकारी भू-सम्पत्ति की लूट कर लाखों रुपये अर्जित करने वाले अपने पद एवं प्रभाव का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ कमाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समयबद्ध जांच कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद फैजाबाद स्थित मदरसा टाउन एरिया में नियमित विद्युत आपूर्ति करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अवधेश प्रसाद–

[जनपद फैजाबाद मेरे विधान सभा क्षेत्र सोहावल में मदरसा टाउन एरिया है । जिसकी आबादी लगभग 25 हजार है । अधिकांश आबादी अल्पसंख्यक परिवारों की है । विगत दिनों में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने इस कस्बे की विद्युत लाइन काट दी थी । एक सप्ताह तक अंधेरा रहा । लोगों ने जब इसकी शिकायत अधिकारियों को की तो एक नहीं सुनी । बल्कि एक अल्पसंख्यक नवयुवक के दांत अधिकारियों के इशारे पर तोड़े गये । मारा पीटा गया । स्थिति विस्फोटक है । यही नहीं इससे आस-पड़ोस के गांव पिपरातात, कल्याण मदरसा, वैल, टसौली खमहोड़ा, सरैया, बभनगवां, पलियागोवा, अरूवांवा,नजीरपुर मिर्जापुर निमौली, बरवा आदि गांवों में विद्युत विच्छेदन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । लोगों में जनजीवन आसामान्य हो गया है । आज भी विद्युत संकट बरकरार है । 15-15 दिन में कहीं एक घण्टे के लिये बिजली आती है । इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि मदरसा कस्बा तथा पूरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठीक की जाए । अन्यथा किसी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है । जिन अधिकारियों ने विद्युत कनेक्शन अकारण बिना किसी नोटिस के काट दिया था जांच करके उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और वहां के लोगों को हर्जाना दिया जाए क्योंकि एक सप्ताह तक छोटे-छोटे दवाखाने और छोटे-छोटे कारखाने बंद हो गये थे ।]

[श्री प्रेम पाल सिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।]

जनपद महराजगंज की ग्राम सभाओं को मुख्य मार्ग से जोड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चन्द्र किशोर–

[सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा महराजगंज अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है । यह विधान सभा क्षेत्र घोर तराई में, जंगल के बीच में है । जनपद महराजगंज बिहार एवं नैपाल की सीमा से लगा हुआ है । मेरे विधान सभा महराजगंज के सैकड़ों ग्राम सभायें मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ी हुई हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकतम लोग कृषि पर आधारित हैं, जिस कारण फसल कटने पर उसे बेचने मण्डी में ले जाना अत्यन्त कठिन है । मार्ग के अभाव में अगर बरसात हो जाये तो गांव में यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे दवा कराने अस्पताल ले जाना सम्भव नहीं है । मेरा जनपद बने 8 वर्ष हो गया है मगर अभी तक सड़कों का अभाव है । साथ ही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महराजगंज चौक मुख्य मार्ग पर पुल एक वर्ष पहले टूट गया है । जिस पर पी० डब्लू० डी० को जिला योजना से लगभग 16 लाख रुपया दिया गया है । यह पैसा 4 माह पूर्व ही दिया गया है । मगर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर आपके माध्यम से कहना है कि जनपद महराजगंज को पिछड़ा जनपद घोषित करते हुए महराजगंज सदर में अतिरिक्त बजट भेजते हुए ग्राम सभाओं को मुख्य मार्ग से जोड़ने का निर्देश देने की कृपा करें ।]

(अमरमणि का नाम सदन में पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कुशी नगर जनपद के कसया थाने के अन्तर्गत भाजपा कार्यकर्ता की हत्या से उत्पन्न स्थित के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सूर्य प्रताप शाही–

[कुशी नगर जनपद के कसया थाने के अन्तर्गत 6 अगस्त, 1997 को भाजपा कार्यकर्ता श्री मस्तराज सिंह तिवारी बैरिया की सायंकाल 7.00 बजे के लगभग गांव के समीप ही हत्या कर दी गई । इसके पूर्व वह पुलिस महानिदेशक, आई० जी० जोन तथा पुलिस अधीक्षक सहित मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर अपने जीवन का गुहार कर रहा था किन्तु इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा उठाये गये पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों के कारण हत्यारों का मनोबल बढ़ा और उसकी हत्या कर दी गई । नामजद अभियुक्तों से एक भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है । जिससे जनता में भय और आतंक व्याप्त है ।

दिनांक 20 जुलाई को भाजपा कसया के मण्डल अध्यक्ष श्री विश्वनाथ सिंह कुशवाहा, प्रधानाचार्य मल्लू सिंह इण्टर कालेज की मोटर साइकिल उनके जीविक समीप छीन ली गई । लुटेरों में से अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और न अब तक मोटर साइकिल बरामद हुई ।

इन घटनाओं से जनता में दहशत है और कानून व्यवस्था के लचर स्थिति से अराजक तत्वों का मनोबल बढ़ रहा है ।

फलतः इस लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रतीक्षा सूची से दो सूचनायें लेता हूं ।

(श्री शिव शंकर का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

शाहजहांपुर के विद्यालयों में शिफ्ट व्यवस्था लागू करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[शाहजहांपुर नगर में 4 लाख से अधिक आबादी के बीच मात्र 18 इण्टर कालेज हैं जिसमें से 8 लड़कों के, 6 लड़कियों के तथा 4 में लड़के लड़कियां दोनों ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं । आजादी के बाद जिस तेजी से जनसंख्या का विस्तार हुआ, उस अनुपात में विद्यालयों का खोला जाना सम्भव नहीं हो सका । परिणामस्वरूप कक्षा–9 व कक्षा–11 में प्रवेश की भयंकर समस्या है । एक-एक कक्षा में 100 से 200 बच्चे तक हो गये हैं । क्लास रूम में बैठने की व्यवस्था नहीं है । शिक्षण कार्य सुचारु रूप से सम्भव नहीं है । बच्चे क्लास रूम के बाहर बैठते हैं, अध्यापक अन्दर पढ़ाते हैं । ऐसी दशा में शिक्षक का पढ़ाना और बच्चों का पढ़ना दोनों ही व्यर्थ जाता है ।

कक्षा–9 व कक्षा–11 साइंस व कामर्स में प्रवेश के इच्छुक छात्रों की ज्यादा भीड़ है । जूनियर हाई स्कूलों की संख्या इण्टर कालेजों से दूनी से भी अधिक है । प्रत्येक वर्ष कक्षा–8 में जितनी संख्या में छात्र/छात्राएं उत्तीर्ण होते हैं उसमें से आधे छात्रों को भी आसानी से शाहजहांपुर में प्रवेश मिलना मुश्किल होता है । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत छात्र शहर में पढ़ने आते हैं जिनके प्रवेश को लेकर धरना, प्रदर्शन तथा रास्ता जाम आदि कार्यक्रम होते हैं, परन्तु इसका कोई समाधान नहीं मिलता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शाहजहांपुर के कम से कम चार विद्यालयों में (2 लड़के व 2 लड़कियों के) डबल शिफ्ट व्यवस्था लागू कराने की कृपा करें ।]

श्री अध्यक्ष–

जिन मा० सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई उनके नाम इस प्रकार हैं :–

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री दल बहादुर कोरी, श्री ओम प्रकाश यादव, श्री प्रेम स्वरूप पाठक, डा० राम बाबू हरित, श्री दलवीर सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री बाबू राम यादव, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री कोविद कुमार सिंह, श्री अजय भट्ट, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री नन्द राम, श्रीमती उर्मिला यादव, श्री बनवारी लाल दोहरे, श्री अजय कुमार पोइया, श्री चन्द्रनाथ सिंह आदि, श्री मतेश चन्द्र सोनकर, श्री विक्रमाजीत मौर्य, श्री छोटे लाल गंगवार, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री समरपाल सिंह, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह सिशौदिया ।

* श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, एक सूचना मेरी थी । मैंने पहली बार दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

कल आप दोबारा दें दें । कल जितनी भी नियम 301 में प्राप्त होंगी मैं सबको स्वीकार कर लूंगा ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

आज नियम 300 में जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं उनमें पहली सूचना माननीय चन्द्र नाथ सिंह, माननीय वकार अहमद और माननीय मित्रसेन यादव की है ।

श्री प्रमोद कुमार स० वि० स० द्वारा कथित रूप से श्री चन्द्र नाथ सिंह स० वि० स० की सदस्यता समाप्त करने तथा अपशब्द इस्तेमाल किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, मैंने जो सूचना नियम 300 के अन्तर्गत आपको दिया है वह संविधान के अनुच्छेद 164 को प्रभावित करती है । दिनांक 6 अगस्त को मैंने नियम 300 के अन्तर्गत एक औचित्य का प्रश्न उठाया था । पूरा सदन चाहता है कि नेता सदन उपस्थित रहें । मान्यवर, नेता सदन और नेता विपक्ष सदन की शोभा हैं और सदन की अगर इच्छा हो तो नेता सदन को बुलाया जाना चाहिये । मैंने प्रश्न उठाया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया था और आपने व्यवस्था दी थी । इसके उपरान्त प्रमोद तिवारी जी ने मेरी सदस्यता समाप्त करने के लिये कहा था जिससे मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है । हम सब सदस्य यहां चुनकर आये हैं और हम इस सदन के सभी सदस्य करोड़ों जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । यह जनतंत्र है और जनतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है । उसका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये । मैंने 4 अगस्त को यह प्रश्न उठाया था ।

श्री अध्यक्ष–

आप जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं तिवारी जी ने ऐसा कहा था । मैंने उसी दिन कह दिया था कि उस अंश को कार्यवाही से निकाल देंगे । आप उसको आज फिर कह रहे हैं इससे तो वह औपचारिक रूप से कार्यवाही में आ जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी मेरे जनपद के हैं और मेरे मित्र भी हैं । उन्होंने अपने दो माननीय सदस्यों का नाम बताया था । मान्यवर, मैं सत्य बोल रहा हूं । तिवारी जी हमारे मित्र भी हैं मैं उनकी सौगन्ध खाकर कह रहा हूं कि उन्होंने दो सदस्यों का नाम बताया था ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जब आपने उस दिन कह दिया था कि इसको कार्यवाही से निकाल देंगे तो फिर क्यों माननीय सदस्य उसका संज्ञान ले रहे हैं ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, तिवारी जी ने अपने दो सदस्यों के साथ विश्वासघात किया है । विपक्ष में बैठकर विपक्ष के सदस्यों के साथ विश्वास प्राप्त किया और ताली बजाकर यह सत्ता पक्ष की तरफदारी करते हैं क्योंकि इन्हें जेड कैटेगिरी की सिक्योरिटी लेनी है इसलिये संसदीय कार्य मंत्री के प्रति वफादारी दिखाई । मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है । हम सब नये सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलता है । कोई बात हो और नेता सदन और नेता विरोधी दल बोलें तो मान्यवर उचित प्रतीत होता है लेकिन प्रमोद तिवारी जी प्रतिदिन हर प्रश्न पर खड़े हो जाते हैं बोलने के लिये । [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[x x x x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह सब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[x x x x x x x]

श्री अध्यक्ष–

आक्षेपात्मक वाक्यों को कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेंगे ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम नये सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाय । मान्यवर, आप कार्यवाही रजिस्टर निकलवा कर देख लें नये सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलता है । हमारे नये सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया है । अब आप समाप्त करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

नये सदस्यों का अधिकार है तो क्या पुराने सदस्यों का नहीं है ? अब आप समाप्त करें, बहुत हो गया । वरिष्ठ सदस्यों से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा है । अब समाप्त कर दीजिये । कुछ लिखा नहीं जायेगा । कुछ लिखा नहीं जा रहा है । मैंने मना कर दिया है जितने माननीय सदस्य ने आक्षेप लगाये हैं मैं उनको निकाल दूंगा । दिनांक 6-8-97 को पृष्ठ 24-25 पर जो कार्यवाही में है, संविधान के अनुच्छेद 191 का संदर्भ दिया है माननीय सदस्य ने प्रतिवाद किया वह चन्द्र नाथ जी के विरुद्ध नहीं था । चन्द्रनाथ जी के विरुद्ध जो आया था उसको कार्यवाही से निकाल दिया गया है आज भी आक्षेपात्मक बातें आई हैं उनको निकाल दिया जायेगा । आपकी सूचना को अस्वीकार करता हूं ।

नियम 301 एवं 51 की सूचनाओं पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

* डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, नियम–301 और नियम 51 में जो हम सूचनायें देते हैं वह लोक महत्व की अविलम्बनीयता और लोक महत्व के प्रश्न होते हैं । मान्यवर, अविलम्बनीयता और लोक महत्व का अभिप्राय यह है कि जिसमें विलम्ब न होना । दोनों नियमों के बिन्दुओं में गम्भीरता होती है । मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इन दोनों नियमों के अन्तर्गत जो हमारी सूचनायें स्वीकृत होती हैं, आपकी पीठ से सूचना के संबंध में निर्देश जारी होते हैं सरकार उस दिशा में बहुत संवेदनशील नहीं होती है मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि भरसार बगीचा है यह एशिया का सबसे बड़ा बगीचा है इसके बारे में मैंने 1991-94-96-97 में सूचना दी, इस बार तीसरी बार सूचना दी है उत्तर प्रदेश पर वित्तीय भार बढ़ रहा है इसके कारण आर्थिक स्थिति और औद्योगिक विकास ठप्प है लेकिन इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीतोष अनुसंधान केन्द्र बनाया जाय लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है न तो इस विषय में मेरे ही संज्ञान में कोई बात लायी गई और न ही इस संबंध में कोई कार्यवाही ही हुई है । इसके साथ ही हमारे यहां राजकीय इन्टर कालेज हैं जिसमें हजारों छात्र हैं । यहां कालेज की स्थिति बहुत जीर्ण-शीर्ण है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है । आप देख लीजिये आप तो काफी पढ़े लिखे हैं आप नियम 300 के उप नियम 2 को देख लें ।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, तीन चार बार सूचना दी है अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना है यह हजारों छात्रों के जीवन से जुड़ा प्रश्न है । इसी तरह से रामगंगा के कटान से सैकड़ों लोगों का जीवन संकट में है । अलकनंदा के कटान से सैकड़ों लोगों का जीवन संकट में है सूचना पर कोई कार्यवाही नहीं होती है । नियम–301 में अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न आते हैं अगर इस तरह से होगा तो सदस्य की गरिमा सदन की गरिमा का क्या होगा ? यह सदस्य और सदन की गरिमा से जुड़ा प्रश्न है । इसमें तत्काल

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यवाही होनी चाहिये । इसके अलावा माननीय सदस्य जिनकी सूचना होती है उनको भी कार्यवाही से अवगत कराया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

डा० रमेश पोखरियाल जी की सूचना 1991-94-96-97 से संबंधित है । इसमें किसी विशेष सूचना का उल्लेख नहीं किया है । यह 300 (2) से अवरुद्ध है । मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा श्री शिव सिंह चक,स० वि० स० को अपशब्द कहने तथा धमकी दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री शिव सिंह चक–

कल 10-8-97 को मैं जिलाधिकारी से वार्ता कर रहा था .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सूचना को देख लीजियेगा ।

श्री शिव सिंह चक–

मैंने उनसे वार्ता किया उनसे पूछा । उन्होंने कहा कि उद्घाटन ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री कर रहे हैं मेरा आवास वहां से मात्र 10-15 कदम की दूरी पर था लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया । मुझसे कहा गया कि आपको इस संदर्भ में पूछने का कोई हक नहीं है । फिरोजाबाद के डी० एम० ने मुझसे कहा कि अगर इस घटना का जिक्र कहीं करोगे तो तुम्हारा राजनैतिक कैरियर समाप्त कर दूंगा । उनके यह शब्द सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ है जिससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है । उनका आचरण गरिमा के बाहर है । विधायक को धमकी देना कि तुम्हारा राजनैतिक कैरियर तबाह कर दूंगा ऐसा लगता है कि उनकी विरोधियों से सांठगांठ हो गई है । वह मेरे विकास के कार्यों में अवरोध डालना चाहते हैं । क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने स्वास्थ्य मंत्री श्री स्मापति शास्त्री से प्रोग्राम ले रखा था इसकी सूचना मैं डी० एम० को देने गया था तो उन्होंने कहा कि इसका उद्घाटन आज 10-8-1997 को ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री से करा रहा हूं और आपको इसमें कोई अधिकार नहीं है पूछने का मेरे घर से मात्र 10-15 कदम की दूरी पर उद्घाटन हुआ और मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी पूरी सूचना पढ़ ली है तथा संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में बात ला दी है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जिस तरह की धमकी जिलाधिकारी महोदय ने श्री चक को दी है यह गम्भीर मामला है । उनका यह कहना है कि मैं तुम्हारा राजनैतिक कैरियर तबाह कर दूंगा यह गम्भीर प्रकरण है मैं चाहूंगा कि इस पर जिलाधिकारी को यहां सदन में बुलाकर उनसे जवाब तलब किया जाय ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

आपने इस पर तीन चार दिन पूर्व ही निर्देश दिये थे उसके बावजूद माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जा रही है । जिस तरह से एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा यह व्यवहार किया गया है वह गम्भीर बात है । इस समय सत्र चल रहा है इस सदन की पीठ से आपने निर्देश दिया था कि अधिकारीगण माननीय सदस्यों के साथ मर्यादा और सामान्य शिष्टाचार का पालन करें लेकिन इसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बावजूद यह गम्भीर घटना हो गयी । मैं समझता हूं कि जब तक अधिकारीगण प्रताड़ित नहीं किये जायेंगे तथा जब तक सदन के समक्ष उपस्थित नहीं किये जायेंगे तब तक घटनायें इस तरह की घटती रहेंगी । इससे सदन की मर्यादा को क्षति पहुंचेगी ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(श्री शिव सिंह चक के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चक जी आपकी बात पूरी हो गयी, आपने सूचना पढ़ भी दी । अब आप बैठ जायें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया है । सदन के समक्ष किसी भी अधिकारी को उपस्थित होने का आदेश देना, यह गम्भीर बात है इसलिये जब तक इसका कोई अकाट्य प्रमाण नहीं मिल जाय तो विधान सभा की गरिमा और उसके सम्मान को देखते हुए हल्के या कमजोर आधार पर किसी अधिकारी को बुलाना उचित प्रतीत नहीं होता है आपकी सूचना में केवल इतना कहा है कि आपका राजनैतिक कैरियर समाप्त कर दूंगा, यह असंयमित व्यवहार है । मुझे माननीय सदस्य की बात पर अविश्वास करने का तात्कालिक कोई भी कारण प्रतीत नहीं होता है इसलिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि यह गम्भीर बात है, जिलाधिकारी वरिष्ठ अधिकारी होता है उसको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

* श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर बात है कि एक जिलाधिकारी माननीय सदस्य को यह कहे कि हम तुम्हारा राजनैतिक कैरियर बर्बाद कर देंगे । जिलाधिकारी ने इतना हैसियत रख लिया है कि वह एक माननीय सदस्य का राजनैतिक जीवन बरबाद कर देंगे । इसके बाद यह कहा जाता है कि अकाट्य प्रमाण होना चाहिये । इससे बड़ा अकाट्य प्रमाण क्या हो सकता है कि हम स्वयं कह रहे हैं ? एक जिलाधिकारी जो कहीं न कहीं से माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट होता है, अगर वह विधायक को इस तरह की बात कहे तो यह गम्भीर विषय है, इस पर आप संरक्षण दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण कर लीजिये, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है ।

(श्री यशपाल सिंह चौहान के खड़े होने पर तथा कई सदस्यों द्वारा श्री चौहान को सुने जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य पहले यह बतलायें कि क्या आप जो श्री शिव सिंह चक जी ने जो घटना का उल्लेख किया है उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं या कोई और बात है ? यदि कोई और बात है तो उसको आप लिख कर दे दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह जो माननीय सदस्य "चक" जी के साथ जो घटना घटित हुई है उसके गवाह हैं इसलिये आप इन्हें सुनने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री यशपाल सिंह चौहान–

मान्यवर, यह 9-8-97 की घटना है, मैं भी अपनी विधान सभा क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों को लेकर जिलाधिकारी फिरोजाबाद के पास लाइसेंस के लिये गया हुआ था वहीं पर "चक साहब" कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे और जिलाधिकारी महोदय से यह कह रहे थे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उस कार्यक्रम की सूचना मुझे नहीं है, डी० एम० ने कहा कि गलती हुई है। विधायक जी ने कहा कि गलती हुई है तो इस पर कार्यवाही होनी चाहिये, इस पर जिलाधिकारी बड़ी बदतमीजी के साथ बात करने लगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहें। कृपया आप लोग पहले बैठ जायं और संसदीय कार्य मंत्री को पहले सुन लें।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, सदन की जो भावना और माननीय सदस्यों की जो भावना है उसको मैं गम्भीरता से ले रहा हूं और ऐसे अधिकारी के खिलाफ जो माननीय सदस्य ने यहां कहा है उसको संज्ञान लेते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

* नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

श्रीमन्,लगातार जब से यह सरकार आई है विधायिका का अपमान हो रहा है। हम सभी लोगों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं उसकी अवमानना हो रही है। संसदीय कार्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशील है और अतिशीघ्र सख्त कार्यवाही की जायेगी तो मैं मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारी को शीघ्र निलम्बित किया जाय और यदि ऐसा नहीं होता है तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहे। मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि इस प्रकरण को वह गम्भीरता से ले रहे हैं और सख्त से सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, इसलिये मैं चाहूंगा संसदीय कार्य मंत्री जी कल सूचित कर दें कि क्या कार्यवाही की गई है?

श्री शिव सिंह की सूचना के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री ने सख्त से सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया इसलिये यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है।

अधिकारियों द्वारा सदस्यों से दुर्व्यवहार किये जाने का घटनाओं के संबंध में मैंने दिनांक 6 अगस्त, 97 को मा० संसदीय कार्य मंत्री को यह निर्देश दिये थे कि वे सभी अधिकारियों को सचेत कर दें कि वे मा० विधायकों के साथ उनकी पद प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ उचित तथा मर्यादित व्यवहार करें। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री को पुनः निदेश देता हूं कि वे कड़ाई से इसका अनुपालन करायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शेष सूचनाओं को मैंने देख लिया है जिसमें डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी दिनांक 10 अगस्त, 1997 से विधान सभा सचिवालय परिसर में कक्ष संख्या 45 से विधान पुस्तकालय तक विद्युत आपूर्ति न किये जाने के बारे में है। इस संबंध में निदेश दे दिया है कि विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

अगली सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की दिनांक 6 अगस्त, 1997 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के संबंध में है। यह नियम 300 में नहीं आती है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, निवेदन है कि प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 64 इकाइयों ने संविदा किया लेकिन 500 इकाइयां वहां कार्यरत हैं जिन्होंने नई संविदा के लिये आवेदन पत्र दिया था किन्तु उन पर विचार नहीं किया। श्रीमन् 64 इकाइयों की संविदा पर विचार किया लेकिन अभी तक विद्युत लाइन बिछी है। मैं कल वहां देखकर आया हूं, अगस्त समाप्त हो रहा है 64 इकाइयों को अगस्त में लाइन नहीं मिल पाएगी और नवम्बर के अन्त में 10 इकाइयों को लाइन देंगे, 40 इकाइयों को मार्च में देंगे। मान्यवर, गलत सूचना दी गई है और कहा गया कि केवल 64 इकाइयों ने संविदा के लिये कहा, जबकि 500 इकाइयों ने संविदा मांगी थी। वहां गैस की मांग 15 लाख की है, जबकि केवल 3 लाख ही दी जा रही है, यह बहुत संवेदनशील मसला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके औचित्य पर विचार करते हुए, इस पर कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आती, इसलिये इसको निरस्त कर रहा हूं। शेष अन्य सूचनाओं का मैंने अवलोकन कर लिया है, यह कहीं से भी विधान सभा की कार्यवाही संचालन से संबंधित नहीं है, अतः इन शेष सूचनाओं को निरस्त कर रहा हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हमने अपनी सूचना में संविधान का हवाला दिया है, आप इसका नियम 351 देख लें।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन की कार्यवाही से संबंधित कहां है, यह नियम 300 में कैसे आयेगी?

(श्री समर पाल सिंह के खड़े होने पर)

आपकी भी सूचना कहीं से इस नियम में नहीं आती, आप स्वयं देख लें।

* श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 300 की सूचनाओं पर आपने अपनी व्यवस्था दे दी। नियमावली में भी नियम है, कि अध्यक्ष की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद दलील दिये जाना सदन का समय नष्ट करना है, यह परम्परा क्या उचित है?

श्री अध्यक्ष–

आपका व्यवस्था का प्रश्न ठीक है। अध्यक्ष पीठ की व्यवस्था हो जाने के बाद कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिये।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचनायें कहीं से भी नियम 300 में नहीं आतीं । इसमें सदन की कार्यवाही संचालन से संबंधित कुछ भी नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सरकार ने तीन जी० ओ० जारी किये, वह मैं आपके पास भिजवा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

शासनादेश कुछ जाति विशेष के लोगों को संरक्षण देने के लिये है । यह नियम 300 में कैसे आयेगा ? यह सदन की कार्यवाही से कैसे संबंधित है ? ऐसे तो फिर माननीय सदस्य अपनी सूचना में संविधान के अनुच्छेदों का उल्लेख कर दें तो फिर नियम 300 का यह अर्थ तो नहीं है । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे नियम 301, 51 या 56 में दे दें । शेष सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर सदन में व्यवधान बना रहा)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

विकलांग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है तो यह नियम 300 में कहां से आता है ? कहीं नियम 300 से दूर दूर तक उसका संबंध नहीं है । (व्यवधान)

जिन सूचनाओं को मैंने सदन की कार्यवाही से संबंधित पाया मैंने उनको सुन लिया है ।

* श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप इसे नियम 301 में दीजिये, नियम 51 में दीजिये, मैं सारी सूचनाओं को स्वीकार कर लूंगा ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना परिवर्तन चौक के बारे में हैं वह बने न बने टूटे न टूटे उससे इस सदन की कार्यवाही से क्या मतलब है ? यह नियम 300 में नहीं आती है । आप सरकार की आलोचना करना चाहते हैं तो करें लेकिन सुसंगत नियमों में करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह सरकार अवैध निर्माण करवा रही है ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के चौबीसवां, पचीसवां, छब्बीसवां तथा सत्ताइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 †

कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कृषि अनुभाग–5 द्वारा प्रकाशित उ० प्र० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के चौबीसवां, पचीसवां, छब्बीसवां और सत्ताइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (प्रमुखों, उप प्रमुखों, अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों का हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 ††

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1114/33–2-97-16–जी–95, दिनांक 4 मार्च, 1997 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (प्रमुखों, उप प्रमुखों, अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों का हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 को उत्तर प्रदेश पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1988-89 †

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग–2 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1988-89, सोलहवां प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) नियमावली, 1994 ††

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 3797/33–1-94–205–94–टी० सी०, दिनांक 3 अगस्त, 1994 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश पंचायती राज (सदस्यों के निर्वाचन के लिये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन) नियमावली, 1994 को , विलम्ब के कारणों सहित, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 †

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या एस० आर० 2114/11-97-1306-95, दिनांक 8 जुलाई, 1997 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की अधिसूचना †

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की अधिसूचना संख्या एस० आर० 513/11-96–218(4)-90, दिनांक 23 अगस्त, 1996 को, विलम्ब के कारणों सहित, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के टल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात निर्यात परिवहन और उसे कब्जे में रखना)) (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 1997 †

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1836 ई–2/तेरह/97-8-95-टी० सी०–111, दिनांक 1 जुलाई, 1997 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 1997 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर वाराणसी की प्रशासनिक आख्या (वर्ष 1989 से 93 तक) ††

(मद संख्या–10 पुकारे जाने एवं श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इसमें शाही जी ने लिखित आपत्ति दी थी। माननीय शाही जी इसके लिये नियम बने हुए हैं। सदन के पटल पर जो आख्या रखी जाती हैं, उसमें आप नियम के अन्तर्गत दीजिए, चर्चा की मांग कीजिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, समय इतना कम रह गया है।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं होता है।

अधिनियम की धारा 37 की उपधारा–2 में बाध्यता है।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापी नहीं गयी।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, नियमावली के नियम 315 में अग्रेता का विषय है। इसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, जो मूल अधिनियम है, जिसमें काशी विश्वनाथ जी मंदिर, वाराणसी की व्यवस्था की गयी है, उसके नियमों में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि यह प्रशासनिक रिपोर्ट हर साल विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

यह तात्कालिक नहीं है। यथासंभव शीघ्र की बात है, "ऐज सून ऐज पासिबिल"

इस पर आपत्ति नहीं है।

(श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

वह लिखा नहीं जा रहा है।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी की प्रशासनिक आख्या वर्ष 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 को उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 की धारा 37 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 जुलाई, 1997 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जुलाई, 1997 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 जुलाई, 1997 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1997 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1997 पर से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 जुलाई, 1997 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 जुलाई, 1997 के उपवेशन में पारित

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 जुलाई, 1997 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1997 का उत्तर प्रदेश का छठां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 1997 पर से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 जुलाई, 1997 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 अगस्त, 1997 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 अगस्त, 1997 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1997 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल दल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा निधि (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 1997 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 जुलाई, 1997 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 अगस्त, 1997 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1997 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 1997 के उपवेशन में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 जुलाई, 1997 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 अगस्त, 1997 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1997 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–12 पर कुछ नहीं है । मद संख्या–13 ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आक्षा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का प्रथम प्रतिवेदन, जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) के उन्नीसवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

---

† छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है और शासन/निगम के लेखों आदि से संबंधित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति वर्ष (1997-98) का तृतीय प्रतिवेदन †

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का तृतीय प्रतिवेदन, जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987-88) तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का चतुर्थ प्रतिवेदन †

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) का बारहवां प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संबंध में) सत्रहवां प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड के संबंध में) बाइसवां प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के संबंध में) में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का पंचम् प्रतिवेदन †

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का पंचम् प्रतिवेदन जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1982-83) के चतुर्थ प्रतिवेदन उ० प्र० राज्य पशुधन उद्योग निगम लि०, उ०प्र० भण्डारागार द्वारा निगम लि० तथा उ०प्र० राज्य चर्च विकास एवं विपणन निगम लि० से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का छठां प्रतिवेदन †

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का छंठा प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (1984-85, 1985-86 तथा 1986-87) (वाणिज्यिक) में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1991-92) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का सप्तम् प्रतिवेदन †

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (1985-86 तथा 1987-88 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन (अपट्रान इण्डिया) से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का अष्टम् प्रतिवेदन †

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1982-83 तथा 1987-88 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य नलकूप निगम से संबंधित अनुच्छेदों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का नवम् प्रतिवेदन †

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का नवम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1986-87 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के ग्राम ओल चौराहे को मध्य से ऊंचा कर ओल से कोरीपुरा के सम्पर्क मार्ग को डामरयुक्त किये जाने के संबंध में श्री अशोक गोयल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम ओल चौराहे को मध्य से ऊंचा कर ओल से कोरीपुरा के सम्पर्क मार्ग को डामरयुक्त किये जाने के संबंध में, श्री अशोक गोयल व अन्य निवासीगण–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

†† छापे नहीं गये।

जनपद मथुरा के ग्राम गोयल बेरी में पेयजल हेतु नलकूप लगाये जाने के संबंध में श्रीमती राधारानी अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम व पोस्ट गोयल बेरी में पेयजल हेतु नलकूप लगवाये जाने के संबंध में, श्रीमती राधारानी अग्रवाल व अन्य निवासीगण–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के गोवर्धन बस स्टैण्ड को गोवर्धन बस डिपो करवाने के संबंध में चौधरी हरपाल सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में गोवर्धन बस स्टैण्ड को गोवर्धन बस डिपो करवाने के संबंध में, चौधरी हरपाल सिंह निवासी–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के गोवर्धन में बालिकाओं हेतु राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में श्री कपूरचन्द्र बेधड़क बअन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र पोस्ट गोवर्धन में बालिकाओं हेतु राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में श्री कपूर चन्द्र बेधड़क व अन्य निवासीगण–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के कस्बा फरह में बालिकाओं हेतु महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में श्री सुभाष चन्द्र तरकर व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कस्बा व पोस्ट–फरह में बालिकाओं हेतु महाविद्यालय खुलवाने के संबंध में श्री सुभाष चन्द्र तरकर व अन्य निवासीगण–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के ग्राम महोली व जतीपुरा में पानी की समस्या के निदान हेतु नलकूप लगवाये जाने के संबंध में श्री श्याम सिंह राजपूत व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से मथुरा जनपद के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम–महोली, पोस्ट–अड़ूकी एवं ग्राम व पोस्ट–जतीपुरा में पानी की समस्या के निदान हेतु नलकूप लगवाये जाने के संबंध में श्री श्याम सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में ६० शैय्याओं वाला अस्पताल खुलवाये जाने के संबंध में श्री हरिओम शर्मा व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में 60 शैय्याओं वाला अस्पताल खुलवाये जाने के संबंध में, श्री हरिओम शर्मा व अन्य निवासीगण–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

नोट :–†† छापी नहीं गयी।

जनपद मथुरा के क्षेत्र गोवर्धन से सम्बद्ध 18 गांवों के कास्तकारों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के लिये अपर कैनाल आगरा के मील नं० 23 पर रेगुलेटर लगाये जाने के संबंध में श्री पन्ना लाल कौशिक व अन्य की हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन से सम्बद्ध 18 गांवों के कास्तकारों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के लिये अपर कैनाल आगरा की मील नं० 23 पर रेगुलेटर लगाये जाने के संबंध में, श्री पन्ना लाल कौशिक व अन्य निवासीगण–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के आन्यौर में अष्ट छाप के राष्ट्रीय कवि कुम्बनदास जी की समाधि सुरक्षा एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में श्री देवकीनन्दन कुम्होरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम आन्यौर, पोस्ट–जतीपुरा में अष्ट छाप के राष्ट्रीय कवि कुम्बनदास जी की समाधि की सुरक्षा एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में, श्री देवकी नन्दन कुम्होरिया, निवासी–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के ग्राम राया कुण्ड से कोनई जाने वाले रास्ते पर लोअर कैनाल आगरा पर टूटे पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राम चन्द्र बघेल व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के ग्राम व पोस्ट–राधा कुण्ड से कोनई जाने वाले रास्ते पर लोअर कैनाल आगरा पर टूटे पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में, श्री राम चन्द्र बघेल व अन्य निवासी–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

मथुरा शहर के मध्य मनोहरपुरा एवं मटिया गेट पर स्थित पशु वधशाला को अन्यत्र स्थानान्तरित करवाये जाने के संबंध में श्रीमती चन्द्रावती पोइया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मथुरा शहर के मध्य मनोहरपुरा एवं मटिया गेट पर स्थित पशु वधशाला को अन्यत्र स्थानान्तरित करवाये जाने के संबंध में, श्रीमती चन्द्रावती पोइया निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में स्थित "मानसी गंगा" में गिरने वाली नालियों को तत्काल बन्द कराकर शुद्धिकरण संयंत्र एवं नलकूप लगवाये जाने के संबंध में श्री डी० डी० मिश्र द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, आपकी अनुमति से जनपद मथुरा के गोवर्धन कस्बे में स्थित "मानसी गंगा" में गिरने वाली नालियों को तत्काल बन्द करवाकर, शुद्धिकरण संयंत्र एवं नलकूप लगवाये जाने के संबंध में, श्री डी० डी० मिश्र, निवासी–जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

नोट :–†† छापी नहीं गयी।

गन्ना किसानों के भुगतान एवं गन्ना पेराई की समस्या के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचना के बारे में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो 5 तारीख को उत्तर प्रदेश विधान सभा का दिनांक 5 अगस्त, 1997 से 13 अगस्त 1997 तक का उपवेशन का कार्यक्रम सदन में प्रस्तुत किया गया उसमें 5 तारीख को क्रमांक–3 पर लिखा था कि प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने तथा गन्ना की पेराई की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–आधा घंटा उसमें था कि आधे घंटे की चर्चा होगी । आपकी अनुकम्पा से गन्ना मूल्यों के भुगतान के संबंध में 2 घंटे की चर्चा स्वीकृत हुई थी लेकिन वह समयाभाव के कारण नहीं आ सकी और जब उसको मैंने पुनः दिया तो फिर 2 घन्टे की चर्चा स्वीकार हुई । 5 तारीख को यह कार्यक्रम निर्धारित था लेकिन चर्चा नहीं हो सकी । अब 13 तारीख तक सदन चलने वाला है लेकिन 400 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है यदि यह चर्चा नहीं हुई तो भुगतान होने में कठिनाई होगी । तो मेरा अनुरोध है कि 13 तारीख के पहले इसको ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

विगत दिन कार्य सूची में यह विषय था और मैंने मा० शाही जी का नाम पुकारा भी था । तो वह अब निरस्त हो गया है । अब आप दुबारा सूचना दे दें । आज ही दुबारा सूचना दे दें ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 6 अगस्त, 1997 की बैठक में सदन के दिनांक 11 अगस्त, 1997 से 13 अगस्त, 1997 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1–सदन के दिनांक 11 अगस्त, 1997 से 13 अगस्त, 1997 तक के उपवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :—

अगस्त, 1997

---

11 सोमवार (1) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

(क) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 –आधा घन्टा

(ख) उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1997–आधा घंटा ।

(ग) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997–आधा घन्टा ।

(2) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(3) (क) नियम 103 के अन्तर्गत श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घन्टे की चर्चा–

"इस सदन का निश्चित्त मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल लेजर एकाउन्ट के संचालन पर तत्काल रोक लगायी जाये और उसमें जमा धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु किया जाय ।"

(ख) नियम 103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :—

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में संचालित बेसिक मिनिमम सर्विसेज का लाभ नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी उपलब्ध कराया जाय ।"

12 मंगलवार

(1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(अपराह्न 4.00 बजे तक)

(2) <u>4.00 बजे अपराह्न</u>

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(3) प्रदेश के समस्त नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं के अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों के ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रभावी योजनायें बनाते हुए एतदर्थ पृथक से धनराशि का आवंटन किये जाने के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घन्टे की चर्चा ।

(4) जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्राम नगला–नगली, रामपुर, असगरपुर, रसूलपुर राय तहसील दादरी के कुछ भू-माफियाओं द्वारा, जिनका कार्यालय, दिल्ली में है, किसानों की जमीनों को फर्जी बैनामे द्वारा अपने हक में कराकर अवैधानिक तरीके से फार्म हाउस ऊंचे मूल्यों पर बेचने के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचिता सूचना पर आधे घन्टे की चर्चा ।

13 बुधवार

(1) गढ़वाल मण्डल में स्थान-स्थान पर अनावश्यक चुंगी–प्रवेश शुल्क की वसूली तथा हो रही अभद्रता एवं दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० रमेश पोखरियाल "निशंक", सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घन्टे की चर्चा ।

(2) प्रदेश के मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश शुल्क बढ़ाये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना पर सदन में हुए वक्तव्य के संबंध में नियम 52 के संबंध में ग्राह्य की गयी सूचना पर आधे घन्टे की चर्चा ।

(3) मेरठ के महाविद्यालयों में प्रवेश की समस्या, प्रयोगशालाओं में संसाधनों का अभाव, नये कालेज/संकायों का न खुलना तथा पुराने कालेजों के भवनों में वृद्धि न होना आदि विषय के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना पर आधे घन्टे की चर्चा ।

(4) सम्पूर्ण प्रदेश में निजी एवं अन्य राज्यों की लाटरियों की पुनः बाजार में खुले आम बिक्री से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री ओम प्रकाश, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव तथा श्री समरपाल सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1997 को दी गयी सूचनाओं पर नियम 52 के अन्तर्गत आधे घन्टे की चर्चा ।

2–दिनांक 13 अगस्त, 1997 को नियम–56 एवं नियम 311 की सूचनायें न ली जायं ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने सदन में दी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसका प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 †

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

नोट –† दिनांक 1-9-97 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगली मद कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ले रहा हूं।

विधान सभा की कार्यवाही 12 बजे तक न चलाये जाने का अनुरोध

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इतना मजाक यह सरकार ने बना रखा है, कितनी लम्बी कार्य-सूची यह बनाई हुई है। आप भी देख रहे हैं। यह सरकार ने मजाक बना लिया है विधान सभा सुबह से लेकर 12 बजे रात तक बैठ रही है। इस सरकार को काम की चिन्ता कम है, एक लम्बी कार्यसूची आपके सामने पकड़ा देते हैं और उसे पूरा करना होता है। मेरा अनुरोध है भविष्य में इस तरह का काम न करें। माननीय विधायकों और खासकर आपके लिये भी यह संभव नहीं है, जिस तरह की कार्यवाही यह कराना चाहते हैं। यह मामला एक बार नहीं अनेकों बार कहा गया आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आप की सीमा क्या है ? भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाय, विधान सभा की कार्यवाही इस तरह से न चले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कुंवर साहब का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय कुंवर साहब जैसे वरिष्ठ सदस्य कहते हैं, हम तो उनकी कही हुई बात को मंत्र मानकर अक्षरशः पालन करते हैं। हलांकि कुंवर साहब यह जानते हैं कि इस सरकार को सदन चलाने का अवसर अब मिलने वाला नहीं है। यह सरकार किस तरह से चल रही है यह सोच रहे हैं कि फिर तो अवसर मिलेगा नहीं। (व्यवधान) जितने दिन है चला लें।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं उनके सुझाव बहुमूल्य हैं। मुझे भी उनसे मार्गदर्शन मिलता है।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह सलाह सरकार पर तो अप्लीकेबुल नहीं होगी लेकिन आने वाली सरकार ध्यान दे। (व्यवधान)

नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11-8-97 को नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

* श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

कृपा करके वह पांच सूचनायें किसकी हैं, नाम बता दें ?

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, हमारी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

मुझे पढ़ लेने दीजिए तो मालूम हो जायेगा ।

पहली सूचना श्री संजय गर्ग की, दूसरी सूचना श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान, श्री राम सिंह सैनी, श्री संजय सिंह की है जो नियम–311 में प्राप्त हुई थी, को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है ।

तीसरी सूचना श्री पारसनाथ यादव की है, चौथी सूचना श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव की है इसी विषय पर श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री ओम प्रकाश, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री रामहर्ष सिंह की है ।

पांचवीं सूचना श्री धनीराम वर्मा, श्री अवधेश प्रसाद, डा० अशोक बाजपेयी और श्री ओम प्रकाश की, जो नियम 311 में प्राप्त हुई, को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है ।

छठवीं सूचना डा० वकार अहमद शाह की है । सातवीं सूचना श्री अम्बिका चौधरी की है । आठवीं सूचना श्री मित्रसेन यादव, श्री पारसनाथ यादव, श्री योगेन्द्र सिंह, श्री चन्द्रनाथ सिंह की है । नवीं सूचना श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी की है और दसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री दलवीर सिंह, श्री सरस्वती प्रताप सिंह की है । इस प्रकार से यह 10 सूचनायें ली गयीं हैं । पहली सूचना श्री संजय गर्ग की है ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर नियम 56 के अन्तर्गत लोकहित के मामले को रखने का समय प्रदान किया । मान्यवर, विधान सभा के सामने लगभग पिछले 4 महीनों से लगातार धरने और भूख हड़ताल पर बैठे हुये दलित सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है । विडम्बना है कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद निकृष्ट और घृणित कार्य करने वाले समझे जाने, अपने सर पर मैला ढोकर स्वच्छता प्रदान करने वाले समाज के मामलों की सुनवायी इस सरकार में नहीं हो पा रही है । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सरकार अपने को दलितों का हितैषी बताती है वह इस समाज के लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है । पछले 4 महीनों से वे लगातार भूख हड़ताल, अनशन पर बैठे हैं लेकिन उनकी समस्याओं के निराकरण के बजाय उन पर लाठीचार्ज, आंसूगैस और दूसरे उत्पीड़न के कार्य हो रहे हैं । मैं इस सदन में आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि तमाम सफाई कर्मचारी ज्यादातर दलित जातियों के हैं । उनके वेतन का नगरपालिकाओं और शासन पर 155 करोड़ रुपया बकाया है । इनका भविष्य निधि का 55 करोड़ रुपया बकाया है । आज नगर निगमों एवं परिषदों में ठेकेदारी की प्रथा चल रही है और ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी के रूप में इनका शोषण किया जा रहा है और इतना वेतन नहीं मिल रहा है जिससे ये अपना गुजारा भी कर सकें । संविधान की मूल भावना के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 341/42 के अनुसार चिन्हित सभी जातियों को आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है । मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पब्लिक हेल्थ मैनुअल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जितने सफाई कर्मचारी नगर निगमों व नगर पालिकाओं में होने चाहिये उतने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है और न नये पदों का सृजन किया गया है । पिछले 20 वर्षों से नये पदों का सृजन न होने से सफाई व्यवस्था चरमरा गयी है । शहरों में गंदगी बढ़ रही है, नालियों और नाले पटे पड़े हैं जिससे भयंकर बीमारियां फैल रही हैं नगरों में रहने वाली जनता बीमारियों के चपेट में आ रही है । मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत इन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में जोड़ते हुये इनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक उत्थान हेतु इनको समुचित आरक्षण की सुविधा सरकार ने देने की कोई पहल नहीं की है । पिछले 50 वर्षों में आरक्षण का कितना लाभ बाल्मीकि आदि जातियों को मिला है । संविधान की इस व्यवस्था के अन्तर्गत इनके लिये 21 प्रतिशत आरक्षण के ही सुविधा देने की व्यवस्था की गयी है । लेकिन संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत 1950 के बाद जो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां चिन्हित की गयी हैं उनका शैक्षिक, आर्थिकि, सामाजिक उत्थान जनसंख्या के अनुपात में नहीं हो पाया है और उनको संविधान के अन्तर्गत आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है और उसका पूरा लाभ केवल कुछ चन्द जातियां ही उठ रही है । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दूसरे जो प्रदेश हैं, पंजाब व हयिाणा इन राज्यों में इन दलित जतियों को 21% आरक्षण में ही जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी है । इन दलित जातियों जो बाल्मीकि, हेला, डोम, बांसफोर, धानुक आदि हैं इनके लिये 21 प्रतिशत आरक्षण में अलग से स्लेब बनाकर निर्धारित किया जाना चाहिये ताकि समाज का यह वर्ग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सके और इनको समुचित विकास का मौका मिल सके और संविधान की मूल भावना का आदर और सम्मान रह सके । मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपका संरक्षण चाहूंगा ।अतः तात्कालिक लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित कर चर्चा कराने की अनुमति देने का कष्ट करें ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, आज इस प्रकरण पर माननीय सदस्य की जो व्यथा है उससें मैं सहमत हूं और सचमुच जो आज जीवन के सबसे निचले पायदान पर हैं और जो लोगों को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं उनकी अनेकों समस्याएं और उनकी समस्याओं के प्रति जैसा कि उनके वेतन भुगतान का मामला है उसके लिये मान्यवर, निश्चित तौर पर आज जो आटोनोमस बाडी हैं नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायतें हैं इसमें कार्यरत कर्मचारियों का जो स्वरूप है वह स्वायत्तशासी संस्था का स्वरूप है । इनके पास वित्तीय संसाधन जरूर सीमित हैं जिससे सही समय पर उनको वेतन का भुगतान मिलना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं । इसी सापेक्ष में माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात कही है कि जितनी संख्या सफाई कर्मचारियों की होनी चाहिए थी और वाहन होने चाहिए थे वह भी कम है । जहां तक माननीय सदस्य की चिन्ता है कि आरक्षण कोटा 50 साल में भी पूरा नहीं हुआ है । इस संबंध में यह कहना है कि हमने ड्राइव चलाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा करने के लिये संविधान में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक पूरा करने के लिए विषेश अभियान चलाया है और पूरा कर रहे हैं । जहां तक नियम–56 का मामला है । इसमें अविलम्बनीयता नहीं है इसलिये मान्यवर, यह ग्राह्य करने योग्य नहीं है ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं । आप लोग शान्त रहें । किसी व्यवस्था से सदन चलेगा । यह कुछ नहीं लिखा जायेगा । केवल संसदीय मंत्री जी कह रहे हैं वह लिखा जायेगा । (व्यवधान) माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस नियम–56 की सूचना को अग्राह्य घोषित करता

हूं । इसमें नियम–56 के अनुसार निवेदन भी नहीं किया गया है । अगली श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान, श्री राम सिंह सैनी, श्री संजय सिंह की है । कोई दो सदस्य इस पर बोल लें ।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राकेश धर त्रिपाठी पीठासीन हुए ।)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अध्यक्ष जी ने इसको निरस्त कर दिया है । अब अगली सूचना पर श्री अम्बरीष जी बोल रहे हैं ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

अध्यक्ष जी उसको निरस्त कर चुके हैं । आप जो कुछ कह रहे हैं लिखा नहीं जायेगा । यह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न कर रहा हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि सब नियमों को स्थगित करके उस पर चर्चा कराई जाय । प्रदेश में बहुत से निजी उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहीत की जाती है । बहुत से सरकारी कार्यालयों के लिये भूमि अधिग्रहीत की जाती है । आप देखते हैं कि प्रदेश में जहां भूमि का अधिग्रहण हुआ रोजगार के प्रश्न को लेकर कानून व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न होती है । इसके कई उदाहरण कई सत्र में प्रस्तुत हो चुके हैं । चाहे वह बबराला का प्रश्न हो या कोई प्रश्न हो । जब स्थानीय नागरिक, स्थानीय निवासी यह देखते हैं कि वह योग्यता रखते हैं और उनकी उपेक्षा करके रोजगार दूसरे को दिया जाता है तो उनमें आक्रोश पैदा होता है और उस आक्रोश और तनाव से कानून व्यवस्था प्रभावित होती है । उत्तर प्रदेश का कानून बना हो चाहे केन्द्र सरकार का कानून बना हो किसी भूमि का अधिग्रहण कराया जाता है किसी संस्था के लिए, उससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं उसमें कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था करें कि जो योग्य नौजवान हैं जिनमें वांछित योग्यता हो, जो स्थानीय हों उनको प्राथमिकता दी जाए दूसरे नम्बर पर इस प्रदेश के लोगों को रोजगार देने का काम करें । मान्यवर, दूसरे प्रदेशों के लोग आ जाते हैं उनको रोजगार दे दिए जाते हैं, जबकि स्थानीय व्यक्ति का काम तनख्वाह में भी चल जाता है जबकि बाहर के व्यक्ति का ज्यादा खर्चा होता है । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस संबंध में विधान सभा में कई संकल्प पारित किए गए हैं । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना है–हरिद्वार में उसकी स्थापना के समय भी विधान सभा द्वारा संकल्प पारित हुआ था ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

शासनादेश इस संबंध में कई बार जारी किए जा चुके हैं इस विधान सभा में संकल्प पारित कि गए हैं तो फिर कानून बनाकर इस स्थिति को सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं ?

नोट :–[× × ×] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार यह अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

इस प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा यह प्रश्न है उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इसमें चर्चा कराई जाए।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें चार लोगों की सूचना है एक सदस्य बोल चुके हैं अन्य कई लोगों की सूचनायें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको भी एक-एक मिनट का मौका मिले इसलिए कम समय में अपनी बात कह देंगे तो सारे लोगों की बात आ जाएगी।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, हम लोगों की जो सूचना है उसमें इस संबंध में सवाल उठाया है कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में उद्योग लगते हैं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की तरफ से भी लगाये जाते हैं। किसी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के समय में उसके अन्दर मेन पावर एम्पलाई करने की बात आती है तो उद्योग लगाने वाले व्यक्तियों की संस्था यह कोशिश करती है कि बाहर से मेन पावर एम्पलाई किया जाए। इस सदन में चर्चा होती है प्रदेश के संतुलित विकास की बात करते हैं तमाम योग्य छात्र हैं पूरे प्रदेश का अन एम्पलाईमेंट नक्शा देखने का कष्ट करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि प्रदेश के अन्दर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां रोजगार के साधन नहीं हैं। इसमें तमाम माननीय सदस्यों की तरफ से विचार समय-समय पर आये हैं। एवं संकल्प प्रस्तुत किए गए कि जो उद्योग जिन क्षेत्रों में लगाए जाएं तो वहां सबसे पहले स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए।अभी हमारे साथी अम्बरीश जी ने भी कहा। जैसे बबराला कांड और नोएडा की घटना घटी गीडा की घटना घटी। इन सभी घटनाओं के पीछे बुनियादी सवाल यही था जो कारखाने लग रहे हैं, जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जब उद्योग स्थापित करने वाली कोई संस्था, व्यक्ति या इंडस्ट्रियलिस्ट जब उद्योग लगाने की बात करता है तो कागजी तौर पर, जबानी तौर पर तमाम आश्वासन देता है, जहां सरकार की ओर से उद्योग लगाए जाते हैं वहां भी तमाम आश्वासन दिए जाते हैं कि जिन लोगों की जमीनें अधिग्रहीत की गई हैं, या जो गांव प्रभावित होंगे, उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी लेकिन इस प्राथमिकता शब्द की व्याख्या नहीं की जाती है न ही उनको नौकरी मिल पाती है। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में और एक लाधा रोड पर विकसित किया गया उस औद्योगिक क्षेत्र में 80 फीसदी मजदूर बिहार और अन्य प्रदेशों के लोग हैं। जबकि स्थानीय बेरोजगारों को पहले रखना चाहिये था। उसके पीछे साफ सोच होती है पूंजी निवेश करने वाले की यह सोच होती है कि जब मजदूरों के हितों पर कुठाराघात किया जाएगा तो स्थानीय मजदूर उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सवाल किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है। यह पूरे प्रदेश को प्रभावित करने वाला सवाल है। यह पूरे प्रदेश के बेरोजगारों को संरक्षण देने का सवाल है। हमारे कहने का मतलब यह हीं कि बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता। देश सबका है। परन्तु जिनकी जमीनें ली गयी, भूमिहीन हो गये उनको तो नौकरी पहले मिलनी चाहिए। डाक पत्थर में सिंचाई विभाग के बड़े प्रोजेक्ट बने, लोगों की जमीनें गयीं, नौकरी किसी को भी नहीं मिली।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर चर्चा करवाई जाए तथा भविष्य में जितने भी उद्योग धन्धे लगें, तथा जहां कहीं भी जमीन अधिग्रहीत की जाए वहां पर पहले स्थानीय लोगों को ही नौकरी पर रखा जाए । विषय बहुत महत्वपूर्ण है । इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान की जाए ।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया । इस विषय पर जिन पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा विषय नहीं है । आज पूरे प्रदेश में हजारों लाखों नौजवान भुखमरी के कगार पर पहुंचा हुआ है । उसे नौकरी नहीं मिलती है । जिनकी जमीनों को अधिग्रहीत किया जाता है उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है । मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी उद्योग धन्धे हैं उन सबका सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए और ऐसे नौजवान जिनका हक बनता है, जिनकी जमीनें गई हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी में रखा जाना चाहिए । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो वह न्यायालय की शरण में जाते हैं । उनके पास पैसा नहीं होता है लेकिन मजबूरी में वह न्यायालय में जाते हैं । वहां से जब आदेश होता है तब उनको नौकरी मिलती है । हमारे यहां मंगलौर मण्डी समिति स्थापित हुई । वहां पर स्थानीय लोगों की जमीनें ली गई लेकिन उनको नौकरी पर नहीं रखा गया जब वह हाईकोर्ट में गए तथा लाखों रुपया खर्च किया तब उनको नौकरी मिली । इसी तरह से एक टोडरपुर सुगर मिल बनी वहां पर स्थानीय लोगों को उसमें समावेशित नहीं किया गया । इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अविलम्बनीय और लोक महत्व का है अतः सदन की कार्यवाही रोककर इस पर निश्चित रूप से चर्चा करायी जाये । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसका सर्वेक्षण कराकर उन लोगों को रोजगार मुहैय्या कराया जाना चाहिए जिनकी जमींने सरकारी उद्योग-धन्धों या निजी उद्योग–धन्धों में गयी हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोकर इस पर चर्चा करायी जाये ।

श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अधिष्ठात महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से कार्यस्थगन की सूचना सम्मानित सदन को देना चाहता हूं कि जो कि इन्सान की बुनियादी आवश्यकता से जुड़ी हुई है । रोटी, कपड़ा और मकान इन्सान की बुनियादी आवश्यकता है । आदिकाल में इंसान जब अस्तित्व में आया तो पहाड़ों की कन्दराओं व गुफाओं में जीवन बिता रहा था ज्यों ज्यों सभ्यता आती गयी तो स्थायी रूप से मकान बनाकर रहने की प्रवृत्ति इंसान में आयी । यह बात सही है कि आज से 10–15 साल पंहले लोग मिट्टी व छप्पर के मकान बनाकर रहते थे लेकिन आज लकड़ी का अभाव हो गया है लकड़ी मिल नहीं रही है जिस कारण से लोग स्थायी रूप से मकान बनाकर रहना चाहते हैं । एक समस्या जानकारी में आयी है ईंट भट्ठों की । यह सीजनल धन्धा है इसको साल भर में 6 महीने करते हैं और मिट्टी के अभाव में एक स्थान पर नहीं रखते हैं, जब मिट्टी वहां कम हो जाती है तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, किस सूचना पर बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पारसनाथ जी आपसे निवेदन है कि आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं, मैं आपको इसके बाद सुन लूंगा । माननीयय संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो दूसरी सूचना है उस पर अपना पक्ष रख दें ।

श्री पारसनाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आप सुन लीजिये दोनों का उत्तर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी एक साथ दे देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको सुन लूंगा, दूसरे नम्बर की सूचना का उत्तर आ जाने दीजिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य की जो भावना है कि स्थानीय लोगों को या प्रदेश के निवासियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले या उन्हें समायोजित किया जाये, बेरोजगार लोग रोजगार युक्त बन सकें, मैं इनकी इस भावना से सहमत हूं । जिन लोगों की जमीनें जाती हैं उसके बारे में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश भी है परन्तु जो फैक्टरी लगाते हैं या उद्योग लगाते हैं उनकी भी अपनी एक विशिष्टता होती है कि उनको किस तरह का लेबर चाहिए, स्किल लेबर, इंजीनियर या इसी तरह के अन्य पदों के लिये यदि स्थानीय लोग नहीं मिलते हैं अर्थात् जो क्वालिटी वह चाहते हैं वह उपलब्ध न होने पर उन्हें बाहर से लेना पड़ता है लेकिन अगर कोई विशेष स्किल की आवश्यकता नहीं होती है तो वह स्थानीय लोगों को ही समायोजित करते हैं । मान्यवर, जहां तक नियम–56 का सवाल है, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचलान नियमावली के पृष्ठ–23 पर नियम–58 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि–प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार पर निर्बन्धन, इस पर रोक लगायी गयी है । नियम 58(3) देखने की कृपा करें–''प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा ।'' हाल में घटित इस तरह का कोई निश्चित विषय नहीं है इसलिये नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आता ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, यह हाल में घटित और ज्वलन्त समस्या है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने जो तथ्य रखे हैं उससे संसदीय कार्यमंत्री जी ने सहमति व्यक्त की है । माननीय सदस्य और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इस सूचना को निरस्त करता हूं । अब माननीय पारसनाथ जी अपंनी बात पूरी कर लें ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि नियमों में बाध्यता है कि हाल में घटित हुई घटना हो । मान्यवर, यह ज्वलन्त समस्या है मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि स्थानीय लोगों को वहां समायोजित किया गया होता तो बबराला, गीडा और नोयडा की घटनायें न होती, टेहरी बांध का कार्य भी इसलिए प्रभावित हो रहा है क्योंकि उसमें स्थानीय लोगों को नहीं लिया गया है । अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश है कि जिनकी जमीनें अधिग्रहीत की जायेगी उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जायेगी । मान्यवर, स्थानीय लोगों को जो रोजगार देने का शासनादेश है उसका भविष्य में कैसे पालन करायेंगे । यह संसदीय कार्यमंत्री जी बताने की कृपा करें ? इसलिए हमारा अनुरोध है कि आदेशों का कड़ाई से पालन के लिए विधान सभा में संकल्प लाकर कानून बनाया जाना चाहिए ।

श्री पारसनाथ यादव–

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं जो सूचना अभी यहां दे रहा था वह बुनियादी आश्यकता की सूचना है । आज पूरे प्रदेश में ईंट भट्ठा उद्योग चलाने वालों में ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गयी है । हमारी जो बुनियादी आवश्यकता मकान की है उसके लिए आज हम पूर्णरूपेण ईंटों पर निर्भर हैं । यही नहीं प्रदेश में विकास के कार्य जैसे खड़ंजा, सड़क या पुल बनाने का काम है वहां भी ईंटों की आवश्यकता होती है । ईंट मालिक भट्ठा चलाने में आज अपने को असहाय पा रहा है और चलाने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है । यह 6 महीने का धन्धा है । फैक्ट्री के कानून ईंट भट्ठों पर लागू करना सम्भव नहीं हो सकेगा । ईंटों के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, श्रमिक की जरूरत होती है, चिमनी को हटाना पड़ता है । चिमनी के संबंध में आदेश हो रहे हैं कि धुंवा रहित चिमनी प्रयोग की जाए । इससे ईंट भट्टे बन्द हो जायेंगे जिससे विकास कार्य रुक जायेंगे । इससे राजस्व प्राप्ति भी प्रभावित होगी । इसलिए सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर आप चर्चा करायें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है जिससे मा० सदस्य भी अवगत होंगे । इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पालन करना सरकार और देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है । तो उसी आदेश के अनुरूप सरकार ने आदेश दिए हैं । जो मानक सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किये हैं उन्हीं के अनुरूप चिमनी की ऊंचाई और अन्य व्यवस्थायें की गयी हैं । इसलिए आदेश के अनुरूप जो काम करेंगे उन भट्ठों को चलने दिया जाएगा अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके विपरीत काम करने वाले भट्ठों को बन्द किया जाएगा । इसलिए यह कार्यवाही करना सरकार के लिए आवश्यक है ।

इसलिए यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है, अतः इसे आप अग्राह्य करने का कष्ट करें ।

* श्री बाबू राम यादव–

मंत्री जी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है चिमनी के बारे में लेकिन जैसा मा० सदस्य ने कहा है कि ईंट भट्ठों को फैक्ट्री ऐक्ट में कैसे लायेंगे चूंकि मजदूरों का फण्ड नहीं जमा होता है, 6 महीने का यह कारोबार है, दिसम्बर से जून तक और उसके बाद भट्ठे बन्द हो जाते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह फैक्ट्री ऐक्ट के अन्दर किसी कीमत पर नहीं आ सकता, न लागू हो सकता है, इसको लागू करने से राजस्व की हानि होगी और प्रदेश का विकास भी प्रभावित होगा । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस में फैक्ट्री ऐक्ट को समाप्त करे । जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन फैक्ट्री ऐक्ट वाले मामले पर प्रैक्टिकली विचार करें, अन्यथा पूरा कारोबार चौपट हो जायेगा ।

* श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

यह जनजीवन से और बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा मामला है, इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, इसलिये इससे हटकर कुछ नहीं किया जा सकता और शासन के संज्ञान में आपकी बात आ गई है, ध्यानाकर्षण हो गया । अगर उसमें कोई कमी है, जरूरत है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसको दिखवा ले रहे हैं ।

माननीय सदस्यों की बात सुनने तथा संसदीय कार्य मंत्री का जवाब सुनने के बाद, चूंकि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती, अतः इसको निरस्त किया जाता है । अगली सूचना माननीय श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नियम–56 के अन्तर्गत प्रदेश के एक नगर कानपुर में घटित, अपमान जनक घटना से संबंधित लोक महत्व का प्रकरण आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । विगत दिनों दिनांक 7 अगस्त को, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित नानाराव पार्क में, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की मूर्ति स्थापित है, पर कुछ अराजक तत्वों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत कालिख पोती, इस प्रकरण पर, सरकार चलाने वाली जो पार्टी है, के लोगों ने लामबन्द होकर, गिरोहबंद होकर उत्तेजना में आकर दूसरे पार्कों में स्थापित पूज्य बापू महात्मा गांधी, भारत के महान सपूत नेता जी सुभाष चन्द्र बोस और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्तियों को खंडित करने का काम किया । सबसे विचित्र बात यह है कि यह समूची घटना कानपुर के जिला प्रशासन और पुलिस की उपस्थिति में घटित हुई । आज चिन्ताजनक बात यह है कि आज सरकार के संरक्षण में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी सियासी शक्तियां है जो ऐसी नापाक साजिश कर रही हैं । जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता की परम्परा है, उसको तोड़कर अपने क्षुद्र राजनैतिक लाभ को प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिये एक सुनियोजित साजिश के तहत इस तरह की अपमानजनक घटनायें आये दिन उत्तर प्रदेश के मुस्तलिफ हलकों में कराई जा रही हैं ।

आज स्थिति यह है कि जो खतरनाक परम्परा इस प्रदेश में स्थापित की जा रही है, उससे इस देश के राष्ट्रीय आन्दोलन के मूल्यों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले भारत माता के सपूतों की सबसे बड़ी कुर्बानियों को समाप्त करने का कुप्रयास किया जा रहा है । आज देश की इन महान विभूतियों में से मनगढ़न्त आधार पर तुलना करके एक महान तथा शेष को छोटा दिखाने की गलत परम्परा और प्रवृत्ति डाली जा रही है जिसकी परिणति कानपुर की यह दुःखद घटना है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षणनहीं किया ।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए लोगों के हृदय में न तो सही आदरभाव बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर के प्रति है और यही देश के अन्य सर्वमान्य महान नेताओं के प्रति है। समाज को तोड़ने वाली शक्ति में, कानपुर में न केवल महान नेताओं की मूर्तियों का अपमान किया है बल्कि राष्ट्रीय आन्दोलन के महान मूल्यों, आदर्शों का भी अपमान किया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह चिन्ता की बात है।

(व्यवधान)

मान्यवर, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, चौधरी चरण सिंह, डा० राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं के अपमान से आज प्रदेश में जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो समाज को एक रखना चाहते हैं, जो समतामूलक समाज की रचना करना चाहते हैं, इस घटना ने उन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा कुठाराघात किया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, वहां स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की मूर्ति पर कालिख पोतने की घटना के सिलसिले में जब दोषी स्थानीय एक पुलिस इंस्पेक्टर को निलम्बित किया गया तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने उस पर पुलिस इंसपेक्टर के निलम्बित किये जाने की कार्यवाही का जबरदस्त विरोध किया। ब०स०पा० द्वारा पुलिस इन्सपेक्टर के पक्ष में किया गया प्रर्दशन (व्यवधान) उक्त घटना के पीछे अराजक तत्वों तथा पुलिस की सांठ-गांठ को उजागर करता है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आज उक्त घटना की असलियत पर परदा डालने की नियत से पुलिस द्वारा निर्दोष समाजवादी पार्टी और जनता दल के नेताओं को रा०सु०का० में निरूद्ध करके जेल भेजने का कार्य किया गया है। यह कार्यवाही सरकार के निर्देश पर राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से की गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार को निष्पक्ष कार्यवाही करने का निर्देश दें ताकि आने वाले दिनों में घटना की पुनरावृत्ति न हो। यह विषय तात्कालिक और लोक महत्व का है इसलिए सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं। इस पर आप सरकार को जुडीशियल इन्क्वायरी कराने का निर्देश दें।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है दो-दो लोगों के बोलने का, लेकिन सब लोग अपनी बात रखें परन्तु समय का ख्याल अवश्य रखें।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं बहुत आभारी हूं। यह जो कार्यस्थगन का प्रस्ताव सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत है यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है। जिस तरह से घटना हुई यह तात्कालिक भी है 7 तारीख को यह घटना घटित हुई है और 7 तारीख के बाद यह सत्र का आज ही पहला दिन मिल रहा है। मान्यवर,इसमें अविलम्बनीयता भी है जो कार्यस्थगन के लिए तीन बिन्दु चाहिए कि विषय तात्कालिक हो, लोक महत्व का हो, अविलम्बनीय हो यह तीनों की परिधि में आता है। यह सरकार की नीयति का भी प्रश्न है। मान्यवर, एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की मूर्ति को स्थापित कर रही है तो उसे सुनिश्चित भी करना होगा कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की मूर्ति है या उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए या किन्हीं भी महापुरुषों की मूर्तियां प्रदेश में स्थापित हो अगर उनको खंडित करने का कोई प्रयास कर रहा है सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो या असामाजिक तत्व हो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार विफल रहती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। कानपुर में अगर कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर कालिख पोतने की कोशिश की तो बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की या किसी महापुरुष की प्रतिमा पर कालिख पोतने से कोई उनका अपमान नहीं कर सकता है। क्योंकि इन महापुरूषों के प्रतिपादित सिद्धान्त, समाज में किया गया उसका योगदान, इस देश के लिये प्रकाश पुंज है। प्रतिमा को खंडित करके, कालिख पोत कर, समाज में द्वेष की भावना पैदा करना चाहते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को बेनकाब करने का सरकार का दायित्व है। यह कार्यकर्ता किसी पार्टी के नहीं हैं, वे केवल असामाजिक तत्व हैं, समाज की सद्भावना और शांति को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही हो। मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा पर कालिख पोती गयी, प्रशासन के समक्ष खुले आम दिन में एक तरफ फूल बाग में महत्मा गांधी की मूर्ति को खंडित करने की घटना हुई, नेशनल रोड पर इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर बम, गोली चलाई गयी। सुभाष चन्द्र बोस जी की प्रतिमा को खंडित किया गया। मान्यवर, इसमें सरकार की जवाब देही है। प्रशासन पंगु तथा निष्क्रिय है, कानपुर की सड़कों पर आतंक पैदा करके इन महापुरूषों की प्रतिमाओं को वे असमाजिक तत्व तोड़ रहे हैं। मान्यवर, इसमें दरोगा, सिपाही को निलम्बित कर दिया गया, मान्यवर,सरकार इसकी जवाब देही से बच नहीं सकती है, क्या महाराष्ट्र की घटना की पुनरावृत्ति कराना चाहते हैं ? मान्यवर, यह बात आयी कि वे लोग किसी मंच से जुड़े हुए हैं या किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उससे जुड़े हुए हैं, मान्यवर, इस तरह की घटना यदि घटित होती रहेगी तो महाराष्ट्र की घटनाओं की पुनरावृत्ति को कोई रोक नहीं सकता है।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

अवधेश प्रसाद जी की बात नहीं लिखी जायेगी।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, प्रस्तुत प्रकरण तकनीकी रूप से पूरी तरह से ग्राह्य इसलिए है कि कानपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में लोगों की भावनाएं जल रही हैं, उत्तेजना का माहौल है, इसलिए इसमें तात्कालिकता है । लोक महत्व का इसलिए है कि यह महापुरुषों के अपमान से जुड़ी घटना है ।

मान्यवर, आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने की हम तैयारी कर रहे हैं ।

मान्यवर, कैसी आर्थिक–सामाजिक विषमता है कि जहां एक राजनैतिक दल का कार्यकर्ता दूसरे राजनैतिक नेता की प्रतिमा को खंडित करके, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती है । कुछ स्पष्ट कहने से पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि कि बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर की मूर्ति का जिसने भी अपमान किया, वह दुखद तो है ही और साथ ही गलत भी है परन्तु उससे ज्यादा दुखद बात तो यह है कि प्रतिक्रिया स्वरूप स्वर्गीय श्रीमती इन्देरा गांधी जी की मूर्ति को खंडित करना और महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर हमला करके उसे खण्डित करना । मान्यवर, जिन लोगों ने बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर जी की मूर्ति को खण्डित किया, स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की मूर्ति को खण्डित किया और महात्मा गांधी जी की मूर्ति को खण्डित किया, उन्होंने केवल इन मूर्तियों को ही खण्डित नहीं किया बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम को खण्डित करने का काम किया है और उस पर कालिख पोतने का काम किया है । इस कुकृत्य को रोकने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार था और वह किस दल का था ? मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वह न किसी राजनैतिक दल का होता है । अपराधी केवल अपराधी होता है और उसे सजा मिलनी चाहिये । जो उसे संरक्षण देता है, वह उस अपराधी से बड़ा अपराधी होता है । आज यह सब क्यों हो रहा है ? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ राजनैतिक दलों का कोई सिद्धान्त नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है । इसलिए अपने नेताओं को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे महान नेताओं को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं । यही भावना वह अपने समर्थकों में भर रहे हैं । उसी की चरम परिणति है कानपुर की यह घटना । इसलिए आज आवश्यक हो गया है कि सभी राजनैतिक दल अपने को अनुशासन में बांधे और स्वयं विवेक को तैयार करें । हम अपने नेताओं की पूजा अर्चना करें परन्तु दूसरे दलों के नेताओं के विरुद्ध कोई असम्मानपूर्वक कार्य न करें । यदि कोई पार्टी ऐसा काम करती है तो उसे चुनाव लड़ने से वंचित किया जाये । मान्यवर, जब बेमेल गठबन्धन होता है, तब यही होता है । कानपुर में जो घटना हुई, उसे मैं महाराष्ट्र में घटित घटना की पुनरावृति मानता हूं । बी०जे०पी० व बी०एस०पी० के बीच जो आज गठबन्धन हुआ है, उसमें कोई सामान्य बात नहीं है, यदि सामान्य कोई चीज है तो वह केवल सत्ता है । मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की तारीफ करता और मायावती जी का आदर करता हूं जिस दिन महाराष्ट्र में बी०जे०पी० की सरकार ने दलितों पर गोलियां चलाई थीं, अगर वह सच-मुच में हितैषी होती दलितों की तो उसी दिन आप इस गठबन्धन को नकार देती । आज दलितों की लाश के ऊपर बैठकर आप सत्ता में हैं । आपको केवल चिन्ता है तो सिर्फ एक महीने 9 दिन की । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना में किसी निर्दोष कार्यकर्ता को न फंसाया जाय, किसी दल के लोगों को राजनैतिक दुराग्रह के कारण न फंसाया जाय और जो वास्तव में अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय । इसलिए मान्यवर, इस सूचना पर सारे सदन की कार्यवाही रोककर, आप चर्चा करायें ताकि मुखौटों के पीछे जो ऐसे राजनैतिक चेहरे हैं, वे सामने आ जायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, कार्य-स्थगन की जो महत्वपूर्ण सूचना यहां पर रखी गई है और जिन माननीय सदस्यों ने उस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर में जिन महापुरुषों की मूर्तियों पर हमला हुआ, वह इस प्रदेश की करोड़ों जनता पर हमला हुआ जो उनके अनुयायी थे । ये महापुरुष हमारे प्रेरणा-श्रोत हैं । इन्होंने समाज को बनाने के लिए अपना योगदान दिया है । आज उन्हीं की बदौलत हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं । आज पूरे प्रदेश के अन्दर जातीयता का वातावरण है । आज प्रदेश में भय व आतंक है । सबसे दुखद बात तो यह है कि जो लोग ऐसी घिनौनी साजिश कर रहे हैं, जातीयता को फैलाने का काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय अपमान करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सत्तारूढ़ दल का संरक्षण प्राप्त है । महात्मा गांधी जी की मूर्ति को खण्डित किया गया, इन्दिरा जी की मूर्ति को खण्डित किया गया, सुभाष चन्द्र बोस जी की मूर्ति को खण्डित किया । इतने बड़े महापुरुषों की मूर्तियों को खण्डित करने से कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है । परन्तु दुख इस बात का है कि इन महापुरुषों की मूर्तियां प्रशासन की मौजूदगी में खण्डित हुई और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा । यह इसलिए हुआ कि प्रतिक्रिया स्वरूप इन महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ा जाना चाहिये था या फिर प्रशासन इतना सक्षम नहीं था कि उन मूर्तियों पर हुए हमले को रोक सकता था । कुल मिलाकर के जो वर्तमान सरकार है जो सत्ता रूढ़ दल के लोग हैं उनका संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त है और इसका असर पूरे प्रदेश में दिखायी दे रहा है । मान्यवर, इसी प्रकार की और भी घटनायें हुई हैं । मुजफ्फरनगर के करई गांव में अम्बेदकर की मूर्ति को उखाड़ कर फेंक दिया । यह घटना ठीक अगले दिन हुई । यह उसी घटना के प्रक्रिया स्वरूप हुई । मेरठ में रामराज कस्बे में भी मूर्ति को खंडित किया और पुलिस को वहां से लोगों को हटाने के लिए गोलियां चलानी पड़ी । तो यह जो घटनायें हो रही हैं उन पर तत्काल अंकुश लगाया जाय । अगर इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती रहेगी तो यह प्रदेश जल जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री समरपाल सिंह–

आज पूरे प्रदेश में भय है और आतंक व्याप्त है । मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करायी जाय क्योंकि इससे ज्यादा लोक महत्व का और कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, कानपुर की जो घटना घटित हुई है यह बड़ी ही दुखद घटना है । जब से यह सरकार आयी है इस तरह की घटनायें प्रायः हो रही हैं । इसके दामन में इस तरह के काले धब्बे लगे हुए हैं इन सवालों को लेकर । इस देश के महापुरुषों का जिनके नेतृत्व में गोलबन्द होकर हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आज उन्हीं का इस तरह से अपमान हो रहा है । इन्होंने कोई धर्म, जाति या महजब के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ी थी । इन्होंने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किया था । जब से यह सरकार आयी है एक ही व्यक्ति का इतिहास पढ़ाकर कि इन्होंने देश को आजाद कराया है, और लोगों ने जो त्याग किया है उसको झुठलाने का काम इस सरकार ने किया है । हम बाबा साहेब अम्बेदकर की श्रद्धा करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं । किन लोगों ने बाबा साहब अम्बेदकर जी की मूर्ति के मुंह पर कालिख पोतने का काम किया है यह तो यही जानते होंगे लेकिन गांधी जी पर गोली चलाने का काम भाजपा और बसपा ने किया है और यह स्पष्ट दिखायी दे रहा है । हम चाहते हैं कि इसकी सी०बी०आई० जांच करायी जाये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो

जाये और जिन लोगों ने यह काम किया है वह बेनकाब हो जायें । यह छः-छः महीने की बेमेल मोहब्बत वाली सरकार है और इस बेमेल मुहब्बत में इनका स्वार्थ स्पष्ट रूप से दिखायी दे रहा है । अब इनका एक महीने 9 दिन और रह गया है । अब इनका राज पाट रह नहीं जायेगा इस कारण जुल्म और ज्यादती करने का काम कर रहे हैं । और यह खुराफत इसलिए कर रहे हैं ताकि भाजपा को हुकूमत करने का अवसर न मिल सके और महामहिम राज्यपाल के यहां जाकर यह कह सकें कि हमारा गठबन्धन नहीं रह गया है इसलिए चुनाव की तिथि की घोषणा कर दें और इस सरकार को बर्खास्त कर दें । इस सरकार के दामन में काले धब्बे लगे हुए हैं और यह राजनीतिक अपराध करा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

यह सरकार कुण्ठित भाव से हुकूमत कर रही है और बड़े शर्म के काम कर रही है । यह अत्यन्त ही लोक महत्व का प्रश्न है । मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में तत्काल चर्चा करायी जाये । यह प्रदेश के जनमानस से जुड़ा हुआ प्रश्न है । यह पूरा सदन इस बात से चिन्तित है कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश कैसे लगाया जाये ? इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर सारे कार्य रोककर चर्चा करायी जाय ।

(व्यवधान)

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, हमको भी सुना जाये । आपको मेरी भावनाओं से भी अवगत होना पड़ेगा । यह देश के महापुरुषों का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । मैं श्री बाल चन्द्र मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात लिखी नहीं जायेगी । आप कृपा करके बैठ जायें । आपने सूचना नहीं दी है । माननीय ओम प्रकाश जी कृपया इन्हें बैठायें । यह प्रवृत्ति उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

सम्मानित सदन के सामने कानपुर के महापुरुषों के मूर्तियों के अनादर के प्रकरण में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं...

श्री अधिष्ठाता–

नियमों के अलावा परम्पराओं से भी यह सदन चलता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, इस संबंध में षडयंत्र रखा गया है....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्र जी वरिष्ठ सदस्य हैं। हो सकता है कि वह सदन को कोई नई जानकारी देना चाहते हों, तो मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी बात को सुन लें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

सामान्यतः तो श्रीमान् यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह देखता है कि किसी महापुरुष के मूर्ति के साथ अपमानजनक कार्यवाही हुई है तो पहले अधिकारियों से कहें, लेकिन अचानक इस घटना के बाद तख्तियों पर बड़ी खूबसूरती से नारे लिखकर सैकड़ों की संख्या में नारे लगाते हुए पहुंच गये। जनता को भड़काने का काम किया गया और जब वहां पर पुलिस वाले पहुंचे तो ऊपर पत्थर चलाने लगे। फूलबाग से हटकर इन्दिरा प्रतिमा पर गये और जिसके कारण वहां का वातावरण बिगड़ गया। मैं घटना की निन्दा करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह निन्दनीय कार्य किया गया है। प्रशासन ने बड़ी सूझ-बूझ से तुरन्त कार्यवाही की है। मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि ऐसे घृणित प्रयासों को जितनी सख्ती से हो सके, दबाना चाहिये। आज इस सदन में इस विषय पर काम रोको प्रस्ताव का कोई विषय इसलिए नहीं है क्योंकि वहां स्थिति पूर्णतया सामान्य कर दी गई है। शासन को गंभीरता से कार्यवाही करनी भी चाहिये। यह जो कार्य किया गया है वह बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अशोक दीक्षित वहां के सभासद हैं ब०स०पा० के उन्होंने बड़ी सूझ-बूझ से 20 किलो दूध मंगाकर डा० अम्बेदकर की मूर्ति को धुलाकर वातावरण को शान्त करने में सहयोग किया। यह षडयंत्र स०पा० द्वारा कराया जा रहा था कि कानपुर नगर आग की लपटों को समर्पित कर दिया जाय।

अतः कार्य-स्थगन का कोई औचित्य नहीं है।

(व्यवधान)

लेकिन इन्होंने उसको उत्तेजित करने का काम किया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय ओम प्रकाश जी, आप बैठिये।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, हमारी भावनाओं को नहीं सुनेंगे तो कैसे यह सदन चलेगा ? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पहले भी निवेदन किया था, आज सबकी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। अन्य माननीय सदस्यों के अन्य विषयों पर महत्वपूर्ण सूचनाएं आई हैं। (व्यवधान) अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो नहीं चलायें। अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को हम चाहते हैं कि सुना जा सके। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

यह मर्माहत हैं इसलिए एक मिनट इनकी बात सुन लीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

कितने लोगों को बोलने देंगे ?

श्री राम विशुन आजाद–

आजादी की 50वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और इस सरकार ने चन्द्रशेखर आजाद को अपमानित किया है । कानपुर में महात्मा गांधी, श्रीमती इन्दिरा गांधी की मूर्तियों को अपमानित किया है । इस सरकार पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि इसने उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता को अपमानित किया है । उनकी भावनाओं को उद्वेलित किया है । जो आन्दोलन करने के लिए तैयार हैं । (व्यवधान) महात्मा गांधी को गोली मारने का काम इन्होंने किया है और आज फिर उनकी मूर्ति को अपमानित कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गई आप समाप्त करें ।

श्री राम विशुन आजाद–

यह सरकार करोड़ों जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस सरकार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाय । डा० अम्बेडकर की मूर्ति पर जो कालिख लगाई है उसकी मैं घोर निन्दा करता हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)– .

माननीय श्री अधिष्ठाता महोदय, कानपुर में प्रतिमाओं को क्षति पहुंचाने और उनको अपमानित करने की घटनाओं को लेकर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बात चल रही है । इसमें जितने हमारे सदस्यों ने भाग लिया उनकी भावनाओं से मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहूंगा कि यह घटना अभी हाल में घटित हुई है और यह लोक महत्व की इसलिए है कि सारे प्रदेश भर के जनमानस में भय पैदा हो गया है, दहशत पैदा हो गई है, पता नहीं कौन किस जगह पर किसी प्रतिमा को आघात पहुंचा दे और पता नहीं किसे उल्टे किस प्रकरण में फंसा दे । यह सिर्फ स्वार्थवश राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत घटनाएं घटित करवाई गई हैं । उसमें जनता दल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने का कार्य किया गया है । मैं यह पूरी तरह से आरोप लगा रहा हूं कि इस सरकार ने जान बूझकर ऐसी घटनाएं घटित करवाई । आजादी की 50वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और यह महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद, और इन्दिरा गांधी आदि को अपमानित करने के लिये इन्होंने एक योजना बनाई और उसी के तहत यह कार्य रूप में परणित कर दिया । श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि यह घटना कोई ऐसी नहीं है जिस पर गंभीरता से विचार न किया जाय । यह हल्के फुल्के ढंग से टालने वाली नहीं है । ऐसा नहीं है कि इसको हंस कर टाल दिया जाय । अगर इसको इसी तरह से हंसकर टाल दिया गया तो भविष्य में कठिनाई होगी और सारा प्रदेश जलेगा और जो चन्द लोग राजनीति की रोटी सेंकना चाहते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा । मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करा ली जाय इसकी गंभीरता को देखते हुए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री नीरज चतुर्वेदी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री धनीराम वर्मा–

नहीं मान्यवर, यह कैसे बोल रहे हैं ? क्या आपने इस पर चर्चा स्वीकार करा ली है ? इस पर चर्चा स्वीकार हो तब ही माननीय सदस्य अपनी बात कहें । परम्परा मत तुड़वाइये ।

श्री अधिष्ठाता–

आप सुन तो लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

* श्री नीरज चतुर्वेदी–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है । मेरी बात नहीं सुनी जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पहले व्यवस्थित होने दीजिये । माननीय प्रमोद कुमार जी एक मिनट रुक जायें । जिस बिन्दु को माननीय नेता विरोधी दल ने उठाया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं उस पर बोल नहीं रहा हूं । मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, कार्य-स्थगन में नियम 56 के अन्तर्गत ऐसे विषय होते हैं जो अविलम्बनीय लोक महत्व के हों और उसके लिए सदन की कार्यवाही रोक कर उस पर चर्चा करायी जाती है । विषय ऐसा हो जो तात्कालिक हो और लोक महत्व का हो । मान्यवर, यह विषय ऐसा है जिस पर हर सदस्य बोलना चाहता है चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो । हालांकि कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर परम्परागत रूप से सत्ता पक्ष के सदस्य बोलते ही नहीं हैं । परन्तु इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए वह भी बोलना चाह रहे हैं और उनका बोलना भी जायज है । यह उनके क्षेत्र का मामला है । अतः इस पर कार्य स्थगन के रूप पर चर्चा स्वीकार करा ली जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल आप बात तो सुन लें । आपने जो बात कही और माननीय प्रमोद कुमार जी ने जो बात कही । मैंने प्रारम्भ में भी यह निवेदन किया कि सदन नियम और परम्पराओं से चलता है । जिन सदस्यों की सूचना नहीं थी उन्हें भी इसलिए सुन लिया जा रहा है कि उनके जनपद का मामला है । नियम 56 या नियम 300 में जिस जनपद और जिस क्षेत्र का मामला हो उस क्षेत्र के विधायक को सुन लिया जाता है । माननीय सदस्य कानपुर के हैं इसलिए वह अपनी बात रखना चाहेंगे । प्रमोद कुमार जी ने कहा कि सत्ता पक्ष नियम 56 पर नहीं कहता है लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी में कानपुर की स्थिति है वह कानपुर के हैं और तथ्यों को अवगत कराना चाहते हैं तो धैर्य से इनकी बात सुन लें ।

श्री धनीराम वर्मा–

नहीं कदापि नहीं हो सकता । उनकी बात नहीं सुन सकते । आप इस पर चर्चा स्वीकार करा लें । फिर सबको अवसर दें । इस तरह सदन नहीं चल सकता । (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप चर्चा स्वीकार कर लें ।

(शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव आते हैं । उनकी ग्राह्यता के संबंध में आप चाहें तो सदस्यों को सुन सकते हैं । कहीं नियमावली में यह नहीं लिखा है कि ग्राह्यता पर केवल विपक्ष को ही सुना जायगा । सत्ता पक्ष के लोगों को भी आपको सुनने का अधिकार है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नियमावली में जो व्यवस्था है उसके अनुसार चर्चा करा लें ।

श्री नीरज चतुर्वेदी–

मान्यवर, आपने इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं ।

(शोर)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा । (शोर)

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने स्थान पर जायें ।

(सभी सदस्य अपने आसन पर चले गये ।)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा लीजिये ।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नियमों और परम्पराओं के विपरीत सदन के समय को बरबाद किया जा रहा है ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हैं तो आपको साथ-साथ चर्चा करा देनी चाहिए । बार-बार आपको स्पष्टीकरण नहीं लेना चाहिए । अगर लेना है तो मंत्री जी से स्पष्टीकरण लें ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

हम चर्चा के लिए इनको आमंत्रित करते हैं । (शोर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठिये । मित्रसेन जी आप बैठ जाइये । मिश्रा जी आप भी बैठिये । मित्रसेन यादव जी तो वरिष्ठ सदस्य सदन के हैं आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया । मैंने पहले भी दो बार निवेदन किया, अनुरोध किया । चूंकि यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है । पूर्व में भी ऐसे कई दृष्टान्त रहे हैं कि जिस जनपद और जिस क्षेत्र की घटना है वहां के क्षेत्र के सदस्य की बात सुनी जाती है । पहले अध्यक्ष जी निर्देश देकर गये थे कि दो-दो माननीय सदस्य की सूचना पर मैंने ग्राह्यता पर सुनने का प्रयास किया । अब नेता विपक्ष उत्तेजित हो गये । उनसे मेरा निवेदन है कि सारी बात आ गयी है । उस जनपद के सभी सदस्य तथ्यों को बता चुके हैं । अब संसदीय कार्य मंत्री की बात को सुनने के बाद कोई निर्णय लिया जायगा ।

(व्यवधान)

श्री धर्मीराम वर्मा–

या तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोलें या फिर आप इसमें चर्चा करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

सभी माननीय सदस्यों की भावना और जानकारी आ गयी है ।

श्री लालजी वर्मा–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, इस सदन में सभी को लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहने का अधिकार है सदन में हर सदस्य अपनी बात रख सकता है । सदन न चलने की धमकी दिया जाना सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है । नेता विरोधी दल ने धमकी दी कि सदन नहीं चलने देंगे । यह विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न है । मैं मौखिक रूप से इसको आपके समक्ष रख रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि सदन को नहीं चलने देंगे वह इसलिए कहा कि सदन को नियमानुसार चलाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

लालजी वर्मा ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उनका कहना "धमकी" नहीं था इन्होंने नियमों के बारे में बताया जानकारी दी है यह धमकी नहीं है ।

(श्री बालचन्द्र मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मिश्र जी आपको अनुमति नहीं दी है । मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है इनको सुन लें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जाये ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है इसके अलावा आप किसी को अनुमति न दें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार यदि अनुज्ञा देने पर आपत्ति की जाये । आपत्ति कौन करेगा आपत्ति सत्ता पक्ष के लोग करेंगे । इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री मिश्र जी बैठ जायं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, काफी गम्भीर प्रकरण की तरफ कई माननीय सदस्यों ने ग्राह्यता पर अपनी बात रखी है । जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां लगायी गयी हैं जितने भी महापुरुष हुए हैं हमें सभी का सम्मान करना चाहिए । हम सबका सम्मान करते हैं और जो मूर्तियां लगी हैं चाहे इन्दिरा गांधी जी की हो, चाहे राष्ट्र पिता बापू जी की हो, सुभाष चन्द्र बोस जी की हो या दूसरे की उनके प्रति सबको जो हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, सबको उनके प्रति श्रद्धानत होना चाहिए, सबको सम्मान रखना चाहिए । कोई पार्टी पालिटिक्स आड़े नहीं आनी चाहिए इसको सभी को गम्भीरता से लेना चाहिए, और सभी के प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए । मान्यवर, यह आज की बात नहीं है । यह जो कानपुर में हुआ है इसकी भूमिका पहले से बन रही है । जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से यह कोशिश की जा रही है चाहे जो लोग हों, चाहे पक्ष के या विपक्ष के हों, सरकार ने इस घटना को इस रूप में नहीं देखा है कि कौन किधर का है, किस जाति, मजहब, पार्टी या धर्म का है, ऐसे लोग जो घटना स्थल पर तत्काल मिले हैं या उपद्रव करते हुये मिले हैं उन्हें गिरफ्तार करके हवालात भेज दिया गया है और उन पर एन०एस०एस० लगाया गया है । जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कोशिश हो रही है कि प्रदेश में दंगा करा दें, प्रदेश में ला–एण्ड आर्डर की स्थिति बिगाड़ दें उसी के तहत दिनांक 7-8-97 को कानपुर को जलाने की साजिश थी, कानपुर में दो महापुरुषों को अपमानित करके दंगा कराने की साजिश थी । यह जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि इसमें साजिश थी तो यह सच है कि यह साजिश कानपुर को जलाने की थी ।

श्री धनीराम वर्मा–

निश्चित तौर पर ब०स०पा० की साजिश थी ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी की बात आ जाने दीजिये उसके बाद मैं आपको सुन लूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि जब सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि मूर्तियों को तोड़े जाने की साजिश थी तो मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट रूप से सदन को बताये कि इन्दिरा जी, पूज्य बापू जी तथा सुभाष चन्द्र बोस जी की मूर्ति को तोड़ने के पीछे किसकी साजिश थी, यह साजिश कौन कर रहा है ? यह सरकार बताये ?

श्री अम्बिका चौधरी–

नेता विरोधी दल ने यह बता दिया है कि किसकी साजिश थी, उसको सरकार तथा संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, प्रशासन के सामने मूर्तियां तोड़ी गयीं तो इस घटना पर सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए । यह बहुत ही गम्भीर विषय है इसीलिये सरकार इस पर माफी मांगे ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी केवल राजनैतिक उत्तर दे रहे हैं, प्रशासन के सामने तीनों मूर्तियां तोड़ी गयीं इसलिए सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए । वरना इस तरह से सदन नहीं चल पायेगा ।

(घोर व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री फतेह बहादुर सिंह आदि कांग्रेस के कई सदस्य सदन की वेल में आ गये)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । आप लोग शांत रहें । आप पहले संसदीय कार्य मंत्री का जवाब सुन लें । आप लोग अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहें ।

(घोर व्यवधान)

(नेता सदन के आने पर)

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, कानपुर में जो महान पुरुषों की प्रतिमाओं का अपमान किया गया है इसके बारे में मैं लम्बी चौड़ी बात न रखते हुये आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमने इस मामले की छानबीन कराई है और इस घटना के पीछे जो यह कानपुर में घटना घटित हुई है इसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है ।

(घोर व्यवधान, समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य सदन के वेल में आ गये और रिपोर्टर्स टेबिल के ऊपर रखी घड़ी को उठाकर फेंक दिया, जो चकनाचूर होकर टूट गई । रिपोर्टर्स की टेबिल को ढकेलने का सदस्यों ने प्रयास किया, साउंड बाक्स उठाकर फेंक दिया, रिपोर्टर्स की कुर्सियां उठाकर फेंकने लगे और एजेण्डा फाड़कर फेंका तथा घोर व्यवधान करने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 18 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 33 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी 3 बजकर 33 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4.00 बजे तक बढ़ा दिया है ।

4.00 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है ।

4.00 बजकर 30 मिनट पर सदन की बैठक श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की चौथी सूचना पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, कानपुर में प्रतिमाओं को तोड़ने का कार्य चाहे वह इन्दिरा गांधी जी की हो, चाहे महात्मा गांधी जी की हो, और चाहे सुभाष चन्द्र बोस जी की हो इन सबको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी-बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने करवाया है । अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए झूठा आरोपित किया जा रहा है समाजवादी पार्टी को ।

(व्यवधान)

इस तरह के आरोप को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं । इसको वापस लेना चाहिए । इसमें न्यायिक इन्क्वायरी होनी चाहिए, या सी० बी० आई० की जांच हो या हाई कोर्ट के जज से जांच करा ली जाय, जो तथ्य सामने आये उसके आधार पर कार्यवाही की जाय ।

(व्यवधान)

(श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बिना अनुमति के बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा । केवल नाम लिखा जायेगा और नाम के आगे कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

माननीय राम जग जी कृपया स्थान ग्रहण करें । अनुमति नहीं दी है कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप एक बात का जवाब दें कि संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनना चाहते हैं कि नहीं ? कभी कोई बात ऐसी हो जाती है कि किसी माननीय सदस्य को अच्छी नहीं लगती है ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री प्रमोद कुमार जी जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा । इस प्रकार व्यवधान उत्पन्न करने की मैं अनुमति नहीं देता हूं । मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है । आप कृपा करके बैठ जाये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत दुख:द घटना है । इस घटना की सभी लोगों को निन्दा करनी चाहिए । इसमें तत्काल पुलिस ने दो लागों को गिरफ्तार किया । एक श्री मदन मोहन चौधरी हैं और दूसरे श्री बाबू लाल अहिरवार हैं । एक जनता दल से संबंधित हैं और दूसरे समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग वापस अपने-अपने स्थानों पर जाने की कृपा करें ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य वापस अपने-अपने स्थानों पर चले गये)

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, बिना साक्ष्यों को यहां रखे अपनी बात कह रहे हैं । हम ज्यूडीशियल इन्कवायरी के लिए तैयार हैं । दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाये हैं । मुझे नियम–56 की सूचना से संबंध है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों को सुना, अब वह मेरी बात सुनें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों को और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं नियम–56 के अंतर्गत इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । अगली सूचना श्री धनीराम वर्मा, डा० अशोक बाजपेयी, अवधेश प्रसाद व श्री ओम प्रकाश जी की है, गोरखपुर की घटना के संबंध में हैं । माननीय नेता विरोधी दल जी आप अपनी बात ग्राह्यता के संबंध में इस घटना पर कहें ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो प्रकरण आप उठा रहे हैं, वह समाप्त हो गया है । मैंने अगली सूचना ले ली है । मुझे नियम–56 की सूचना से मतलब है । आप कृपा करके बैठ जायें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट:–[x x x] यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अगली सूचना ले ली है । यह प्रकरण अब समाप्त हो गया है । मेरा निवेदन यह है कि आप सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलने दें । जो भी माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । उनका नाम भी नहीं लिखा जायेगा । आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर जायें ।

(वेल में आये हुए सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं । अगली सूचना श्री धनीराम वर्मा, श्री अवधेश प्रसाद, डा० अशोक बाजपेयी और श्री ओम प्रकाश जी की है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, पहले न्यायिक जांच या सी० बी० आई० के जांच के आदेश कराये जायें । तभी यह कार्यवाही आगे बढ़ेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने सीधा सा प्रश्न यह पूछा है कि क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी न्यायिक जांच के आदेश करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण समाप्त हो गया है । मैंने अगली सूचना ले ली है ।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री धनीराम वर्मा, अवधेश प्रसाद, डा० अशोक बाजपेई और श्री ओम प्रकाश की है । यह सूचना जनपद गोरखपुर में शांति पूर्ण धरना एवं प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चार्ज किये जाने के संबंध में हैं । कोई माननीय सदस्य इस पर अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं, तो करें ।

(किसी सदस्य के न खड़े होने पर)

मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

(विपक्ष के कई सदस्य सदन के वेल में आ गये)

(घोर व्यवधान)

अगली सूचना डा० वकार अहमद शाह की है, माननीय सदस्य अपना विचार प्रकट करना चाहें, तो करें ।

(डा० वकार अहमद शाह के न खड़े होने पर)

मैं इस सूचना का निरस्त करता हूं ।

अगली सूचना श्री अम्बिका चौधरी की है । सभी माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये हैं और अपने विचार नहीं रख रहे हैं, अतः शेष सभी सूचनाओं को निरस्त करता हूं ।

मैं सदन को 5.00 बजे तक के लेये स्थगित करता हूं ।

(4 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी ।

5.00 बजे मार्शल ने सूचित किय कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।

5.00 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण समाप्त हो गया है । इस संबंध में जो सूचना आयी थी वह अग्राह्य हो गयी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति के अपनी दिनांक 11 अगस्त, 1997 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 11 और 12 अगस्त, 1997 के कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 11 अगस्त, 1997 को पूर्व निर्धारित सरकारी विधायी कार्य के पश्चात् संगत नियमों को निलम्बित करते हुए निम्नलिखित कार्य लिये जायें–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार एवं उसका पारण ।

आधा घण्टा

2–दिनांक 12 अगस्त, 1997 को पूर्व निर्धारित सरकारी विधायी कार्य के पश्चात् निम्नलिखित कार्य लिया जाय :–

(क) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार एवं उसका पारण ।

आधा घण्टा

3–दिनांक 12 अगस्त, 1997 को पूर्व निर्धारित अन्य कार्यक्रम के पश्चात् नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव लिये जायें:–

(क) नियम 103 के अन्तर्गत श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल लेजर एकाउन्ट के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाय और उसमें जमा धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु किया जाय :–

(ख) नियम 103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा:–

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में संचालित बेसिक मिनिमम सर्विसेज का लाभ नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी उपलब्ध कराया जाय ।"

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(माननीय सदस्यों के सदन के फ्लोर पर आ जाने पर घोर व्यवधान सदस्य गांधी के हत्यारों की यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे)

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

माध्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखें ।

(किसी सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 तक, खण्ड–3 से, खण्ड–1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997

राज्य में मोटर यानों पर कर का आरोपण करने और किराये के लिए यात्रियों और माल के परिवहन में लगे हुए मोटर यानों पर अतिरिक्त कर का आरोपण करने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में,–

(क) "अतिरिक्त कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन आरोपित कर के अतिरिक्त, धारा 5 या धारा 6 के अधीन आरोपित कर से है;

(ख) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से है;

(ग) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र" का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण-पत्र से है कि मोटर यान को मोटर यान अधिनियम, 1988, या मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है;

(घ) "माल वाहन" का तात्पर्य किसी ऐसे मोटर यान से है जो माल ढोने के लिए पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाये जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित हो या

ऐसे किसी मोटर यान से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो पर जब वह केवल माल ढोने या यात्रियों के साथ-साथ माल ढोने के लिए उपयोग में लाया जाय और इसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई मोटर टैक्सी या बड़ी टैक्सी, या कोई ठेका गाड़ी या कोई मंजिली गाड़ी नहीं है जब ऐसी ठेकागाड़ी या मंजिली गाड़ी परिसीमित मात्रा में माल ढोने के लिए प्राधिकृत हो;

(ङ) "परिसीमित मात्रा का भार" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अवधारित सीमा से अनधिक भार के ऐसे परिमाण से है जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट करे;

(च) "पुराना मोटरयान" का तात्पर्य परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटर यान से है जो मोटर यान अधिनियम, 1939 के उपबन्धों के अधीन 5 फरवरी, 1988 के पूर्व रजिस्ट्रीकृत हो;

(छ) किसी परिवहन यान के संबंध में "संचालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम परमिट में या उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976 के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकार प्रमाण-पत्र में दर्ज हो और जहां ऐसा कोई परमिट या प्राधिकार प्रमाण-पत्र न हो, वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज हो और जहां परिवहन यान किसी अवक्रय करार के अधीन हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका उस यान पर करार के अधीन कब्जा हो और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;

(ज) किसी मोटर यान के संबंध में "स्वामी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के संबंध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दर्ज हो और जहां ऐसा यान किसी अवक्रय करार या पट्टे या आडमान के अधीन हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका यान पर उस करार के अधीन कब्जा हो और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;

(झ) किसी सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में "यात्री" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक सेवा यान में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यान से संसक्त अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में यात्रा करने वाले सार्वजनिक सेवा यान के संचालक, ड्राइवर, कण्डक्टर या संचालक का कोई कर्मचारी नहीं आता है ।

(ञ) "तिमाही" का तात्पर्य तीन कलेण्डर मास की ऐसी अवधि से है जो मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अन्तिम दिन को समाप्त होती है;

(ट) "सम्भाग" का तात्पर्य मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन सम्भाग के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है और इसके अन्तर्गत कोई उप सम्भाग भी है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ठ) "कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उद्ग्रहीत किसी कर से है;

(ड) "कराधान अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कराधान अधिकारी की सभी या कोई शक्ति प्रदान की जाय ;

(ढ) "परिवहन यान" का तात्पर्य किसी माल वाहन या सार्वजनिक सेवा यान से है ;

(ण) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और मोटर यान अधिनियम, 1988 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिये दिये गये है ।

छूट देने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार नियम या अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए और ऐसी अवधि के लिये जैसी विनिर्दिष्ट की जाय किसी शैक्षिक चैकित्सिक परोपकारी या अन्य लोक प्रयोजन को अग्रसर करने में चलने वाले किसी मोटर यान या मोटर यानों के किसी वर्ग को पूर्णतः या अंशतः निम्नलिखित से छूट दे सकती है :

(क) इस अधिनियम या इसके किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के भुगतान से ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी छूट या छूट के लिये आरोपित शर्त भूतलक्षी दिनांक से जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक से पहले कौन हो, प्रभावी की जा सकती है ।

(3) राज्य सरकार इसी तरह उपधारा (1) के अधीन दी गयी कोई छूट वापस ले सकती है किन्तु ऐसी छूट की वापसी भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित नहीं होगी ।

कर का आरोपण

4–(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, परिवहन यान से भिन्न किसी मोटर यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटर यान के संबंध में लागू दर पर एक बार देय कर का, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु किसी पुराने मोटर यान के संबंध में, एक बार देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटर यान पर लागू दर पर वार्षिक कर, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ग" मे विनिर्दिष्ट है, भुगतान किया जा सकता है ।

(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय किसी परिवहन यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटर यान के संबंध में लागू दर पर कर का, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "घ" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान न कर दिया गया हो ।

(3) जहां परिवहन यान से भिन्न कोई मोटर यान जिसके संबंध में एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो, परिवहन यान के रूप में चलाई जाय वहां ऐसे परिवहन यान पर इस अधिनियम के अधीन देय कर देय होगा ।

माल वाहनों पर अतिरिक्त कर

5-(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई माल वाहन उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जायेगा जब तक कि उसके संबंध में, धारा 4 के अधीन देय कर के अतिरिक्त, यथास्थिति–

(क) उत्तर प्रदेश के भीतर अधिकारिता युक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची, या

(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन स्वीकृत राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची का भाग "ख";

(ग) उत्तर प्रदेश में अंशतः पड़ने वाले अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिये उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, छठी अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट ऐसे माल वाहन के संबंध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है ।

(2) जहां सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से संबंधित कोई पारस्परिक करार उत्तर प्रदेश सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहां उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण, उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार होगा :

परन्तु इस प्रकार उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर उस अतिरिक्त कर से अधिक नहीं होगा जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदग्रहीत होता ।

सार्वजनिक सेवा यान पर अतिरिक्त कर

6-(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन से भिन्न कोई सार्वजनिक सेवा यान उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके संबंध में, धारा 4 के अधीन देय कर के अतिरिक्त चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है ।

(2) राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण और भुगतान पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्मूला के अनुसार किया जायेगा ।

(3) जहां किसी सार्वजनिक सेवा यान को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अतिरिक्त कर के भुगतान से पूर्णतः या अंशतः छूट दी गयी हो, वहां धारा 8 के अधीन स्थापित निधि के प्रयोजन के लिये उसके संचालक पर उस अतिक्ति कर के, जो ऐसे यान पर देय होता यदि उसे इस प्रकार की छूट न दी गई होती, पांच प्रतिशत की दर से अधिभाग का उदग्रहण किया जायेगा और ऐसी धनराशि उक्त निधि में जमा की जायेगी ।

कर या अतिरिक्त कर का अवधारण करने के लिये मार्गों का वर्गीकरण

7–(1) प्रथम अनुसूची के अधीन परिवहन यानों के संबंध में देय कर की धनराशि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये या चतुर्थ अनुसूची के अधीन देय अतिरिक्त कर का अवधारण करने के लिये उत्तर प्रदेश में समस्त मार्गों का वर्गीकरण ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, विहित प्राधिकारी द्वारा "क–वर्ग" के मार्गों या "ख–वर्ग" के मार्गों के रूप में किया जायेगा ।

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन मार्गों का वर्गीकरण न कर दिया जाय,तब तक–

(एक) संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के अधीन वर्गीकृत "विशेष वर्ग" और "क–वर्ग" के मार्ग इस अधिनियम के अधीन "क–वर्ग" के मार्ग होंगे, और

(दो) उक्त अधिनियम के अधीन वर्गीकृत "ख–वर्ग" और "ग–वर्ग" के मार्ग इस अधिनियम के अधीन "ख–वर्ग" के मार्ग होंगे ।

दुर्घटना राहत निधि

8–(1) किसी सार्वजनिक सेवा यान के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो "उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" कही जायेगी । धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उदग्रहीत अधिभार, और धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उदग्रहीत अतिरिक्त कर के इक्कीसवें भाग के समतुल्य धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय ।

कर और शास्ति का भुगतान

9–(1) धारा 11 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए,–

(एक) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन देय कर का भुगतान मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय किया जायेगा :

परन्तु किसी पुराने मोटर यान के संबंध में कर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा ;

(दो) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन देय कर मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय प्रत्येक तिमाही के लिये और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(तीन) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर ।उस मामले से भिन्न जिस पर खण्ड (चार) लागू होता है । प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(चार) मेला और धार्मिक सभाओं जैसे विशेष अवसरों पर यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने, या बारात, पर्यटक पार्टी या ऐसी अन्य रिजर्व पार्टी को सवारी के लिये जारी किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों के संबंध में धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर का भुगतान ऐसे अस्थायी परमिट के जारी किये जाने के समय किया जायेगा ।

(2) जब कोई व्यक्ति अपने नाम से रजिस्ट्रीकृत किसी मोटर यान को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, तब इस संबंध में अन्तरक के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अन्तरिती मोटर यान के अन्तरण के दिनांक को या उसके पूर्व इस प्रकार अन्तरित मोटर यान के संबंध में देय कर या अतिरिक्त कर और शास्ति, यदि कोई हो, के बकाये का इस प्रकार देनदार होगा, मानों अन्तरिती उस अवधि के दौरान जिसके लिये ऐसा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति देय हो, उक्त मोटर यान का स्वामी था ।

(3) जहां किसी मोटर यान के संबंध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय, वहां देय कर या अतिरिक्त कर के अतिरिक्त देय धनराशि के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जैसी विहित की जाय, शास्ति देय होगी जिसके लिये स्वामी और संचालक, यदि कोई हो, संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देनदार होंगे ।

(4) इस अधिनियम के अधीन कर, अतिरिक्त कर या शास्ति की धनराशि की संगणना करने में, धनराशि को निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात् एक रुपये के भाग को जो पचास पैसे या उससे अधिक हो,अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा ।

कर भुगतान किये बिना उत्तर प्रदेश में यानों का उपयोग नहीं किया जायेगा

10-(1) धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में तब तक नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके संबंध में-

(एक) उत्तर प्रदेश में उसके उपयोग या ठहरने के सप्ताहों के लिये, धारा 4 के अधीन कर का, जिसकी गणना प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित दर से और उपधारा (2) में दी गई रीति से की जायेगी, भुगतान न कर दिया गया हो;

(दो) यथास्थिति, धारा 5 या धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का, जिसकी गणना छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित दर से की जायेगी, भुगतान न कर दिया गया हो ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अधीन कर के उद्ग्रहण और भुगतान के प्रयोजनों के लिये, किन्हीं दो सप्ताह या उसके भाग के लिये देय कर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर का 2/13 वां भाग होगा ।

(3) यदि ऐसा परिवहन यान इस अधिनियम के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर का भुगतान किये बिना उत्तर प्रदेश में चलता हुआ पाया जाय, तो ऐसा कर या अतिरिक्त कर शास्ति के साथ जो देय कर या अतिरिक्त कर के दस गुने के बराबर होगा, देय होगा ।

प्रथम कर के दायित्व पर देय धनराशि

11–जब किसी परिवहन यान के संबंध में कर या अतिरिक्त कर किसी तिमाही के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार देय हो, तब यथास्थिति, धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर प्रत्येक कलेण्डर मास या उसके भाग के लिये जिसके संबंध में कर या अतिरिक्त कर देय हो, समुचित तिमाही कर का एक तिहाई होगा ।

यान का अनुपयोग और कर का वापस करना

12–(1) जब कोई व्यक्ति जिसने किसी परिवहन यान के संबंध में कर का भुगतान कर दिया है, कराधान अधिकारी के सन्तोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि मोटर यान का जिसके संबंध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है अंतिम बार कर का भुगतान करने के समय से एक मास या उससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है । तो वह उतनी धनराशि के वापसी का हकदार होगा जितनी वह ऐसे यान के संबंध में ऐसी अवधि के प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास के लिये, जिसके लिये भुगतान किया गया हो, देय तिमाही कर की दर के एक तिहाई के बराबर हो :

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति, उस अवधि के पूर्व जिसके लिये ऐसी वापसी का दावा किया गया हो, कराधान अधिकारी के पास यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र टोकन यदि कोई हो और परमिट अभ्यर्पित न कर दे ।

(2) जहां किसी मोटर यान का, यथास्थिति संचालक या स्वामी एक मास या उससे अधिक की अवधि के लिये अपने यान का उपयोग नहीं करना चाहता है वहां वह यथास्थिति, कर या अतिरिक्त कर के देय दिनांक के पूर्व उस सम्भाग के कराधान अधिकारी के पास जहां कर या अतिरिक्त कर का अंतिम बार भुगतान किया गया हो, मोटर यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, टोकन, यदि कोई हो और परमिट यदि कोई, हो, अभ्यर्पित करेगा और ऐसे अभ्यर्पण पर ऐसे यान के संबंध में प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास की उस अवधि के

लिये जिसके दौरान यान उपयोग में न रहे और उपर्युक्त दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहे इस अधिनियम के अधीन कोई कर या अतिरिक्त कर देय नहीं होगा :

परन्तु यदि ऐसा यान उस अवधि के दौरान जब इस उपधारा में यथा उल्लिखित उसके दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहें, चलाता हुआ पाया जाय, तो ऐसे यान का यथास्थिति, स्वामी या संचालक कर का देनदार होगा मानो उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन देय शास्ति का भी देनदार होगा ।

(3) जहां परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटर यान जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो, का स्वामी कराधान अधिकारी के सन्तोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटर यान का एक मास या इससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है, वहां वह उक्त अवधि के लिये द्वितीय अनुसूची के भाग "क" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर की वापसी का हकदार होगा :

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन, यदि कोई हो, स्वामी द्वारा कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित न कर दिया जाय :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन वापस की जाने वाली कुल धनराशि इस अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये एक बार देय कर से अधिक नहीं होगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन वापसी की धनराशि की गणना करने में, उस अवधि के किसी भाग को जो एक मास से कम हो, छोड़ दिया जायेगा ।

(5) किसी परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटर यान जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, का स्वामी द्वितीय अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर को वापस पाने का इस आधार पर हकदार होगा कि उसने ऐसे कर के भुगतान के पश्चात् ऐसे यान को स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लाने के फलस्वरूप ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मोटर यानों पर कर संबंधी किसी अन्य अधिनियमित के अधीन ऐसे यान के संबंध में कर का भुगतान कर दिया है या ऐसे मोटर यान को परिवहन यान के रूप में परिवर्तित किया गया है या ऐसे मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है ।

(6) जहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी पुराने मोटर यान के संबंध में एक बार देय कर से भिन्न कर का भुगतान कर दिया हो, कराधान अधिकारी के सन्तोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटर यान जिसके संबंध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, का उपयोग ऐसे कर या किस्त का अंतिम बार भुगतान करने के समय से एक मास या इससे अधिक की लगातार अवधि तक नहीं किया गया है, वहां वह उतनी धनराशि वापस पाने का हकदार होगा जितनी ऐसी अवधि

जिसके लिये ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, के प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास के लिये ऐसे यान के संबंध में देय वार्षिक कर की दर के बारहवें भाग के बराबर हो :

परन्तु ऐसा वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने कराधान अधिकारी के पास यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन, यदि कोई हो, उस अवधि के पूर्व जिसके लिये ऐसी वापसी का दावा किया जाय, अभ्यर्पित न कर दिया हो ।

(7) किसी परिवहन यान का काई संचालक जो उपधारा (1) के अधीन कर वापस पाने का हकदार हो, यथास्थिति धारा 5 या धारा 6 के अधीन भुगतान किये गये अतिरिक्त कर के ऐसे भाग का जो उक्त अवधि के लिये आरोप्य हो उपधारा (1) के अधीन वापस पाने का हकदार होगा और ऐसी वापस की गई धनराशि की गणना उन्हीं सिद्धान्तों पर की जायेगी जैसा उक्त उपधारा में निर्धारित है ।

यान को उपयोगार्थ रखने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा

13–(1) प्रत्येक मोटर यान का स्वामी या संचालक विहित प्रपत्र में उसके संबंध में एक घोषणा करेगा और विहित समय के भीतर कराधान अधिकारी को देगा और उसे इस अधिनियम की अपेक्षानुसार या उसके अधीन कर या अतिरिक्त कर जिसका वह ऐसे यान के संबंध में ऐसी घोषण द्वारा देनदार प्रतीत होता हो, भुगतान करेगा ।

(2) जहां किसी मोटर यान में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि उसका स्वामी या संचालक धारा 14 के अधीन बढ़े हुए कर या अतिरिक्त कर का देनदार हो जाय, वहां ऐसा स्वामी या संचालक विहित समय के भीतर विहित प्रपत्र में किये गये परिवर्तन की प्रकृति को दर्शाते हुए एक अतिरिक्त घोषणा करेगा और घोषणा कराधान अधिकारी को देगा और उसे धारा 14 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर में अन्तर का भुगतान करेगा ।

कर में अन्तर का भुगतान

14–जहां किसी ऐसे मोटर यान में जिसके संबंध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान कर दिया गया हो, इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि वह यान ऐसा यान हो जाय जिसके संबंध में अपेक्षाकृत ऊंची दर से कर या अतिरिक्त कर देय हो वहां उसका स्वामी या संचालक ऐसे यान के संबंध में इस प्रकार परिवर्तन करने के पश्चात् संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देय कर या अतिरिक्त कर की धनराशि के अन्तर का देनदार होगा ।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में कर के भुगतान का अभिलेखन और टोकन का दिया जाना

15–(1) कराधान अधिकारी मोटर यान के संबंध में दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में कर का भुगतान अभिलिखित करेगा और किसी परिवहन यान के मामले में विहित प्रपत्र में टोकन भी जारी करेगा ।

(क) कराधान अधिकारी इस निमित विहित प्रमाण-पत्र में जो उसके द्वारा जारी किया जायेगा, यथास्थिति, धारा 5 या धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का भुगतान अभिलिखित करेगा ।

16–कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर मोटर यान का ड्राइवर यान को रोकेगा और रोक कर रखेगा जिससे कि वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन कर सके और ऐसा करने के लिये ऐसा प्राधिकारी या अन्य अधिकारी यान में प्रवेश कर सकता है और उसमें यात्रा भी कर सकता है । यान को रोकने और प्रवेश करने की शक्ति

17–(1) प्रत्येक मंजिली गाड़ी का संचालक ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, कराधान अधिकारी को अपनी मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान करने के समय को विनियमित करने वाली एक सारणी के साथ एक तिमाही में किये गये एकल यात्राओं की संख्या और अपने कारबार से संबंधित ऐसे अन्य विवरण देगा जैसा कराधान अधिकारी समय-समय पर आदेश द्वारा अपेक्षा करे । समय-सारणी का दिया जाना

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समय मापनों या विवरण में किसी परिवर्तन की सूचना संचालक द्वारा कराधान अधिकारी को ऐसे परिवर्तन के प्रभावी होने के पन्द्रह दिन के भीतर दी जायगी ।

18–(1) धारा 12 के अधीन कराधान अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है ।

(2) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा ।

19–जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता हैं वह जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और द्वितीय या अनुवर्ती तत्सदृश अराध के लिये जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा : अपराधों का दण्ड

परन्तु कोई न्यायालय ऐसे कारणों के सिवाय जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे किसी ऐसे द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये पांच सौ रुपये से कम का जुर्माना आरोपित नहीं करेगा ।

20–(1) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूलीय होगा । कर की वसूली

(2) इस अधिनियम के अधीन देय कर, अतिरिक्त कर और शास्ति मोटर यान जिसमें उसके उप साधन भी हैं, पर जिसके संबंध में यह देय हो, प्रथम भार होगा ।

साक्षियों आदि को हाजिर होने को प्रवृत्त करने की शक्ति

21–अपील प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने वाले कराधान अधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में ऐसी सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी सिविल वाद की सुनवाई के समय निहित होती हैं :–

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर या अन्यथा उनकी परीक्षा करना और साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना या अनुरोध करना ;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज करने के लिये बाध्य करना; और

(ग) पूर्ववर्ती खण्डों में निर्दिष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके जारी किये गये आदेशों की अवज्ञा करने वाले दोषी व्यक्तियों को दण्डित करना ।

कर का भुगतान न करने की दशा में परिवहन यान को निरुद्ध करना

22–(1) जहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान किये बिना किसी परिवहन यान का उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, वहां ऐसा अधिकारी परिवहन यान को अभिग्रहीत और निरुद्ध कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी कार्यवाही कर सकता है या करा सकता है जिसे वह परिवहन यान की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये आवश्यक समझे और विशेष रूप से, वह ऐसे परिवहन यान के ड्राइवर से उसे निकटतम पुलिस थाने या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक पहुंचने की अपेक्षा कर सकता है :

परन्तु यान को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी ऐसे अभिग्रहण के अड़तालीस घंटे के भीतर संबंधित कराधान अधिकारी को ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट भेजेगा ।

(2) इस धारा के अधीन अभिग्रहीत या निरुद्ध किसी परिवहन यान को, कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य देयों जिनका भुगतान न करने के कारण यान इस प्रकार अभिग्रहीत या निरुद्ध किया गया था, का भुगतान न करने के कारण यान इस प्रकार अभिग्रहीत या निरुद्ध किया गया था, का भुगतान करने पर, कराधान अधिकारी द्वारा तुरन्त छोड़ दिया जायेगा ।

न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

23–इस अधिनियम के अध्यधीन राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अपने कृत्यों के संबंध में प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही या जारी किये गये किसी आदेश या निर्देश के बारे में किसी सिविल न्यायालय को कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

अपराधों का प्रशमन

24–(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिये उपबन्धित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की वसूली पर शमन किया जा सकेगा ।

(2) जब किसी अपराध का इस प्रकार शमन–

(एक) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, तब अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजन का उत्तरदायी नहीं होगा :

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, तब शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा और उस व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के लिये कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

अपराध का संज्ञान

25–कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान कराधान अधिकारी की ऐसे अपराध को बनाने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट पर के सिवाय नहीं करेगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

26–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात से ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का ऐसा सचिव, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिये–

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी हैं : और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

27–इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

28–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है, अर्थात्

(क) वह रीति जिसके अनुसार और प्रपत्र जिसमें और प्राधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन कर या अतिरिक्त कर के भुगतान के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, विहित करना;

(ख) किसी प्रमाण-पत्र, घोषणा, नोटिस, रसीद या टोकन का प्रपत्र और उसमें उल्लिखित किये जाने वाले विवरण और किसी मोटर यान पर टोकन प्रदर्शित करने की रीति, विहित करना;

(ग) वह रीति जिसके अनुसार फीस, जिसका भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन टोकन या प्रमाण-पत्र दिया या अन्तरित किया जा सकता है, विहित करना;

(घ) सामान्य रूप से ऐसे प्राधिकारियों को जिनके द्वारा और ऐसी रीति जिसके अनुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के संबंध में या उससे आनुषंगिक किसी कर्तव्य का पालन किया जा सके, विहित करना;

(ङ) कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के भुगतान और उसकी वसूली की रीति को विनियमित करना;

(च) वह रीति विनियमित करना जिसके अनुसार कर या अतिरिक्त कर से छूट और वापस की जाने वाली धनराशि का दावा किया जा सके और उसे स्वीकृत किया जा सके;

(छ) अपील के लिये फीस विहित करना और ऐसी रीति विनियमित करना जिसके अनुसार अपील संस्थित की जा सके और उसकी सुनवाई की जा सके;

(ज) इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों या जारी नोटिसों की तामीली की रीति विहित करना;

(झ) धारा 17 के अधीन समय सारणी और अन्य विवरण प्रस्तुत करने का समय और रीति विहित करना;

(ञ) वह रीति विहित करना जिसमें मार्गों को वर्गीकृत किया जाना है;

(ट) वह रीति विहित करना जिससे उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना सहायता निधि प्रशासित की जायगी और उसका उपयोग किया जायगा;

(ठ) कोई अन्य विषय जिसके लिये नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता है ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

29–(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिये, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये चाहे वे परिष्कार, परिवर्तन या लोप के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन प्रभावी होगा;

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं, लागू होंगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी न्यायालय में इस आधार पर विवादग्रस्त नहीं किया जायगा कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

निरसन और अपवाद

30-(1) संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम 1964 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन का कोई प्रभाव ऐसे निरसन के दिनांक के पूर्व उपगत किसी दायित्व पर और किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक को ऐसी अधिनियमितियों के अधीन लम्बित कार्यवाहियों पर नहीं पड़ेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् संस्थित उर्युक्त किसी ऐसे दायित्व से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जारी रहेंगी और उनका निस्तारण इस प्रकार किया जायगा मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो ।

प्रथम अनुसूची

(धारा-4 देखिये)

भाग "क"

परिवहन यानों से भिन्न यानों का वर्गीकरण जिसके संदर्भ में इस अनुसूची के भाग "ख" और "ग" और द्वितीय अनुसूची के भाग "क" और "ख" में दरें विहित की गयी हैं ।

<u>यानों का विवरण</u>

अनुच्छेद	
एक	मोटर साईकिल (जिसके अन्तर्गत स्कूटर और मोपेड भी है)
	(1) वजन में 80 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
	(2) वजन में 80 किलोग्राम से अधिक, किन्तु 500 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;
दो	(1) केवल व्यक्तियों और हल्का वैयक्तिक सामान ले जाने के लिये बनाये गये और उपयोग में लाये जाने वाले यान जो मोटर साईकिल न हों और जिसमें ड्राइवर को छोड़कर छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो ।
	(2) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाले यानों द्वारा खीचे जाने वाले ट्रेलर ।

तीन–ड्राइवर को छोड़कर छ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये बनाये गये उपयोग के लिये अपनाये गये 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले लदान, रहित यान जिसके अन्तर्गत मोटर साईकिलें भी हैं–

(1) (क) वजन में 2000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

(ख) वजन में 2000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

(ग) वजन में 3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 4000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

(घ) वजन में 4000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 5000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

(ङ) वजन में 5000 किलोग्राम से अधिक लदान रहित;

(2) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाले यानों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर ।

असाधारण भाग

भाग "ख"

धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन यानों पर एक बार देय कर की दरें

एक बार देय कर की दर रुपये में

क्रम-संख्या	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार मोटरयान	उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधार अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1987 में और दिनांक 1-1-88 को या उसके पश्चात् दि० 4-2-88 तक रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1986 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1985 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1984 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1983 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1982 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1981 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1980 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1979 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1978 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1977 में या उसके पूर्व रजिस्ट्रीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[illegible] (1)	500.00	396.00	297.00	198.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
2	[illegible] (2)	935.00	842.00	784.00	655.00	561.00	460.00	374.00	281.00	187.00	105.00	105.00	105.00
3	दो (1)	3300.00	3029.00	2759.00	2488.00	2218.00	1947.00	1676.00	1406.00	1135.00	865.00	394.00	323.00
4	दो (2)	605.00	557.00	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00
5	तीन (1) (क)	5808.00	5324.00	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00
6	तीन (1) (ख)	8228.00	7550.00	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00
7	तीन (1) (ग)	11374.00	10430.00	9486.00	8543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1934.00	992.00
8	तीन (1) (घ)	13310.00	12209.00	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	5401.00	3400.00	2299.00	1198.00
9	तीन (1) (ङ)	13310.00	12209.00	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	5401.00	3400.00	2299.00	1198.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये
		5324.00	4888.00	4453.00	4017.00	3582.00	3146.00	2710.00	2275.00	1839.00	1404.00	968.00	532.00
10	तीन (2)	1210.00	1113.00	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00	145.00

परन्तु यह कि निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल से चलने वाले समस्त मोटर यानों के संबंध में कर की दरें इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी, अर्थात्–

(क) एकल व्यक्ति ,

(ख) नगर पालिका परिषद्, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत,

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय,

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था,

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त-न्यास,

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिये मोटर यानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति :

परन्तु यह और कि डीजल से चलने वाले समस्त मोटर यानों के दर की दर इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी।

धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन एक बार कर की वापसी की दरें

वापस की जाने वाली धनराशि (रुपयों में) यदि यानों की आयु उसके मूल रजिस्ट्रीकरण के माह से

क्रम-सं०	प्रथम अनुसूची के खण्ड "क" के अनुच्छेद के अनुसार यान	एक वर्ष से अधिक न हो	एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से अधिक न हो	दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अधिक न हो	तीन वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से अधिक न हो	चार वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अधिक न हो	पांच वर्ष से अधिक किन्तु छः वर्ष से अधिक न हो	छः वर्ष से अधिक किन्तु सात वर्ष से अधिक न हो	सात वर्ष से अधिक किन्तु आठ वर्ष से अधिक न हो	आठ वर्ष से अधिक किन्तु नौ वर्ष से अधिक न हो	नौ वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो	दस वर्ष से अधिक किन्तु ग्यारह वर्ष से अधिक न हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	एक (1)	297.00	198.00	99.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	एक (2)	748.00	655.00	561.00	468.00	374.00	281.00	187.00	105.00	शून्य	शून्य	शून्य
3	दो (1)	2759.00	2488.00	2218.00	1947.00	1676.00	1406.00	1135.00	865.00	594.00	323.00	शून्य
4	दो (2)	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00	शून्य
5	तीन (1) (क)	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00	शून्य
6	तीन (1) (ख)	6873.00	6195.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00	शून्य
7	तीन (1) (ग)	9486.00	7543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1936.00	992.00	शून्य
8	तीन (1) (घ)	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00	शून्य
9	तीन (1) (ङ)	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00	शून्य

		और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये 4453.00	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये 4017.00	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये 3582.00	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये 3146.00	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये 2710.00	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये 2275.00	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये 1839.00	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये 1404.00	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये 968.00	और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 कि०ग्रा० या उसके भाग के लिये 532.00	शून्य
10	तीन (2)	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00	145.00	शून्य

परन्तु यह कि वापसी की दरें उन समस्त यानों के संबंध में जिनके संबंध में प्रथम अनुसूची के भाग "ख" के परन्तुक के अधीन दो गुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया हो, उपर्युक्त धनराशियों की दोगुनी होगी ।

विधान सभा

भाग "ग"

धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन (एक बार देय कर से भिन्न) कर की दरें

क्रम-संख्या	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार यान	कर की वार्षिक दर
1	2	3
		(रुपयों में)
1	एक (1)	60.00
2	एक (2)	90.00
3	दो (1)	300.00
4	दो (2)	55.00
5	तीन (1) (क)	528.00
6	तीन (1) (ख)	748.00
7	तीन (1) (ग)	1034.00
8	तीन (1) (घ)	1210.00
9	तीन (1) (ङ)	1210.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 484.00 रुपये
10	तीन (2)	110.00

परन्तु निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल से चलने वाले समस्त मोटर यानों के संबंध में कर की दरें इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होंगी, अर्थात् :–

(क) एकल व्यक्ति;

(ख) नगरपालिका परिषद्, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत;

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय;

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था;

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त विन्यास;

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिए मोटर यानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति :

परन्तु यह और कि डीजल से चलने वाले समस्त मोटर यानों के कर की दर इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी ।

भाग "घ"

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दरें

अनुच्छेद	यान का विवरण	कर की त्रैमासिक दरें
1	2	3
		(रुपयों में)
एक	यात्रियों के सवारी के लिए और यात्रियों के हल्के वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिए चलने वाले यान–	रुपया/पैसा
	(1) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर तीन से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो;	95.00
	(2) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो;	185.00
	(3) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो :	
	(क) तीन पहियों वाले	185.00
	(ख) अन्य	230.00
	(4) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक किन्तु बारह से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो :	
	(क) यदि "क-वर्ग" के मार्गों पर उपयोग के लिए आशयित हो	350.00
	(ख) यदि "ख-वर्ग" के मार्गों पर उपयोग के लिए आशयति हो	250.00
	(5) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर बारह से अधिक किन्तु बीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो :	
	(क) यदि "क-वर्ग" के मार्गों पर उपयोग के लिए आशयित हो :	
	(एक) प्रथम बारह सीटों के लिए	350.00
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए	30.00
	(ख) यदि "ख-वर्ग" के मार्गों पर उपयोग के लिए आशयति हो :	
	(एक) प्रथम बारह सीटों के लिए	250.00
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए	25.00
	(6) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर बीस से अधिक किन्तु पैंतीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो :	
	(क) यदि यदि "क-वर्ग" के मार्गों पर उपयोग के लिए आशयित हो :	
	(एक) प्रथम बारह सीटों के लिए	590.00
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए	35.00
	(ख) यदि "ख-वर्ग" के मार्गों पर उपयोग के लिए आशयति हो :	
	(एक) प्रथम बारह सीटों के लिए	450.00
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए	30.00

1	2	3
	(7) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर पैंतीस से अधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो :	
	(क) यदि यदि "क-वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिए आशयित हो;	1115.00 और पैंतीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिए 45.00 रुपया
	(ख) यदि यदि "ख-वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिए आशयित हो;	900.00 और पैंतीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिए 35.00 रुपया

स्पष्टीकरण :–इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो,. का पचास प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रूप में गिना जायेगा ।

(दो) सीमित संख्या में यात्रियों को सवारी के लिए और यात्रियों के वैयक्तिक माल के परिसीमित मात्रा का परिवहन करने के लिए भाड़े पर चलने वाले यान, यात्रियों के सीटों की प्राधिकृत संख्या के संबंध में अनुच्छेद एक के अधीन देय कर के अतिरिक्त यान के रजिस्ट्रीकृत लदान भार के प्रत्येक मिट्रिक टन या उसके भाग के लिए– 45.00

(तीन) केवल माल के परिवहन के लिए चलाये जाने वाले जिसके अन्तर्गत ट्रैक्टरों से संलग्न ऐसे ट्रेलर नहीं हैं जिनका उपयोग केवल कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है, के रजिस्ट्रीकृत लदान भार के प्रत्येक मिट्रिक टन या उनके भाग के लिए–

(एक) एक सम्भाग के लिए 70.00

(दो) एक से अधिक सम्भाग के लिए 85.00

(चार) ट्रैक्टर जिसके द्वारा ट्रेलर खींचा जाता है और जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाता है :–

उसके द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या ट्रेलरों के संबंध में भुगतान किये गये कर के अतिरिक्त कर । 45.00

स्पष्टीकरण :–(एक) जहां पर किसी मोटर यान का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए या ऐसी रीति से, किया जाता है जिससे कि वह इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेदों के अधीन कर योग्य हो जाय, वहां देय कर सबसे ऊंची समुचित दर पर होगी ।

(दो) जहां कोई मोटर यान स्लीपिंग बर्थ से सज्जित हो, वहां प्रत्येक स्लीपिंग बर्थ को इस भाग के अनुच्छेद एक और दो के प्रयोजनों के लिए दो यात्री सीट के बराबर समझा जायेगा ।

(तीन) किसी मोटर यान से संलग्न या उसके द्वारा खींचा जाने वाला प्रत्येक ट्रेलर जो इस भाग के अनुच्छेद दो तीन और चार में से किन्हीं के अधीन कर-योग्य हो, एक पृथक मोटर यान समझा जायेगा जिस पर उक्त अनुच्छेद में यथा विनिर्दिष्ट समुचित कर लगेगा ।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 12 देखिये)

भाग "क"

धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन एक बार कर की वापसी की दरें

क्रम-संख्या	प्रथम अनुसूची के भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार यान	मोटर यान के उपयोग न किये जाने के प्रत्येक मास के लिए वापस की जाने वाली धनराशि (रुपये में)
1	2	3
1	एक (1)	2.00
2	एक (2)	3.00
3	दो (1)	13.00
4	दो (2)	2.00
5	तीन (1) (क)	24.00
6	तीन (1) (ख)	34.00
7	तीन (1) (ग)	47.00
8	तीन (1) (घ)	55.00
9	तीन (1) (ङ)	55.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 22.00 रुपये
10	तीन (2)	5.00

परन्तु यह कि ऐसे समस्त मोटर यानों जिनके संबंध में प्रथम अनुसूची के भाग "ख" के परन्तुक के अधीन दो गुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया हो, के संबंध में वापसी की दरें उपर्युक्त विनिर्दिष्ट दरों की दो गुनी होंगी ।

तृतीय अनुसूची

(धारा 5 देखिये)

माल वाहनों पर अतिरिक्त कर की दरें

(क) पर्वतीय मार्गों और मैदानी मार्गों पर संचलित माल वाहनों पर अतिरिक्त कर की दरें

अनुच्छेद	संचालन	प्रति तिमाही अतिरिक्त कर की दर
एक	पर्वतीय मार्ग	यान के प्रति मीट्रिक टन रजिस्ट्रीकृत लदान भार या उसके भाग के लिए रुपये 210.00
दो	मैदानी मार्ग	
	(एक) एक सम्भाग के लिए	यान के प्रति मीट्रिक टन रजिस्ट्रीकृत लदान भार या उसके भाग के लिए रुपये 85.00
	(दो) एक से अधिक सम्भाग के लिए	यान के प्रति मीट्रिक टन रजिस्ट्रीकृत लदान भार या उसके भाग के लिए रुपये 110.00

स्पष्टीकरण :–(1) जहां कोई मोटर यान इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेद के अधीन कर योग्य हो, वहां अतिरिक्त कर सबसे ऊंची समुचित दर पर देय होगा ।

(2) पद "पर्वतीय मार्ग" का तात्पर्य उन समस्त सड़कों से है जो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल जिलों और देहरादून जिले की तहसील चकराता के भीतर पड़ते हैं और नैनीताल, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल जिले के वे भाग जो तराई (बेस आफ दी फुट हिल्स) के उत्तर में है और पूर्व में टनकपुर से सीधे काठगोदाम, राम नगर, कोटद्वार होते हुए पश्चिम में लक्ष्मण-झूला तक हैं और देहरादून नगर की नगरपालिका सीमा के बाहर की सभी सड़कें भी हैं जो मंसूरी की ओर जाती हैं ।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य द्वारा या किसी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन प्रदान की गयी राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहनों पर प्रत्येक वर्ष या उसके किसी भाग के लिए अतिरिक्त कर 5,000.00 रुपये होगा ।

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 6 देखिये)

मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें

एक–मैदानी क्षेत्रों में मेरठ और झांसी सम्भाग को छोड़कर संचालित यानों के संबंध में, ओमनी बस के अलावा जब वह ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग की जाय--

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें :-

क्र०-सं०	एक तिमाही में तय की गयी दूरी (किलोमीटर में)	तिमाही कर की धनराशि	
		क-वर्ग के मार्गों पर	ख-वर्ग के मार्गों पर
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
1	4500 तक	155.00	173.00
2	4500 से अधिक किन्तु 5700 से अनधिक	196.00	219.00
3	5700 से अधिक किन्तु 7200 से अनधिक	248.00	276.00
4	7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक	310.00	346.00
5	9000 से अधिक किन्तु 11700 से अनधिक	402.00	449.00
6	11700 से अधिक किन्तु 14400 से अनधिक	495.00	553.00
7	14400 से अधिक किन्तु 18000 से अनधिक	619.00	691.00
8	18000 से अधिक	619.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 155.00	691.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 173.00

परन्तु यह कि नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर संचालित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर 4,200 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के संबंध में जिसमें 35 सीट से अधिक सीट नहीं है और 6,000 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के संबंध में जिसमें 35 से अधिक सीटें हैं, होगा ।

(ख) विशेष अवसरों पर जैसे मेलों और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने और बरात, पर्यटक पार्टियों या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों की सवारी के लिए, जारी

किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें–

(एक) ऐसे यानों के लिए जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान न हो । — उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए अस्थाई परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद एक के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त 135.00 रुपया प्रतिदिन ।

(दो) ऐसे यानों के लिए जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान हो : — उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए अस्थाई परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद एक के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त 225.00 रुपया प्रतिदिन ।

परन्तु यह कि एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स और वातानुकूलित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें निम्नलिखित होंगी :–

(एक) एक्सप्रेस — अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से पांच प्रतिशत अधिक ।

(दो) सेमी डीलक्स — अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से आठ प्रतिशत अधिक ।

(तीन) डीलक्स — अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से बीस प्रतिशत अधिक ।

(चार) वातानुकूलित — अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से पचास प्रतिशत अधिक ।

दो–पर्वतीय क्षेत्र में संचालित, यानों के संबंध में ओमनी बस के अलावा जब वह ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग की जाय :–

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें :-

क्र० सं०	एक तिमाही में तय की गयी दूरी (किलोमीटर में)	तिमाही कर की धनराशि
1	2	3
		रुपये
1	4500 तक	155.00
2	4500 से अधिक किन्तु 5700 से अनधिक	197.00
3	5700 से अधिक किन्तु 7200 से अनधिक	248.00
4	7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक	311.00
5	9000 से अधिक किन्तु 11700 से अनधिक	404.00
6	11700 से अधिक किन्तु 14400 से अनधिक	497.00
7	14400 से अधिक किन्तु 18000 से अनधिक	621.00
8	18000 से अधिक	621.00 और प्रत्येक 4500 कि० मी० या उसके भाग के लिए 155.00 रुपया

परन्तु यह कि नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर संचालित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर 4200.00 रुपया प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के संबंध में जिसमें 35 सीट से अधिक सीट नहीं है और 6,000 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के संबंध में जिसमें 35 सीट से अधिक सीट हैं, होगा ।

(ख) विशेष अवसरों पर जैसे मेलों और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से ले आने और बारात, पर्यटक या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों की सवारी के लिये जारी किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें :–

(एक) ऐसे यानों के लिए जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान न हो ।	उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए अस्थाई परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद दो के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त 135.00 रुपया प्रतिदिन ।
(दो) ऐसे यानों के लिए जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान हो :	उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए अस्थाई परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद दो के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त 225.00 रुपया प्रतिदिन ।

परन्तु यह कि एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स और वातानुकूलित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें निम्नलिखित होंगी :–

(एक) एक्सप्रेस	अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से पांच प्रतिशत अधिक ।
(दो) सेमी डीलक्स	अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से आठ प्रतिशत अधिक ।
(तीन) डीलक्स	अनुच्छेद दो के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से बीस प्रतिशत अधिक ।
(चार) वातानुकूलित	अनुच्छेद दो के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से पचास प्रतिशत अधिक ।

तीन–मेरठ सम्भाग में संचालित, यानों के संबंध में ओमनी बस के अलावा जब वह ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग की जाय :–

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें :-

क्र० सं०	एक तिमाही में तय की गयी दूरी (किलोमीटर में)	तिमाही कर की धनराशि	
		क-वर्ग के मार्ग पर	ख-वर्ग के मार्ग पर
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
1	4500 तक	174.00	194.00
2	4500 से अधिक किन्तु 5700 से अनधिक	221.00	246.00
3	5700 से अधिक किन्तु 7200 से अनधिक	279.00	311.00
4	7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक	348.00	389.00

1	2	3	4
5	9000 से अधिक किन्तु 11700 से अनधिक	453.00	505.00
6	11700 से अधिक किन्तु 14400 से अनधिक	557.00	622.00
7	14400 से अधिक किन्तु 18000 से अनधिक	697.00	778.00
8	18000 से अधिक	697.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए 174.00	778.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए 194.00 रुपया

परन्तु यह कि नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर संचालित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर 4,200.00 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के संबंध में जिसमें 35 सीट से अधिक सीट नहीं है और 6,000 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के संबंध में जिसमें 35 से अधिक सीटें हैं, होगा ।

(ख) विशेष अवसरों पर जैसे मेलों और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने और बारात, पर्यटक पार्टियों या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों की सवारी के लिए, जारी किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें–

(एक) ऐसे यानों के लिए जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान न हो ।	उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए अस्थाई परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद एक के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त 135.00 रुपया प्रतिदिन ।
(दो) ऐसे यानों के लिए जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान हो ।	उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए अस्थाई परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद तीन के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त 225.00 रुपया प्रतिदिन ।

परन्तु एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स और वातानुकूलित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें निम्नलिखित होंगी :–

(एक) एक्सप्रेस	अनुच्छेद एक के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से पांच प्रतिशत अधिक ।
(दो) सेमी डीलक्स	अनुच्छेद तीन के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से आठ प्रतिशत अधिक ।
(तीन) डीलक्स	अनुच्छेद तीन के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से बीस प्रतिशत अधिक ।

(चार) वातानुकूलित अनुच्छेद तीन के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से पचास प्रतिशत अधिक ।

चार–झांसी सम्भाग में संचालित, यानों के संबंध में ओमनी बस के अलावा जब वह ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग की जाय :–

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें :-

क्र० सं०	एक तिमाही में तय की गयी दूरी (किलोमीटर में)	तिमाही कर की धनराशि	
		"क" वर्ग के मार्ग	"ख" वर्ग के मार्ग
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
1	4500 तक	116.00	130.00
2	4500 से अधिक किन्तु 5700 से अनधिक	147.00	164.00
3	5700 से अधिक किन्तु 7200 से अनधिक	186.00	207.00
4	7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक	232.00	259.00
5	9000 से अधिक किन्तु 11700 से अनधिक	302.00	337.00
6	11700 से अधिक किन्तु 14400 से अनधिक	372.00	415.00
7	14400 से अधिक किन्तु 18000 से अनधिक	464.00	518.00
8	18000 से अधिक	464.00	518.00
		और प्रत्येक 464.00 कि०मी०या उसके भाग के लिए 116.00 रुपये	और प्रत्येक 518.00 कि०मी० या उसके भाग के लिए 130.00 रु०

परन्तु यह कि नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर संचालित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर 4,200.00 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के संबंध में जिसमें 35 सीट से अधिक सीट नहीं हैं और 6,000.00 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के संबंध में जिसमें 35 से अधिक सीट हैं, होगा ।

(ख) विशेष अवसरों पर जैसे मेलों और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने और बारात, पर्यटक पार्टियों या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों की सवारी के लिए, जारी किये गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें–

गये अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें–

(एक) ऐसे यानों के लिए जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान न हो ।	उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए अस्थाई परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद चार के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त 135.00 रुपया प्रतिदिन ।
(दो) ऐसे यानों के लिए जिनमें ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान हो :	उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए अस्थाई परमिट जारी की जाय, अनुच्छेद चार के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त 225.00 रुपया प्रतिदिन ।

परन्तु एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स और वातानुकूलित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें निम्नलिखित होंगी :–

(एक) एक्सप्रेस	अनुच्छेद चार के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से पांच प्रतिशत अधिक ।
(दो) सेमी डीलक्स	अनुच्छेद चार के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से आठ प्रतिशत अधिक ।
(तीन) डीलक्स	अनुच्छेद चार के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से बीस प्रतिशत अधिक ।
(चार) वातानुकूलित	अनुच्छेद चार के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन देय दरों से पचास प्रतिशत अधिक ।

पांच–ठेका गाड़ी के संबंध में––

(क) उत्तर प्रदेश के भीतर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 74 या धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी की गयी परमिट के अन्तर्गत :–

	तिमाही कर की दरें (रुपयों में)
(एक) मोटर टैक्सी	1927.00
(दो) बड़ी टैक्सी	8300.00
(तीन) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 12 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 20 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली गाड़ियों के लिए ।	13709.00
(चार) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 41 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली गाड़ियों के लिए ।	20563.00
(पांच) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर	24646.00

42 व्यक्तियों या उससे अधिक
के बैठने वाले यानों के लिए ।

(छः) डीलक्स बस के लिए	29786.00
(सात) वातानुकूलित बस के लिये	34499.00

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों द्वारा मोटर वेहिकिल्स (आल इंडिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1993 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी किये गये परमिट के अन्तर्गत :—

	तिमाही कर की धनराशि (रुपयों में)
(एक) मोटर टैक्सी	300.00
(दो) बड़ी टैक्सी	3000.00
(तीन) ओमनी बस	12000.00

स्पष्टीकरण--(1) इस अनुसूची के अधीन किसी मंजिली गाड़ी पर देय कुल तिमाही कर उपर्युक्त अनुच्छेद एक, दो तीन और चार के दिये गये दरों की उतनी गुनी होगी जितनी मोटर यान अधिनियम, 1988 के सुसंगत उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीटों की अधिकतम संख्या है । इस प्रयोजन के लिये किसी मंजिली गाड़ी में खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो, के पचास प्रतिशत स्थान को अतिरिक्त बैठने की क्षमता माना जायेगा और किसी सीट के भाग की गणना एक सीट के रूप में की जायेगी ।

(2) इस अनुसूची के अनुच्छेद एक, दो, तीन और चार में से प्रत्येक के उपखण्ड (क) के अधीन किसी मंजिली गाड़ी को एक तिमाही में तय की गयी दूरी उतनी होगी जितनी एक तरफ के फेरों की ऐसी संख्या को जैसी परमिट की शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाय ऐसे एक फेरे में अन्तर्ग्रस्त कुल किलोमीटर से गुणा करने पर प्राप्त हो ।

(3) ऐसे समय तक जब तक कि यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकारी या सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा सारणी समय मापनों और फेरों का निर्धारण नहीं कर दिया जाता है कोई संचालक इस अधिनियम के प्रवर्तन के पूर्व यान द्वारा संचालित फेरों के आधार पर प्राप्त तिमाही तय की गई दूरी पर अतिरिक्त कर का भुगतान करेगा ।

(4) एक्सप्रेस मंजिली गाड़ी का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाड़ी से है जो :—

(क) ऐसे मार्ग पर संचालित हो उसकी लम्बाई सिवाय लखनऊ–कानपुर मार्ग के 200 किलोमीटर से कम न हो और जो केवल जिला और तहसील मुख्यालय पर रुकती हो :—

(ख) निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो :–

(एक) प्रत्येक यात्री सीट–

(1) प्रत्येक सीट सामने की ओर सीधी रेखा के साथ-साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40 × 38.5 सेन्टीमीटर माप की होनी चाहिए ;

(2) की कुशन 9 सेन्टीमीटर मोटी होनी चाहिए ;

(3) 2.5 सेन्टीमीटर मोटे कुशन की 56 सेन्टीमीटर ऊंची बैक रेस्ट वाली जिसमें

$\frac{40}{15.24}$ x 23 सेन्टीमीटर सिरहान होना चाहिए और जिस पर टेरीकाट रेक्सीन के कवर हों ।

(दो) बैठने की व्यवस्था–सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक और तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 66.2 सेन्टीमीटर दूरी के साथ - साथ पैर रखने के लिए 28 सेन्टीमीटर स्थान की व्यवस्था हो ।

(तीन) खिड़कियां– केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 113 सेन्टीमीटर चौड़ी जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों ।

(चार) ड्राइवर केबिन–ड्राइवर का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए ।

(पांच) श्रवण प्रणाली और आन्तरिक प्रतिदीप्ति शील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए ।

(5) "सेमी डीलक्स मंजिली गाड़ी" का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाड़ी से है जो निम्नलिखित विशिष्टियों के अनुरूप हो :—

(एक) प्रत्येक यात्री सीट :—

(1) प्रत्येक सीट सामने की ओर सीधी रेखा के साथ-साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40 × 40 सेन्टीमीटर माप की होनी चाहिए ;

(2) की कुशन 9 सेन्टीमीटर मोटी होनी चाहिए ;

(3) 5 सेन्टीमीटर मोटे फोम के कुशन की रेक्सीन कवर के साथ 61 सेन्टीमीटर ऊंची बैक रेस्ट वाली जिसमें $\frac{40}{17.78}$ सेन्टीमीटर × 26.67 सेन्टीमीटर सिरहाने होनी चाहिए।

(दो) बैठने की व्यवस्था–सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें और दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेन्टीमीटर दूरी के साथ-साथ पैर रखने के लिये 30 सेन्टीमीटर स्थान की व्यवस्था हो ।

(तीन) खिड़कियां–केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गयी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 142.5 सेन्टीमीटर चौड़ी जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों ;

(चार) ड्राइवर केबिन–ड्राइवर का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए ; और

(पांच) श्रवण प्रणाली और आन्तरिक प्रतिदीप्ति शील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए ।

(6) "डीलक्स मंजिली गाड़ी" या "डीलक्स बस" का तात्पर्य जो निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो :—

(एक) प्रत्येक यात्री सीट :—

(1) प्रत्येक सीट सामने की ओर सीधी रेखा के साथ-साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 45.8 × 45.8 सेन्टीमीटर माप की होनी चाहिए ;

(2) की कुशन 10 सेन्टीमीटर मोटी होनी चाहिए ;

(3) 5 सेन्टीमीटर मोटे कुशन फोम रेक्सीन या टैपेस्ट्री कवर के साथ 71.2 सेन्टीमीटर ऊंची बैक रेस्ट वाली जिसमें $\frac{40}{17.78} \times 26.67$ सेन्टीमीटर सिरहाना होना चाहिए ।

(दो) बैठने की व्यवस्था–सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेन्टीमीटर दूरी के साथ-साथ पैर रखने के लिये 38 सेन्टीमीटर स्थान की व्यवस्था हो ।

(तीन) खिड़कियां–भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिये गये मानकों के अनुरूप 142.5 सेन्टीमीटर चौड़ी जिसमें फिल्मयुक्त सुरक्षा शीशे लगे हों ।

(चार) ड्राइवर केबिन–ड्राइवर का केबिन पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, और

(पांच) वीडियो प्रणाली और आन्तरिक प्रतिदीप्ति शील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए ।

(7) इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिये ड्राइवर और कन्डक्टर की सीट को सीट में सम्मिलित नहीं किया जायगा ।

(8) जहां कोई मोटर यान इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेदों के अधीन कर योग्य हो वहां देय अतिरिक्त कर सबसे ऊंची समुचित दर पर होगा ।

(9) पर्वतीय क्षेत्र का तात्पर्य निम्नलिखित से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे :—

(क) पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल के जिले ;

(ख) जिला देहरादून की तहसील चकराता ;

(ग) नैनीताल, उधमसिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल जिले के वे भाग जो तराई (बेस आफ द फुट हिल्स) के उत्तर में हैं और पूर्व में टनकपुर से सीधे काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार होते हुए पश्चिम में लक्ष्मण झूला तक है ; और

(घ) देहरादून की नगर पालिका सीमा के बाहर मंसूरी की ओर पड़ने वाला क्षेत्र ।

(10) "झांसी सम्भाग" का तात्पर्य ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा जिलों से है।

(11) "मेरठ सम्भाग" का तात्पर्य मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बुलन्दशहर जिलों से है ।

(12) इस अनुसूची में, "नगर निगम" और "नगर पालिका" का क्रमशः वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिया गया है ।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 6 देखिये)

धारा 6 के अधीन उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा देय अतिरिक्त कर का फार्मूला

$$\frac{\text{छ} \times 21}{121}$$

इस अनुसूची में "छ" का तात्पर्य किसी कलेन्डर मास के दौरान यात्री यातायात पर उपक्रम की सकल प्राप्तियों से है ।

छठीं अनुसूची

(धारा 10 देखिये)

उत्तर प्रदेश में अंशतः पड़ने वाले किसी अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिये ऐसे प्राधिकरणों द्वारा जिनकी उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकारिता हो, स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र के अधीन चलने वाले माल और वाहन, सार्वजनिक सेवा यान द्वारा धारा 10 के अधीन देय अतिरिक्त कर की दरें :—

एक—माल वाहन		अस्थाई परमिट के अधीन उत्तर प्रदेश में माल वाहन के संचालन के दिनों की संख्या के लिये प्रतिदिन 22.00 रुपये ।
दो—सवारी ढोने वाले		
(क) साधारण बस	375.00 रुपये प्रतिदिन	अस्थाई परमिट के अधीन उत्तर प्रदेश में साधारण एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स या वातानुकूलित बस के संचालन के दिनों की संख्या के लिये
(ख) एक्सप्रेस बस	410.00 रुपये प्रतिदिन	
(ग) सेमी डीलक्स बस	450.00 रुपये प्रतिदिन	
(घ) डीलक्स बस	525.00 रुपये प्रतिदिन	
(ङ) वातानुकूलित बस	600.00 रुपये प्रतिदिन	

स्पष्टीकरण :—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए "डीलक्स बस" का वही तात्पर्य होगा जो चौथी अनुसूची के स्पष्टीकरण (6) में इसके लिये दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 30 तक, खण्ड 1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान विधेयक, 1997 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1997

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–9 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1997

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों का वर्ष 1997 में आयोजित स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में यथोचित प्रतिनिधित्व की, और उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों की, व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

चूंकि डाक्टर आफ मेडिसिन, मास्टर आफ सर्जरी, मास्टर आफ डेण्टल सर्जरी और विभिन्न स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किये जाने के लिए पाठ्यक्रमों में, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ और अन्य राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रवेश स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है;

और चूंकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है;

और चूंकि शासनादेश संख्या 5744/सेक–14–पांच–30/90, दिनांक 11 अक्टूबर, 1994 द्वारा अंकों का न्यूनतम प्रतिशत सामान्य अभ्यर्थियों के लिए पैंतालिस प्रतिशत और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए पैंतीस प्रतिशत नियत किया गया था;

और चूंकि मध्य प्रदेश राज्य बनाम कुमारी निवेदिता जैन के मामले में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विचारोपरान्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रवेश के लिए न्यूनतम अंकों को प्राप्त करने की आवश्यकता को शासनोश संख्या 4130/सेक–14/पांच–95–140/90, दिनांक 31 अगस्त, 1995 द्वारा वापस ले लिया गया था;

और चूंकि माननीय उच्चतम् न्यायालय ने साधना देवी तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य के मामले में उक्त शासनादेश दिनांक 31 अगस्त, 1995 को अभिखण्डित कर दिया है;

और चूंकि शासनादेश संख्या 634/पांच–14-97-140/90, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत सामान्य अभ्यर्थियों के लिए पैंतालिस प्रतिशत और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए पैंतीस प्रतिशत नियत किया गया है;

और चूंकि शासनादेश दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के अनुसार वर्ष 1997 में आयोजित स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के आधार अंकों के न्यूनतम प्रतिशत को पैंतीस प्रतिशत पर रख कर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश देने पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का कोटा नहीं भरा जा सकता जो आरक्षण नीति के अनुरूप नहीं होगा ।

और चूंकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए अंकों के न्यूनतम प्रतिशत को नियत करने का प्रश्न विचाराधीन था अतः स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1997 से सम्बन्धित प्रवेश की प्रक्रिया यथा काउन्सिलिंग प्रारम्भ नहीं हो सकी;

और चूंकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए यह समीचीन समझा गया कि उक्त श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए वर्ष 1997 में आयोजित स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए अंकों के न्यूनतम प्रतिशत को बीस प्रतिशत पर रखा जाय;

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा ।

2– धारा 2, 3, 4, 5, 6, और 7, दिनांक 1 अक्टूबर, 1996 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 8 दिनांक 15 जून, 1997 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में,–

(क) "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा" का तात्पर्य किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ या किसी अन्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के डाक्टर आफ मेडिसिन (एम० डी०), मास्टर आफ सर्जरी (एम० एस०), मास्टर आफ डेण्टल सर्जरी (एम० डी० एस०) और विभिन्न स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किये जाने के लिये ऐसे पाठ्यक्रमों से है जिनमें स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता हो किन्तु इसमें अति विशिष्टता पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं है;

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण

3–(1) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में, प्रवेश के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों ; अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में स्थानों का निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायगा :–

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में– इक्कीस प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जन-जातियों के मामले में– दो प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में– सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसकी गणना उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्तियों के प्रति नहीं की जायेगी ।

4–कोई अभ्यर्थी जिसने स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1997 में सामान्य अभ्यर्थी की दशा में पैंतालीस प्रतिशत और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थी की दशा में बीस प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किया हो, उक्त परीक्षा के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होगा ।

शासनादेश का संशोधन

5–शासनादेश संख्या 5744–सेक–14/पांच–30/90, दिनांक 11 अक्टूबर, 1994 और संख्या 634/पांच–14–97-140/96, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 उस सीमा तक संशोधित हो जायेंगे कि स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1997 के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत अनुसूचित ज़ाति, अनुसूचित जन-जाति और नागरिक के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए बीस प्रतिशत होगा ।

अभिभावी प्रभाव

6–किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में या राज्य सरकार के किसी आदेश में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे और धारा 4 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अंक स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1997 के आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक समझे जायेंगे और न्यूनतम अंक रहे हुए समझें जायेंगे मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

अपवाद

7–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों का यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 1997 में प्रवेश की प्रक्रिया को स्थापित करने में कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य और विधिसंगत समझी जायेगी ।

कठिनाइयों को दूर करना

8–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1997

निरसन और अपवाद

9–(1) उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 9 तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मा० सदस्य पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए चले गये।)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारनीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपना संशोधन का प्रस्ताव रखें ।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1, अनुसूची प्रस्तावना और शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में, अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की अनुसूची 1–बी में नया अनुच्छेद 38–क का बढ़ाया जाना

2–भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-बी में अनुच्छेद 38 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"38–(क) आयुध या गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति, अर्थात् आयुध अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 54, सन् 1959) के उपबन्धों के अधीन आयुध या गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति का नवीकरण को साक्ष्यित करने वाला दस्तावेज–

(क) निम्नलिखित आयुधों से संबंधित अनुज्ञप्ति :–

(i) रिवाल्वर या पिस्टल	दो हजार रुपये
(ii) राईफल	एक हजार पांच सौ रुपये
(iii) स्टेन०बी०एल० (आयुध)	एक हजार रुपये
(iv) एस०एल०बी०एल० (आयुध)	एक हजार रुपये
(v) एम०एल० (आयुध)	दो सौ रुपये

(ख) आयुध नियम, 1962 की तृतीय अनुसूची में दिये गये निम्नलिखित प्रपत्रों पर आयुध या गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति :–

(i) प्रारूप XI	दस हजार रुपये
(ii) प्रारूप XII	दस हजार रुपये
(iii) प्रारूप XIII	पांच हजार रुपये
(iv) प्रारूप XIV	तीन हजार रुपये

(ग) निम्नलिखित आयुधों से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण :–

(i) रिवाल्वर या पिस्टल	एक हजार रुपये
(ii) राईफल	सात सौ पचास रुपये
(iii) डी०बी०बी०एल० (आयुध)	पांच सौ रुपये
(iv) एस०बी०बी०एल० (आयुध)	पांच सौ रुपये
(v) एम०एल० (आयुध)	एक सौ रुपये

(घ) आयुध नियम, 1962, की तृतीय अनुसूची में दिये गये निम्नलिखित प्रपत्रों पर आयुध या गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति का नवीकरण :–

(i) प्रारूप XI	तीन हजार रुपये
(ii) प्रारूप XII	तीन हजार रुपये
(iii) प्रारूप XIII	दो हजार रुपये
(iv) प्रारूप XIV	एक हजार रुपये''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड 1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है । गांधी के हत्यारों की यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, आदि नारे लगाये जाते रहे)

(घोर व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–5, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (8) में शब्द "गोरखपुर" के पश्चात् शब्द "जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर कहा जायेगा" बद्धा दिये जायेंगे ।

धारा 4 का संशोधन

नई धारा 72–छ का बढ़ाया जाना

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1–क) में, खण्ड (ग) में शब्द "बरेली में रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय" के पश्चात् शब्द "जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से महात्मा ज्योतिबा फुले, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली कहा जायेगा" बद्धा दिये जायेंगे ।

नई धारा 72–छ का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 72–च के पश्चात् निम्नलिखित धारा बद्धा दी जायेगी, अर्थात् :–

गोरखपुर विश्वविद्यालय और रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नामों में परिवर्तन पर संक्रमणकालीन व्यवस्था

"72-छ–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से इस अधिनियम, या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में गोरखपुर विश्वविद्यालय और रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को क्रमशः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।"

अनुसूची का संशोधन

5–मूल अधिनियम की अनुसूची में, स्तम्भ 2 में,–

(क) क्रम संख्या 4 के सामने शब्द "गोरखपुर विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर" रख दिये जायेंगे :

(ख) क्रम संख्या 11 के सामने शब्द "रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली" रख दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड 5, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–2–आवास विभाग

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 02–आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,17,53,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं । इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 02–आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,17,53,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,76,33,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं । इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,76,33,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं । इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 09–ऊर्जा विभाग

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,37,69,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं । इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,37,69,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने

वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,70,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(किसी माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,70,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 03–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 03–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,74,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(किसी माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 03–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,74,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,00,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 600,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 05–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 05–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,20,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 05–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,20,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23.60.71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,60,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,28,88,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,28,88,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 08–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 08–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,67,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न प्रस्तुत करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 08–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,67,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग

(घोर व्यवधान के मध्य)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,01,92,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,01,92,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,59,51000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,59,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,17,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,17,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,07,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69–विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,07,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,54,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,54,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,56,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,56,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पर्सनल लेजर एकाउन्ट के संचालन पर रोक तथा भारत सरकार के सहयोग से संचालित बेसिक मिनिमम सर्विसेज का लाभ नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी दिए जाने से संबंधित नियम–103 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चाओं का स्थगन

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 38 व 39 कल के लिये स्थगित की जाती है ।

(सदन के वेल में आये माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कहते रहे और कुछ सदस्य रिपोर्ट्स टेबुल पर चढ़कर जोर-जोर से बोलते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

आज के इस व्यवधान के बारे में न कोई समाचार प्रेस में प्रकाशित होगा और न किसी माननीय सदस्य का नाम अथवा नारे या भाषण ही छपेगा, यह मेरा निदेश है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11-8-97 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई । इसमें डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की प्रदेश में टेन्ट एवं डेकोरेटर व्यवसायियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । दूसरी सूचना श्री बालचन्द्र मिश्र की कानपुर नगर में नकली पुस्तकों की छानबीन को आधार बनाकर शिक्षा विभाग एवं प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा गोविन्द नगर क्षेत्र में पुस्तक विक्रेताओं के यहां छापा मारे जाने से

उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री गौरी शंकर एडवोकेट की राज्य सरकार के कर्मचारियों को सस्ते गल्ले की दुकानों से पूर्व की भांति चीनी एवं खाद्यान्नों को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, श्री बाबूलाल की जनपद आगरा में लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कथित रूप से वर्ष 1995-96 में निःशुल्क बोरिंग योजना में किये गये घोटालों के संबंध में, डा० रामबाबू हरित की आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से विकास शुल्क, जलकर व मलकर वसूली तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करने के संबंध में, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया की प्रदेश में विशेषकर लखनऊ एवं मेरठ में सिविल पुलिस में आरक्षी एवं कारागार, विभाग में बन्दी रक्षक पदों पर की गई नियुक्तियों में कथित रूप से हुई अनियमितताओं के संबंध में, श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद वाराणसी में ग्राम पंचायत देईपुर, मौजा अदमापुर, विकास खण्ड–सेवापुरी में निराश्रित विधवा एवं पेंशन प्राप्त कर्ताओं के धन की हेराफेरी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, डा० रमेश पोखरियाल निशंक की प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामों में कथित रूप से विद्युत विभाग की लापरवाही से नागरिकों को हो रही घोर असुविधाओं के संबंध में, श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी" की पौड़ी एवं टिहरी जनपदों को जोड़ने हेतु देव प्रयाग में गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में, श्री संजय गर्ग की सहारनपुर नगर में समुचित पेयजल आपूर्ति एवं सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री शिवशंकर सिंह की बांदा जिले के थाना नरैनी तथा बबेरू के थानाध्यक्षों द्वारा कथित रूप से की जा रही मनमानी के संबंध में, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ नगर में समुचित जलापूर्ति हेतु गोमती नगर एवं आलमबाग क्षेत्रों में तृतीय एवं चतुर्थ जलकरों का निर्माण कराये जाने के संबंध में, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद देवरिया में लगातार विद्युत कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री रघुवर दयाल वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के डी० ए० वी० इन्टर कालेज के पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा कथित रूप से अनुसूचित वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति की धनराशि में किये गये घपले के संबंध में, श्री अजय भट्ट की अल्मोड़ा जिले की भिकियासैंण तहसील के अन्तर्गत स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्तस्थली को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में, श्री अमरमणि त्रिपाठी की महाराजगंज जिले के कतिपय ब्लाकों के विद्युतीकरण में कथित रूप से की गई अनियमितताओं के संबंध में, श्री विक्रमाजीत मौर्य की प्रदेश में विशेषकर जनपद इलाहाबाद में सूखा राहत विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के संबंध में, श्री अजय पाल सिंह की प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तरीय योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों हेतु सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में, श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा में गोवर्धन ड्रेन की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण हेतु अवमुक्त धन का संबंधित अधिकारी द्वारा दुरुपयोग किये जाने के संबंध में सूचनाओं का ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है । श्री दल बहादुर कोरी, श्री चन्द्र किशोर तथा श्री ओम प्रकाश की सूचनायें अस्वीकृत की गई ।

प्रदेश में लाटरी व्यवसाय पर तत्काल रोक लगाए जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 में दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

राज्य लाटरी निदेशालय की स्थापना...

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बी० आर० वर्मा–

[वर्ष 1968 में हुई थी । उ० प्र० राज्य लाटरी वर्ष 1969 से प्रारम्भ की गयी थी और जुलाई, 1995 तक चलती रही । जुलाई, 1995 से प्रदेश सरकार ने अपनी लाटरियों को बन्द कर दिया ।

निजी लाटरियों को उ० प्र० में प्रतिबन्धित करने के लिए उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अध्यादेश, 1995 जारी किया गया जिसे बाद में अधिनियम में माह अगस्त, 1995 में परिवर्तित कर दिया गया । इस समय प्रदेश में उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अधिनियम, 1995 लागू है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश में सभी प्रकार की निजी लाटरियां प्रतिबन्धित कर दी गयी। तत्पश्चात् समस्त जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को उक्त अधिनियम में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त अधिनियम को कड़ाई से लागू किये जाने के लिए समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों/पुलिस अधीक्षकों को शासन की ओर से पुनः निर्देशित किया जा रहा है।

जहां तक अन्य राज्य आयोजित लाटरियों का संबंध है, इस संबंध में स्पष्ट करना है कि जिन राज्य आयोजित लाटरियों के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि वे मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश हरियाणा राज्य बनाम सुमन इण्टरप्राइजेज (1994) द्वारा निर्धारित सभी शर्तों की पूर्ति करती है और उन्हें राज्य लाटरियों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, उनके संचालन पर प्रतिबन्ध नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लाटरियों संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–1 की प्रविष्टि 40 के अन्तर्गत आती हैं इसलिए इनके बारे में कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। जहां तक निजी लाटरी का प्रश्न है, शासनादेश दिनांक 12-4-97 के द्वारा निदेशक, लाटरी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए यह निर्देश दिये गये हैं कि उक्त अधिनियम 1995 को कड़ाई से लागू करना सुनिश्चित करें।]

जनपद गढ़वाल के कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरसात से मोटर मार्ग के अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–42 स्थगित की जाती है।

सहकारी चीनी मिल औराई जनपद भदोही के शेयर होल्डर किसानों को विगत 25 वर्षों से कोई लाभांश न दिए जाने व घोटालों के कारण किसानों के आन्दोलित हो जाने विषयक श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

सहकारी चीनी मिल औराई जनपद भदोही ...

सदन की सहमति से (संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बी० आर० वर्मा–

[की स्थापना वर्ष 1971-72 में की गई थी तथा इसकी पेराई क्षमता 1250 टन प्रतिदिन है। इस चीनी मिल को प्रारम्भ से ही वांछित मात्रा में गन्ना उपलब्ध न होने के कारण निरन्तर हानि होती रही है जिसके कारण इसकी वित्तीय स्थिति अत्यन्त दुर्बल हो गयी है तथा प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करनी होती है। 31-3-96 तक अंकेक्षित लेखों के अनुसार इस चीनी मिल को रु० 2894.97 लाख की शुद्ध हानि हो चुकी है। वर्ष 1996-97 में रु० 607.06 लाख की शुद्ध हानि होने का अनुमान है। 31-3-97 तक इस चीनी मिल पर राज्य सरकार एवं शक्कर विशेष निधि का कुल रु० 1195.49 लाख बकाया हो गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

(धनराशि लाख रु० में)

विवरण	मूलधन	ब्याज	योग
1–राज्य सरकार	372.52	195.02	567.54
2–शक्कर विशेष निधि	315.43	312.52	627.95
योग	687.95	507.54	1195.49

चीनी मिल को लाभ न होने के कारण ही अंशधारकों को लाभांश वितरित नहीं किया गया है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि चीनी मिल को प्रारम्भ से ही वांछित मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं हुआ है, जबकि चीनी मिल की पेराई क्षमता 1250 टन प्रतिदिन है, अतः 2500 टन प्रतिदिन तक क्षमता विस्तारीकृत करने का कोई औचित्य नहीं हैं । केन्द्रीय वित्तीय संस्थायें किसी भी चीनी मिल के विस्तारीकरण हेतु तभी ऋण प्रदान करती है जब चीनी मिल को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध होने की पूर्ण संभावना हो, पिछले 3 वर्षों में चीनी मिल को नकद हानि न हुई हो, चीनी मिल की पूंजी हानि के कारण समाप्त न हो गई हो तथा विस्तारीकरण के बाद चीनी मिल लाभ में आनी सुनिश्चित हो । चीनी मिल औराई की पिछले 5 वर्षों की गन्ना उपलब्धता एवं हुई शुद्ध एवं नकद हानि का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	पेरा गया गन्ना (लाख कु० में)	नकद हानि (लाख रु० में)	शुद्ध हानि (लाख रु० में)
1992-93	12.87	129.2	138.95
1993-94	10.42	62.23	69.49
1994-95	11.36	269.94	275.8
1995-96	14.13	379.61	384.52
1996-97	9.29	603.09	607.06

1250 टन प्रतिदिन क्षमता की चीनी मिल को लगभग 20.00 लाख कुन्तल गन्ना उपलब्ध होना चाहिए तथा 2500 टन प्रतिदिन क्षमता की चीनी मिल को 40.00 लाख कुन्तल गन्ना एक पेराई सत्र में उपलब्ध होना चाहिए ।

औराई चीनी मिल में पेड़ी गन्ने पर यूरिया का छिड़काव एवं अच्छे किस्म के बीज वितरित कराने का कार्य स्वतंत्र रूप से कार्यरत गन्ना समिति द्वारा किया जा रहा है और शासन तथा चीनी मिल द्वारा अपना अंशदान गन्ना समिति को दिया जा रहा है । वर्ष 1996-97 में 848.70 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ी गन्ना में यूरिया का छिड़काव किया गया है । वर्ष 1997-98 में 129 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ी गन्ने पर यूरिया का छिड़काव हो चुका है । वर्ष 1996-97 में 7.65 हजार मैट्रिक टन तथा 1997-98 में 8.10 हजार मैट्रिक टन अच्छे किस्म के बीज का वितरण किया गया । अगले वर्षों में अधिक से अधिक गन्ना उपलब्ध हो, इस हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं परन्तु चीनी मिल को वांछित मात्रा में गन्ना उपलब्ध न हो पाने के कारण प्रयास करने पर भी इकाई लाभप्रद नहीं हो पा रही है ।]

मेरठ के महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की समस्या से उत्पन्न स्थिति विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश ... .

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[**विधान** सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–51 के अन्तर्गत मेरठ के महाविद्यालयों में प्रवेश की समस्या के संबंध में दी गयी सूचना के अन्तर्गत बताया गया है कि नये महाविद्यालयों का खुलना बन्द हो गया है, वर्तमान महाविद्यालयों में भवनों का विस्तरण नहीं हो रहा है,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रयोगशाला उपकरणों हेतु संसाधनों का अभाव है तथा अध्यापकों के रिक्त हैं आदि । अतएव तत्काल प्रवेश समस्या के हल की मांग की गयी है ।

2–इस संबंध में स्थिति यह है कि गत वर्ष चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में लगभग 1,30,000 छात्रों ने विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन किया था एवं लगभग 85,000 छात्र व्यक्तिगत प्रत्याशी के रूप में विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में प्रविष्ट हुए थे । वर्तमान सत्र में सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है परन्तु प्राप्त संकेतों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि इस वर्ष प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों की संख्या गत वर्ष की तुलना में कहीं अधिक हो सकती है । इस वर्ष आंकड़े अभी तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं हो सके हैं ।

3–प्रवेश हेतु छात्रों की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने यहां स्नातक स्तर पर सायंकालीन कक्षायें प्रारम्भ करने हेतु अपना प्रस्ताव विश्वविद्यालय के अनुमोदनार्थ अविलम्ब प्रेषित करें जिससे कि छात्रों के असन्तोष को सर्जनात्मक रूप दिया जा सके । यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध लगभग 35 महाविद्यालयों में गत वर्ष सायंकालीन कक्षायें संचालित की गयी थीं । अध्ययनरत् विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए यह विश्वविद्यालय अपने स्तर पर अधिक से अधिक छात्रों को महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने की भरसक व्यवस्था करने में प्रयत्नशील है । राज्य सरकार भी नये महाविद्यालयों की स्थापना के निमित्त सक्रिय है और समस्या के समाधान हेतु नये महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए सर्वथा प्रयत्नशील है ताकि अधिकाधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके ।]

प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी छात्रों के साथ कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा खिलवाड़ विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

उत्तर प्रदेश राज्य में 10 राजकीय आयुर्वेदिक एवं 2 राजकीय यूनानी चिकित्सा ...

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बी० आर० वर्मा–

[महाविद्यालय हैं । जिसमें लखनऊ, वाराणसी, बरेली, पीलीभीत, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर, झांसी और अतर्रा (बांदा) में एक-एक तथा हरिद्वार में दो महाविद्यालय स्थापित हैं । लखनऊ एवं वाराणसी को छोड़कर सभी महाविद्यालय छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध हैं । लखनऊ महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय से एवं वाराणसी महाविद्यालय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं ।

2–इसके अतिरिक्त दो यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय क्रमशः लखनऊ तथा इलाहाबाद में कार्यरत हैं तथा ये भी छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध हैं ।

3–छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुल सचिव ने अवगत कराया है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी की वर्ष 1994 की पूरक परीक्षायें करायी जा चुकी हैं एवं उनका परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है । आयुर्वेद एवं यूनानी की वर्ष 1996 की पूरक परीक्षायें दिनांक 27-8-97 से प्रस्तावित हैं, वर्ष 96 की परीक्षाओं में विलम्ब विश्वविद्यालय स्तर से हुआ है ।

नोट :–] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

4–छात्रों के सत्र को नियमित करने हेतु विश्वविद्यालय से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है ।

5–रिक्त पदों भर्ती के अध्यापकों के चयन हेतु अधियाचन भेजे जा चुके हैं और जैसे-जैसे आयोग से संस्तुतियां प्राप्त होती जा रही हैं उनकी तैनाती की जा रही है, प्रोन्नति कोटे पर चयन शीघ्र कराया जा रहा है ।]

जनपद शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार में अप्रैल, 1997 से अपराधों में हुई वृद्धि विषयक श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (बी० आर० वर्मा)–

प्रश्नगत मामले में अपर पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से जांच करायी ...

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[गयी जांच से पाया गया कि श्री टी०बी० सिंह, निरीक्षक ना० पु० ने दिनांक 24-4-97 को थाना सदर बाजार का कार्यभार ग्रहण किया था । दिनांक 24-4-97 से 31-7-97 तक की अवधि में 40 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जबकि इस अवधि की समकालीन अवधि में वर्ष 1996 में 95 तथा 1995 में 114 अपराध पंजीकृत हुए हैं । उपरोक्त से स्पष्ट है कि आलोच्य अवधि में विगत वर्षों की तुलना में अपराधों में भारी कमी आयी है । श्री टी० बी० सिंह निरीक्षण के कार्यकाल में थाना सदर बाजार में अपराध नियंत्रण में रहे हैं । श्री टी० बी० सिंह निरीक्षक के विरुद्ध लगाये गये आरोप कि उनका अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है, शराब पीकर नशे में धुत हो जाते है, अपने यार दोस्तों के साथ शराब के दौर चलाते हैं, जांच में उक्त आरोपों की पुष्ट नहीं हुई ।

उपरोक्त पत्र में दर्शाए गये अन्य आरोपों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि :–

(1) कृष्णानगर निवासी गोचाराम सचदेवा की हत्या के संबंध में थाना सदर बाजार पर दिनांक 5-5-97 को श्रीमती कौशल्या पत्नी पत्नी केवलकृष्ण की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 213/97 धारा 302 भां०दं०वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया । काफी प्रयास के बाद भी इस हत्या का अनावरण नहीं हो पाया है । इस घटना में मृतक का सामान लूटे जाने का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है । विवेचना प्रचलित है ।

(2) सीनियर एडवोकेट श्री रमेश चन्द्र जौहरी की सूचना पर थाना सदर बाजार पर दिनांक 16-6-97 को मुकदमा अपराध संख्या 243/97 धारा 457/380 भा०दं०वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया, जो विवेचनाधीन है । इस अभियोग में रुपया 30,000/- नगद सामान जेबर आदि चोरी जाना दर्शाया गया है । काफी प्रयास के बावजूद उक्त अभियोग का अनावरण नहीं हो सका है । विवेचना प्रचलित है ।

(3) मोहल्ला चमकनी शाहजहांपुर के दो नवयुवक व्यापारियों पर दिनांक 16-7-97 को फायर किये जाने के संबंध में पाया गया कि श्री हरजीत सिंह बग्गा पुत्र दिलीप सिंह बग्गा निवासी मोहल्ला चमकनी की सूचना पर दिनांक 18-7-97 को थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 283/97 धारा 307/323 भा०दं०वि० पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है । उक्त अभियोग में काफी प्रयास के बाद अनावरण नहीं हो पाया है । तथा दो अज्ञात अभियुक्तों का पता नहीं चल सका है ।

(4) एक अनुसूचित जाति की 14 वर्षीय कन्या की हत्या के संबंध में दिनांक 25-1-97 को श्री नन्दलाल जाटव द्वारा अपनी पुत्री कल्लो की हत्या के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 30/97 धारा 302 भा०दं०वि० के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया था जो श्री टी० बी० सिंह निरीक्षक के कार्यकाल से पूर्व में पंजीकृत किया गया था । उक्त अभियोग में कोई अभियुक्त नामित नहीं किया गया है, वह

अज्ञात पंजीकृत किया गया है । विवेचना से तीन अभियुक्त घसीटे पुत्र अजीज पठान, आबिद पुत्र मोहम्मद वली उर्फ गज्जू एवं बाबू खां पुत्र सोहराम खां प्रकाश में आये जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है । अभियोग विवेचनाधीन है ।

(5) नगर के प्रतिष्ठित श्री एस० पी० जौहरी निवासी भारद्वाज कालोनी की दिनांक 3[illegible]-97 को की गयी हत्या के संबंध में थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 306/97 धारा 302 भा०दं०वि० बनाम अखण्ड प्रताप सिंह, के०के० सिंह पुत्रगण रामचन्द्र सिंह एवं रामचन्द्र सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी बादशाहनगर थाना सेहरामऊ दक्षिणी पंजीकृत कराया गया है । इस अबियोग की विवेचना निरीक्षक श्री टी० बी० सिंह द्वारा की गयी । उक्त तीनों अभियुक्त गिरफ्तार/हाजिर अदालत होकर जेल भेजे जा चुके हैं तथा उनके विरुद्ध रासुका के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । जहां तक मृतक श्री एस०पी० जौहरी द्वारा दिनांक 23-6-97 को उन पर हुए कातिलाना हमले की थाना सदर बाजार पर सूचना देने का प्रश्न है, जांच से थाना सदर बाजार के अभिलेखों में सूचना अंकित होना नहीं पाया गया । इसकी सत्यता हेतु राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच प्रचलित है ।

श्री टी० बी० सिंह, निरीक्षक प्रभारी, सदर बाजार का स्थानान्तरण थाना सदर बाजार से अन्यंत्र किया जा चुका है ।]

जनपद महोबा के नगर क्षेत्र से सम्बद्ध ग्रामों की भूमि के 'रक्षा अनुसंधान एवं रेंज फैसिलिटी' हेतु अधिग्रहण के समय किये गये एग्रीमेन्ट को न मानने से सम्बन्धित नियम 51 के अन्तर्गत निर्धारित वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–47 स्थगित की जाती है ।

जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद मल्लावां में कार्यालय में हुई हत्या की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री धर्मज्ञ मिश्र द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मल्लावां नगरपालिका परिसर जनपद हरदोई में दिनांक 28-7-97 को नगरपालिका अध्यक्ष.....

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[श्रीमती मीना कनौजिया की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गयी थी, इस बैठक में भाग लेने हेतु अध्यक्ष श्रीमती कनौजिया, उपाध्यक्ष श्री विजय त्रिपाठी, मोहम्मद वसीम, वरूद्दीन, नसीर उर्फ मुन्ना, अकील अंसारी, मुंशी लाल यादव एवं अजयपाल कनौजिया उर्फ अजय मुंशी श्री जनीफुलहसन एवं श्री तकदीर हुसैन अंसारी सभी सभासदगण एवं अधिशासी अधिकारी और नगरपालिका के बड़े बाबू मीटिंग हाल में दिन में लगभग 11 बजे उपस्थित थे ।

2–प्रश्नगत बैठक अभी शुरू भी नहीं हो सकी थी कि अजयपाल उर्फ अजय मुंशी ने अधिशासी अधिकारी से कहा कि लाला बाजार में डा० तौहीद ने सार्वजनिक कुयें को घेरकर चबूतरे के अन्दर कर लिया है उसको क्यों नहीं तुड़वाया गया । इस पर तकदीर अंसारी ने अजयपाल उर्फ मुंशी से कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष उसकी भाभी है वह तो केवल सदस्य है और वह क्यों आदेश देते हैं इस बात पर अजयपाल उर्फ मुंशी ने तैश में आकर तकदीर अंसारी के एक झापड़ मार दिया और आवाज देकर कहा कि बन्दूक ले आओ और जान से मार दो । इस पर अजय मुंशी की जिप्सी में बाहर बैठे अजय तेली पुत्र झूम्मन एवं बृजेन्द्र पुत्र बलदेव कनौजिया व एक अन्य व्यक्ति बन्दूक लेकर अन्दर आ गये अजय मुंशी

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

एवं अजय तेली ने श्री तकदीर हुसैन अंसारी के कुर्सी से उठते ही पीठ में गोली मार दी । गोली के लगते ही श्री अंसारी मेज के पास गिर पड़े । तत्पश्चात अजय व बृजेन्द्र अपने-अपने असलहों के साथ यह कहते हुये कि यदि किसी ने गवाही दी तो एक-एक को गोली से उड़ा दिया जायेगा और फायर करते हुये जिप्सी में बैठकर बांगरमऊ की तरफ भाग गये ।

3–इस घटना की लिखित सूचना श्री जनीफुल हसन अंसारी पुत्र हाजी खलील निवासी मोहल्ला काजीटोला कस्बा व थाना मल्लावां ने दिन के करीब 12.45 बजे थाने पर दी । इस लिखित सूचना पर थाना मल्लावां में मु०अ०सं० 202/97 अन्तर्गत धारा 302 भा०द०वि० अजयपाल सिंह उर्फ अजय मुंशी, पुत्र नत्थू लाल, अजय लाल उर्फ झम्मन तेली, बृजेन्द्र पुत्र बलदेव कनौजिया व एक अन्य नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया और वरिष्ठ उप निरीक्षक श्री सत्य नारायण गुप्ता को विवेचना सौंपी गयी ।

4–दिनांक 28-7-97 को क्षेत्राधिकारी, बिलग्राम एवं अपर पुलिस अधीक्षक, हरदोई के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया उसी दिन मृतक तकदीर हुसैन अंसारी के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्ट मार्टम हेतु सदर अस्पताल, हरदोई रवाना किया गया । दिनांक 29-7-97 को मा० विधायक श्री धर्मज्ञ मिश्र अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के साथ नारेबाजी करते हुये थाना मल्लावां पहुंचे थाने पर क्षेत्राधिगारी, बिलग्राम उपस्थित थे । जुलूस द्वारा क्षेत्राधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया । क्षेत्राधिकारी ने विधायक एवं उनके पुत्र श्री अनुराग मिश्र एवं जुलूस में आये सभी कार्यकर्ताओं को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन देकर वापस कर दिया । मा० विधायक द्वारा दिनांक 29-7-97 को बाजार बन्द कराने का भी प्रयास किया गया लेकिन बाजार बंन्द नहीं हुये । सूचना मिलने पर मौके पर परगनाधिकारी बिलग्राम भी पहुंच गये । मा० विधायक द्वारा निकाले गये जुलूस एवं उनके द्वारा बाजार बन्द के किये गये प्रयासों के समय किसी भी प्रकार का कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया । लाठीचार्ज की बात पूर्णतया असत्य व निराधार है ।

5–वर्तमान समय में कस्बा मल्लावां में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक तनाव व्याप्त नहीं है और न अल्पसंख्यकों के मन में कोई भय व्याप्त है यह कहना भी बिल्कुल असत्य व निराधार है कि सत्ता पक्ष के लोगों का कोई तांडव नृत्य चल रहा है ।

6–प्रभारी निरीक्षक, मल्लावां व क्षेत्राधिकारी बिलग्राम द्वारा हत्या-अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अनेक सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी । विवेचक द्वारा 30-7-97 को हत्याभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82 द०प्र०सं० में आदेश प्राप्त कर दिनांक 31-7-97 को उसकी तामील भी करायी गयी । दिनांक 2-8-97 को अभियुक्त बृजेन्द्र पुत्र बलदेव कनौजिया ने न्यायालय में आत्मसमपर्ण कर दिया । दिनांक 4-8-97 को धारा 83 द०प्र०सं० का आदेश प्राप्त कर व दिनांक 5-8-97 को प्रभावी कुर्की करके उसकी तामील भी कर दी गयी । इन प्रयासों से यह स्पष्ट है कि स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने के लिए सभी प्रयास गम्भीरता से किये जा रहे हैं । यह कहना सही नहीं है कि हत्याकाण्ड के अभियुक्त निर्भीक घूम रहे हैं । पुलिस के द्वारा इस घटना के सम्बन्ध में किसी भी समय आपत्तिजनक रूप से शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया । पुलिस के कार्य से जनता ने पूर्णतः सन्तोष व्यक्त किया है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रत्येक सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।]

उत्तर प्रदेश की राजधानी में वाहनों के बढ़ते ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अमित अग्रवाल द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

यह एक तथ्य है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले एक दशक से वाहनों की .....

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)'

। संख्या विकराल रूप से बढ़ी है और इस संख्या के बढ़ने के साथ-साथ 60–70 के दश में उपलब्ध पब्लिक ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था अब लगभग लुप्त प्रायः हो गयी है । जहां आज लखनऊ महानगर की जनसंख्या लगभग 18 लाख आंकी जा रही है उसके विपरीत विभिन्न श्रेणी के लगभग 3 लाख वाहन सड़क पर चल रहे हैं, यद्यपि इस अवधि में हमानगर की सीमा का विस्तार हुआ है, क्षेत्रफल बढ़ा है किन्तु महानगर में विश्वविद्यालय, कालेज, अस्पताल एवं विभिन्न विभाग के कार्यालय यह सब अभी भी महानगर के एक बहुत सीमित क्षेत्र में स्थित हैं इसका तात्पर्य यह है कि इसी क्षेत्र के वाहनों की संख्या लगभग 10 गुना तक बढ़ गयी है, जिससे वाहनों के चलने से उनमें उत्सृजित धुवां, वाहनों के चलने से उनके इंजन की आवाज, उनमें प्रयुक्त होने वाले हार्न से ध्वनि के स्तर में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई है ।

किन्तु इसके साथ-साथ यह भी कहना आवश्यक होगा कि महानगर के वातावरण में जैसे ध्वनि एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की सीमा से अधिक बढोत्तरी हुई है इसके लिये उसमें कई और कारण निहित हैं । इन कारणों में से मुख्यतः निम्नानुसार है :–

1 खुले क्षेत्रों का अंधाधुन्ध आबादीकरण ।

2 शहरीकरण में नियोजन की कमी जिससे 18 लाख आबादी के विपरीत शहर में एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग प्रति दिन 22 लाख यात्रायें (ट्रिप्स) निष्पादित होती है । इन 22 लाख यात्राओं को करने में जैसा कि पहले ही वर्णित किया गया है कि मास पब्लिक ट्रान्सपोर्ट के न होने के कारण निजी चार पहिये/दो पहिये वाले वाहन, आई०पी०टी० (इण्टरमीडिएट पब्लिक ट्रान्सपोर्ट) का प्रयोग होता है ।

3 इन वाहनों के संचालन में ट्रैफिक रूल्स का पालन न करना तथा मिक्स ट्रैफिक होने के कारण वाहनों की आयडियल रनिंग बढ़ जाना ।

4 सड़क पर आई०पी०टी० संचालन हेतु समुचित टैक्सी स्टैण्ड की व्यवस्था न होना ।

5 सड़क पर बिना सीमा के अतिक्रमण का बढ़ जाना ।

6 समस्त मुख्य कार्यालय जैसे सचिवालय तथा उसके सम्बन्धित कार्यालय भी सम्मिलित हैं, के खुलने व बन्द होने का एक ही समय होना । राजधानी की मुख्य रूप से परिवहन की व्यवस्था के लिये आई०पी०टी–टैम्पों जो निजी क्षेत्र में चल रहे हैं, की तकनीक का अनुपयुक्त होना, इत्यादि–इत्यादि ।

वाहनों से उत्पन्न ध्वनि एवं वायु प्रदूषण नियणत्रण हेतु केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम–119(2) एवं 115 में प्राविधान है तथा परिवहन विभाग पर उन्हीं प्राविधानों को लागू करने व नियंत्रण करने का उत्तरदायित्व है ।

वायु प्रदूषण

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 115 में वाहनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गये हैं :–

पेट्रोल चलित वाहन

(क) चार पहिया वाहन में कार्बन मोनो आक्साईड के उत्सर्जन की अधिकतम सीमा 3 प्रतिशत आयतन ।

नोट :–1 । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।.

(ख) दो पहिया तथा तीन पहिया वाहनों में अधिकतम कार्बन मोनो आक्साईड उत्सर्जन सीमा 4.5 प्रतिशत आयतन ।

डीजल चलित वाहन

फ्री एक्सीलिरेशन अवस्था में उत्सर्जित धुंए की अधिकतम सीमा 65 हर्टज ।

वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम हेतु विभाग एक द्वारा कार्य–योजना बनाई गयी है जिसको दो भागों में रखा गया है :–

(1) अल्पकालीन

(2) दीर्घकालीन

अल्पकालीन योजना के अन्तर्गत 6 माह का अभियान चलाकर लखनऊ महानगर में समस्त वाहनों की चेकिंग करके उन्हें नियन्त्रित प्रदूषण प्रमाणक से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इस अवधि में भी विशेष रूप से लक्ष्य श्रेणी के वाहन जैसे कि टैम्पों, बसें, ट्रकों इत्यादि की गहन चेकिंग करने का लक्ष्य है । चूंकि विभाग की सीमित संसाधन हैं । अतः इस प्रदूषण चेकिंग अभियान में निजी क्षेत्र के सरकारी मान्यता प्राप्त गैराजों, पेट्रोल पम्पों, पेट्रोलियम उत्पाद डीलर्स, निजी स्वयं सेवी संस्थाओं इत्यादि को इस कार्य हेतु उत्प्रेरित करने का प्रयास किया गया तथा निजी क्षेत्र में अब तक लखनऊ महानगर में 32 प्रदूषण चेकिंग केन्द्र स्थापित हो चुके हैं । इन केन्द्रों से निर्गत नियन्त्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र से आच्छादित वाहनों की रेण्डम चेकिंग विभाग के अपने प्रवर्तन दलों से की जायेगी । उ०प्र०रा०स०प०नि० की बसों की चेकिंग निगम पर स्थापित केन्द्रों द्वारा ही की जायेगी और सुनिश्चित किया जायेगा कि निगम की समस्त बसें ऐसे नियन्त्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र से आच्छादित हो जायें ।

चूंकि वाहन जनित प्रदूषण में प्रयोग होने वाले ईधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । अतः पेट्रोलियम कम्पनियों को भी निर्देश दिये गये कि वह सुनिश्चित करें कि उनके पेट्रोल पम्पों पर मानक गुणवत्ता का पेट्रोल/डीजल की विक्रय हो ।

परिवहन विभाग सीमित जनशक्ति को ध्यान में रखते हुए अल्पकालीन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अन्य सम्भागों से अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रवर्तन दलों को लखनऊ महानगर में प्रदूषण चेकिंग कार्य में लगाया गया । इन विशेष अभियानों के फलस्वरूप वर्ष 1996-97 व अप्रैल 1997 से जून 1997 के मध्य 2.84 लाख वाहनों की चेकिंग कर उन्हें नियन्त्रित प्रदूषण प्रमाणक से आच्छादित कर दिया गया । मानकों से अधिक धुवां उत्सर्जित करने वाले 10 हजार वाहनों का चालान भी किया गया ।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि लखनऊ महानगर में टैम्पों से उत्पन्न हो रहे वायु प्रदूषण की गम्भीर समस्या है । अतः यह निर्णय लिया गया कि 5 वर्ष से अधिक पुराने टैम्पों को महानगर सीमा के अन्दर संचालित न होने दिया जाये जिसके लिये सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा चुका है । पुलिस विभाग से भी इस सहयोग की अपेक्षा की गयी कि वह टेम्पों व अन्य वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा होने दें और इस व्यवस्था को तोड़ने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये ।

2 दीर्घकालीन योजना–

इस योजना के अन्तर्गत लखनऊ महानगर में पब्लिक ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था को फिर से क्रियान्वित करने हेतु भारत सरकार के प्रतिष्ठित उपक्रम 'रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड एकनामिक सर्विसेज' से एकीकृत मास ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था अध्ययन कराया जा रहा है जिसमें शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर एक ऐसी सुव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था लागू की जायेगी जिससे अधिक से अधिक नागरिक केवल मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम से ही यात्रा करेंगे । इसी नेटपैक द्वारा किये गये अध्ययन की संस्तुतियों के आधार पर शहर के

प्रमुख चौराहों का सुधार करने व ट्राफिक्स सिस्टम मैनेजमेन्ट योजना को लागू करने हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष में इन कार्यों हेतु बजट में प्राविधान भी किया गया है ।

दीर्घकालीन योजना लागू हो जाने के पश्चात आशा की जाती है कि लखनऊ महानगर का वायु प्रदूषण काफी हद तक नियन्त्रित हो जायेगा । नेटपैक संस्था द्वारा किये गये अध्ययन की संस्तुतियां नगर विकास विभाग व मण्डलायुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी हैं जिससे महानगर में सुनियोजित तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भीड़-भाड़ वाले इलाकों में वाहनों को प्रतिबन्धित करना सरकारी दफ्तरों/स्कूलों के खुलने व बन्द होने के समय को स्टैगर करना इत्यादि शामिल है भेजा जा चुका है । इसी क्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम–1981 की धारा–31 ए के अन्तर्गत एक अधिसूचना भी जारी की गयी जिसके अनुसार महानगर के समस्त पेट्रोलियम उत्पाद बिक्रेता केवल उन्हीं वाहनों को पेट्रोल/डीजल विक्रय करेंगे जो प्राधिकृत टेस्टिंग केन्द्र से निर्गत नियन्त्रित प्रदूषण प्रमाण से आच्छादित होंगे ।

ध्वनि प्रदूषण

लखनऊ महानगर में ध्वनि प्रदूषण की प्रदेश में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और जिससे जन स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है । केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम–119 (2) के अन्तर्गत कोई भी वाहन मल्टीटोन हार्न, प्रेशर हार्न अथवा अन्य ऐसे किसी प्रकार के हार्न प्रयोग में न लायें जिससे तीव्र कर्ण कटु अथवा भय उत्पादक ध्वनि उत्पन्न होती है । इस प्रकार के अपराध करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध भी समय–समय पर कार्यवाही करने के लिये उनके वाहनों के चालान भी किये गये । ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आंकड़े एकत्र किये गये हैं, के अनुसार महानगर के लगभग सभी क्षेत्रों में मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण हो रहा है । ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये जन मानस का सहयोग अत्यावश्यक है क्योंकि प्राय: यह देखा गया है कि वाहन स्वामी केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के प्राविधानों के विरुद्ध भी अपने वाहनों में प्रेशर हार्न इत्यादि लगाते हैं, जो उचित नहीं हैं ।]

प्रदेश में जिलाधिकारियों द्वारा आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स देने की प्रक्रिया में की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम 51 में दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आग्नेयास्त्रों लाइसन्स आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध.....

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[नियमावली, 1962 के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं । इस सम्बन्ध में आवेदक के प्रार्थनापत्र पर पुलिस एवं राजस्व दोनों श्रोतों से छानबीन तथा आवेदक को आग्नेयास्त्र की वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखने के साथ ही जनशांति एवं जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुये विचार किया जाता है । दोनों श्रोतों से जांच आख्यायें प्राप्त हो जाने के बाद भी किसी प्रकार का संदेह होने पर मामले में पुनः भी जांच कराई जा सकती है । इस कार्यवाही में समय लगना स्वाभाविक है ।

2 विभिन्न जनपनदों से प्राप्त सूच्नानुसार प्रतिमाह लाइसेन्स स्वीकृति हेतु कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है और न ही इस बारे में भ्रष्टाचार की कोई सामान्य एवं विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हैं । प्रदेश में शांति व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से शासन द्वारा भी यह निर्देश दिये गये हैं कि लाइसेंस स्वीकृत करने के पूर्व आवेदक की आवश्यकता एवं औचित्य के प्रकाश में आयुध अधिनियम की धारा–13 के अन्तर्गत आवेदनपत्रों पर गहराई से छानबीन एवं भली प्रकार से जांच करा ली जाय । इसके

अतिरिक्त चुनावों के कारण लाइसेन्सों की स्वीकृति पर मार्च, 1996 से दिसम्बर, 1996 तक प्रतिबन्ध लागू रहा जिसके कारण जनपदों में आवेदन-पत्र लम्बित रहे और उसके परिणामस्वरूप यथावश्यकतानुसार जांच आख्याओं को पुनः जांच हेतु भेजना पड़ा ।

3 उल्लेखनीय है कि वर्तमान परिवेश में आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों हेतु जिलाधिकारियों के कार्यालयों में बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं यदि हर आवेदक की इच्छानुसार शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत कर दिये जायं तो जनशांति/जनसुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को कायम रखना दुष्कर हो जायगा । इसी कारण गहन जांच उपरान्त शस्त्र की वास्तविक आवश्यकता पाये जाने पर ही आवेदक को लाइसेन्स स्वीकृत करने का प्रयास किया जाता है ।

4 इस सम्बन्ध में कानपुर महानगर में शस्त्र लाइसेन्स के आवेदकों के आंदोलित होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

इसके बाद सदन 6 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ
दिनांक 11 अगस्त, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

सूची

सर्वश्री

1–श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री रामराज सिंह, ग्राम बछवल, धाना मेहनगर आजमगढ़ ।

2–श्रीराम सोनकर विधायक पुत्र श्री दूधनाथ सोनकर, ग्राम–शाहगढ़, थाना–सिधारी,, आजमगढ़ ।

3–श्री लाल मोहन राम षुत्र शामूराम, ग्राम–खेमऊ ।

4–श्री राम सोनकर, विधायक पुत्र श्री दूधनाथ सोनकर, ग्राम व पो०–शाहगढ़ ।

5–श्री कमलेश राय (पोस्टमैन) पुत्र श्री चन्द्रपति राम, ग्राम–मतौलीपुर ।

6–श्री अशोक कुमार पाण्डे पुत्र श्री लक्ष्मण पाण्डे, ग्राम–विहरोजपुर ।

7–श्री राम नरायन प्रसाद पुत्र श्री राम किशोर राजभर, ग्राम–काजीपट्टी मेहियापार ।

8–श्री दिवाकर सिंह पुत्र श्री रामाश्रय सिंह, ग्राम-पाही, जमीन पाही ।

9–श्रीमती लीलादेवी पत्नी स्व० श्री मद्धू यादव, ग्राम–अमुडी ।

10–श्री सूर्यभान राम पुत्र श्री सहती राम, ग्राम–कन्धरापुर ।

11–श्री पंकज पाठक पुत्र स्व० श्री कमला प्रसाद पाठक, ग्राम–आरजीबाग ।

12–श्री राम बहादुर पुत्र श्री नन्दलाल, ग्राम–चन्दवका ।

13–श्री अब्दुल सलाम पुत्र श्री अली सज्जाद, ग्राम–शेखपुरा ।

14–श्री अजीत प्रताप नरायन सिंह पुत्र श्री अनिरुद्ध सिंह, थाना–कोतवाली, आजमगढ़ ।

15–श्री जगत बहादुर सिंह पुत्र श्री सूबेदार सिंह, ग्राम–राहुलनगर ।

16–श्री हीरा लाल गौतम विधायक पुत्र श्री रामयस, ग्राम–दोस्तपुर ।

17–श्री श्यामदेव पुत्र श्री रेखाराम, ग्राम–हाजीपुर कौरौली ।

18–श्री अबरार अहमद पुत्र श्री मुश्ताक अहमद, ग्राम–भदारपुर ।

19–श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र देवीदीन, ग्राम–महगूपुर ।

20–श्री विभूति प्रसाद निषाद मंत्री पुत्र श्री बुनेलराम, ग्राम–रामपुरखास ।

21– ,, ,, ,,

22– ——— तदैव ———

23–श्री साहब दयाल सिंह पुत्र श्री अलगू सिंह, ग्राम–सिरौरा ।

24–श्री वृजभान पुत्र रामदेव, ग्राम–भगवानपुर ।

25–श्री दयाशंकर सिंह सेठ पुत्र श्री पखण्डी, ग्राम–लालगाट ।

26–श्री मुराती राम पुत्र श्री कैलाश राम, ग्राम–जर्मन मोहम्मदपुर ।

27–श्री मो० अफजाल पुत्र श्री मु० फारूक, ग्राम–अन्जानशहीद ।

28–श्री रामेश्वर राम, फोयरमैन, पुलिस लाइन, आजमगढ़ । सरकारी कर्मचारी

29–श्री राजेन्द्र कुमार, एस०टी०, थाना–सिधारी । ,, ,,

30–श्री विजेन्द्र सिंह, डी०आई०जी० आजमगढ़ । ,, ,,

31– ———— तदैव ————

32–श्री दिवाकर पाण्डेय, एस०आई० (एम) डीआईजी कार्यालय, आजमगढ़ । ,, ,,

33–श्री राम प्रवेश, ए०एस०आई० (एम)

उत्तर प्रदेश राजपत्र असाधारण

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

सूची

क्रमांक	लाईसेन्सी का नाम व पता	शस्त्र का प्रकार
1–	श्री चन्द्रजीत सिंह पुत्र लालमनी सिंह, नि०भुपियामऊ, थाना–कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।	एक नाली बन्दूक
2–	श्री अतुल कुमार यादव पुत्र रामलखन यादव, नि०सिविल लाइन, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।	दो नाली बन्दूक
3–	श्री रमेश कुमार यादव पुत्र जगन्नाथ यादव, नि०सहोदरपुर, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।	दो नाली बन्दूक
4–	श्री अब्दुल हक पुत्र तकीउल्ला, नि०पल्टन बाजार, कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।	एक नाली बन्दूक
5–	श्री जवाहर लाल श्रीवास्तव पुत्र श्री भगवती प्रसाद नि०कादीपुर, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ ।	एक नाली बन्दूक
6–	श्री रघुनाथ पुत्र श्री अनन्त राम, नि०किशुनदासपुर, थाना–नवाबगंज ।	दो नाली बन्दूक ।
7–	श्री माता प्रसाद त्रिपाठी पुत्र श्री त्रिलोकीनाथ, नि०मिसिरपुर, थाना नवाबगंज, प्रतापगढ़ ।	दो नाली बन्दूक ।
8–	श्री हरकेश कुमार शुक्ल पुत्र राम लखन शुक्ल, नि० छिनाहू, थाना नवाबगंज ।	एन०पी० बोर० रिवाल्वर ।
9–	श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र बद्रनाथ शर्मा, नि० बहेरा, थाना–अन्तू, प्रतापगढ़ ।	एक नाली बन्दूक ।
10–	श्री नन्दलाल यादव पुत्र राम सूरत यादव, नि० टकापट्टी, थाना बाघराय ।	दो नाली बन्दूक ।
11–	श्री दिलशाद अहमद पुत्र मो० इलियास, नि० बिन्धन गोपालपुर, थाना–बाघराय ।	दो नाली बन्दूक ।
12–	श्री दूधनाथ विश्वकर्मा पुत्र दुर्गादीन विश्वकर्मा, निवासी– उमराव पट्टी, थाना–बाघराय ।	दो नाली बन्दूक ।

क्रमांक	लाईसेन्सी का नाम व पता	शस्त्र का प्रकार
13	श्री लाल बहादुर पुत्र जगदेव प्रसाद, नि० बरना, थाना–हथिगंवा ।	दो नाली बन्दूक ।
14	श्री अब्दुल कलाम पुत्र अब्दुल रहीम, नि० बहेरिया, थाना–हथिगवां ।	एनपीवी रिवाल्वर ।
15	श्री शिवशंकर यादव पुत्र केदारनाथ, नि० अछेवरपुर, थना–हथिगंवा ।	एक नाली बन्दूक ।
16	श्री रामलाल पुत्र राम कुमार, नि० मिरया, थाना मानिकपुर	दो नाली बन्दूक ।
17	श्री राम सुमेर पुत्र राम कुमार नि० मिरया, थाना मानिकपुर	दो नाली बन्दूक ।
18	श्री राघवेन्द्र प्रताप त्रिपाठी पुत्र उमाशंकर त्रिपाठी निवासी–सांगापट्टी, थाना–पट्टी ।	दो नाली बन्दूक ।
19	श्री सै० इफ्तखार अली पुत्र शब्बीर अली, नि० बसिहामऊ थाना–कुन्डा ।	दो नाली बन्दूक ।
20	श्री शाकिर अली पुत्र इसहाक अली, नि० नरसिंहपुर थाना–कन्धई ।	एक नाली बन्दूक ।
21	श्री बृजेन्द्र मणि मिश्र पुत्र माता प्रसाद मिश्र, निवासी–साल्दीपुर, कजास, थाना–कन्धई ।	दो नाली बन्दूक ।
22	कुमारी इसा हबीबी पुत्री मो० इब्राहिम, निवासी–कल्यानपुर कला, थाना–सांगीपुर ।	दो नाली बन्दूक ।
23	श्री नन्हे लाल पुत्र हरीलाल गुप्ता, नि० पूरेनौती हरजू थाना–लालगंज ।	एक नाली बन्दूक ।
24	श्री रमाकान्त मिश्र पुत्र माता प्रसाद मिश्र, नि० हण्डौर थाना–लालगंज ।	एक नाली बन्दूक ।
25	श्री क्षत्रिय प्रसाद वर्मा पुत्र राम बरन वर्मा, नि० बलरामपुर थाना–इब्राहिमपुर ।	एनपीबीवार रायफल
26	श्री राम कृपाल पाण्डेय पुत्र वी० पी० पाण्डेय, नि० पूरेहीरालाल कोतवाली–सुल्तानपुर (एसआईपुलिस लाइन प्रतापगढ़ टीजीएस) ।	एनपीबी रायफल
27	श्री शिव प्रसाद मौर्य पुत्र देवतादीन, नि० भरतगढ़ थाना–संग्रामगढ़ ।	दो नाली बन्दूक ।

पी० एस० यू० पी० एल०–355 विधान सभा (728) 1997–813 (डी० टी० पी०) ।